खण्ड ६—अंक २४
१७ अगस्त, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(XIII Session)

(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

**लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली**

पच्चीस नये पैसे (देश में) १ शिलिंग (विदेश में)

216 L.S.D./56

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . . ९०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१०००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६६, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६६ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५६, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचमा प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से १५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६—मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग–१ प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रतिरक्षा विभाग के अतिरिक्त कर्मचारी

†*११६३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री सभा-पटल पर निम्नलिखित तथ्यों का एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) प्रतिरक्षा औद्योगिक संस्थाओं के ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनको भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में नौकरी दिलाई गई है ;

(ख) ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या जो अब भी उन संस्थाओं से वेतन प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) सरकार शेष आदमियों को वैकल्पिक नौकरियां दिलाने के लिये क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ७ अनुबन्ध संख्या १४**]

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: पिछले सत्र में यह कहा गया था कि इन व्यक्तियों के लिये अन्य सरकारी विभागों में नौकरियां तलाश करने की कोशिश की जायेगी। क्या मैं जान सकती हूं कि वास्तव में कितने लोगों को नौकरियां दिलाई जा चुकी हैं ?

†**श्री त्यागी** : ३२०० अतिरिक्त कर्मचारियों को नौकरियां दिलाई जा चुकी हैं। इन में से ८०० लोगों को प्रतिरक्षा के अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के कार्यालयों में नौकरी मिली है और शेष को प्रतिरक्षा कार्यालयों में।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जो लोग अब भी अतिरिक्त कर्मचारी हैं क्या उनके लिये भी नौकरियां ढूंढने का प्रयत्न किया जायेगा, और यदि हां, तो यह प्रयत्न कब तक जारी रहेगा ?

†**श्री त्यागी** : मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में एक सम्पर्क पदाधिकारी नियुक्त किया है। उसने इस संबंध में रेलवे, उत्पादन, निर्माण, आवास और संभरण, परिवहन, वित्त, लोहा और इस्पात, वाणिज्य और उद्योग, सिंचाई और विद्युत् तथा अन्य सभी मंत्रालयों से सम्पर्क स्थापित किया है। अब केन्द्रीय मंत्रालयों में और नौकरियां मिलने का बहुत कम स्थान रहा है। मेरे विचार में अब हम नीति को देर तक नहीं चला सकते ह। किन्तु छटनी के बाद भी अगर सम्भव हुआ तो हम इन लोगों को पुनः काम दिलाने का प्रयत्न करते रहेंगे।

†मूल अंग्रेजी में।

1—216 L. S./56

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अब जैसे कि कई सिंचाई परियोजनाओं तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के कई कार्यालयों में अतिरिक्त कर्मचारी हैं तथा उनकी छटनी हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार कोई ऐसा समन्वित पूल तैयार करने का विचार कर रही है जिससे कि न केवल केन्द्रीय सरकार ही परन्तु राज्य सरकारें भी अपनी आवश्यकतायें पूरा करने के लिये कर्मचारी प्राप्त कर सकें ?

†**श्री त्यागी :** मुझे विस्तृत रूप से इस बारे में कुछ मालूम नहीं है मगर हमने अभी हाल ही में इस विषय पर गृह-मंत्रालय से परामर्श किया था और आप को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता होगी कि वह पहले से ही इस काम को करने का विचार कर रहा था। वह इस सम्बन्ध में कुछ योजनाओं पर विचार भी कर रहा है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी:** क्या निकट भविष्य में कुछ और लोगों को भी अतिरिक्त घोषित किये जाने की सम्भावना है और क्या इस की घोषणा प्रतिवर्ष होती रहेगी ?

†**श्री त्यागी :** आयुध निर्माणियों में वर्तमान अतिरिक्त व्यक्तियों के अलावा भी बहुत से अतिरिक्त व्यक्ति बने रहेंगे। किन्तु इस प्रकार के व्यक्तियों को हम अपनी गणना के अनुसार स्वयं ही रखते हैं ताकि खाली स्थानों की पूर्ति होती रहे। जब कभी अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकता होती है तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं अतः हम ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों को स्वयं रखते हैं।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** दूसरी नौकरी देते समय क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी व्यक्ति को उसे पहले मिलने वाले वेतन से बहुत कम वेतन नहीं मिले ?

†**श्री त्यागी :** जहां तक सम्भव है उनको लगभग उसी स्तर तक का वेतन दिया जाता है। किन्तु उनकी सेवा की निरंतरता समाप्त हो जाती है क्योंकि जैसे ही उनको कारखानों से मुक्त कर दिया जाता है उन्हें रिटायर होने पर उनके सभी उपदान आदि दे दिये जाते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह सत्य नहीं है कि प्रतिरक्षा औद्योगिक संस्थानों के इन कर्मचारियों को असैनिक उपभोक्ता वस्तुएं बनाने के कार्य में लगाया जा रहा है, और यदि हां, तो फिर अब इतने आदमी कैसे अतिरिक्त हैं ?

†**श्री त्यागी :** इस समय लगभग ६ से ८ हजार श्रमिक असैनिक उपभोक्ता वस्तुएं बनाने में लगे हुये हैं। वे हमारे अतिरिक्त कर्मचारी हैं जिनका कि हम उस समय उपयोग करते हैं जब प्रतिरक्षा की मांग बढ़ जाती है। यह अच्छा ही है कि इस अवधि में उन्हें उपयोगी कार्य पर लगाये रखा जाये।

†**श्री बोस :** क्या प्रतिरक्षा उद्योगों में बेकारी की इस समस्या को हल करने के लिये काम दिलाऊ दफ्तरों की सेवाओं का उपयोग किया गया है ?

†**श्री त्यागी :** अभी तो इनमें से अधिकांश लोगों को प्रतिरक्षा संस्थापनों में ही नियुक्त किया जा रहा है। अतः हमें काम दिलाऊ दफ्तरों में जाने की आवश्यकता नहीं अनुभव हुई है। किन्तु जब अतिरिक्त कर्मचारियों की छटनी हो जायेगी तब उन्हें निश्चय उन दफ्तरों में जाना पड़ेगा क्योंकि दोबारा नौकरी दिलाने का काम उनका ही है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें केन्द्रीय मंत्रालयों में नौकरियां दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है क्या उनको अर्ध-सरकारी निगमों जैसे रूरकेला, भिलाई आदि औद्योगिक उपक्रमों में भी नौकरी दिलाने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**श्री त्यागी :** जी हां, वहां पर भी प्रयत्न किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जर्मनी में भारतीय प्रशिक्षार्थी

†*११६४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस समय जर्मन गणतंत्र संघ में औद्योगिक संस्थापनों में कोई भारतीय प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का प्रशिक्षण है, तथा वे जिन औद्योगिक संस्थापनों में प्रशिक्षण ले रहे हैं उनकी कितनी संख्या है तथा उनके क्या नाम हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ७ अनुबन्ध संख्या १५**]

†**श्री रघुनाथ सिंह** : दो सौ विद्यार्थी जो वहां पर शिक्षा पा रहे हैं उनमें से कितने विद्यार्थियों को आप वज़ीफे दे रहे हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : पश्चिमी जर्मनी में २६३ प्रशिक्षार्थी हैं उनमें से ५३ को सरकारी छात्र-वृत्ति मिल रही है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या इन ५३ में कोई अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के भी प्रशिक्षार्थी हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : इन छात्र-वृत्तियों में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये कोई सुरक्षित स्थान नहीं रखे गये थे। अतः हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि उनमें इन जातियों के कितने प्रशिक्षार्थी हैं।

†**डा० स० ना० सिंह** : कितने आदमी वहां टेकनिकल ट्रेनिंग के लिये भेजे गये हैं और कितने और दूसरी बातों के लिये ?

†**डा० म० मो० दास** : सभी ५३ सरकारी छात्र-वृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है।

†**डा० स० ना० सिंह** : क्या कोई माउंटेनियरिंग (पर्वतारोहण विद्या) के लिये भी भेजे गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रत्येक सदस्य को एक से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इसके बदले में जर्मन प्रशिक्षार्थियों को भारत में प्रशिक्षण देने की भी कोई व्यवस्था है ?

†**डा० म० मो० दास** : जी हां। इस प्रकार का परस्पर समझौता है। हम प्रति दूसरे वर्ष १० जर्मन नागरिकों को भारत में आकर यहां की भाषाएं, यहां का दर्शन और यहां का धर्म शास्त्र पढ़ने के लिये अधिवृत्तियां देते हैं ।

†**डा० स० ना० सिंह** : केवल एक प्रश्न और।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे बड़ा खेद है। मैं छः छः सात-सात अनुपूरक प्रश्न करने दे रहा हूं। इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पुनः-बीमा निगम

†*११६५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने पुनः-बीमा निगम की स्थापना के लिये क्या कार्रवाई की है ; और

(ख) उसका क्या परिणाम रहा है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० चं० शाह)** : (क) तथा (ख). सरकार ने यूरोप में बड़ी-बड़ी पुनः-बीमा करने वाली कम्पनियों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिये एक अधिकारी नियुक्त किया था। तब भारतीय परिस्थितियों तथा विदेश में प्राप्त अनुभव के आधार पर जुलाई १९५५ के प्रारम्भ में यह निश्चय किया गया कि भारत में एक पुनः-बीमा निगम बनाया जाना चाहिये। उसके पश्चात् इस विषय पर सामान्य बीमा परिषद् की एक उपसमिति में विचार किया गया। इसमें सरकार के तथा बीमा विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तब इस उप-समिति के निष्कर्ष सामान्य बीमा परिषद् की कार्यकारिणी के सम्मुख रखे गये तथा उसने सामान्यतः उनका अनुमोदन भी कर दिया है। इसके फलस्वरूप अब शीघ्र ही भारत में सामान्य बीमा करने वाली कम्पनियों द्वारा एक पुनः-बीमा निगम की स्थापना होने वाली है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जब कि सरकार ने उस सम्बन्ध में कुछ लोगों को विदेश भी भेजा है और जब कि सामान्य बीमा परिषद् में भी इस प्रश्न पर विचार हो चुका है तथा जब यह प्रश्न १९५५ से चल रहा है तब सरकार इतने दिनों से इस विषय पर कोई निश्चय क्यों नहीं कर पा रही है ?

†**श्री म० चं० शाह :** इस में कई कठिनाइयां हैं। हमें सामान्य बीमा कर्ताओं से परामर्श करना है। पहले यह सोचा गया था कि सरकार भी पुन-बीमा निगम में अपना अंश रखेगी। किन्तु जब इस विषय पर पुनः विचार किया गया तब यह निश्चय किया गया कि यह निगम स्वयं बीमा कर्ताओं को स्थापित करना चाहिये। सरकार केवल बीमा अधिनियम के अन्तर्गत उनको दी गई शक्तियों की देख भाल तथा उनका पथ प्रदर्शन करेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या उस निगम की स्थापना सरकार करेगी अथवा वे व्यक्ति जिनका कि मंत्री महोदय ने अभी उल्लेख किया है ? इसको कौन बनायेगा यह कैसे अस्तित्व में आएगा ?

†**श्री म० चं० शाह :** मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमा कर्ता ही इस निगम की स्थापना करेंगे।

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** जीवन बीमा की दृष्टि से पुनः-बीमा निगम की स्थापना की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री म० चं० शाह :** यहां जीवन बीमा निगम का कोई प्रश्न नहीं उठता है। यह पुनः-बीमा निगम केवल सामान्य बीमा व्यापार के लिये ही स्थापित किया जायेगा। जीवन बीमा के संबंध में पुनः-बीमा का प्रश्न एक भिन्न प्रश्न है। इसका विचार जीवन बीमा निगम ही करेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मंत्री महोदय के उत्तर से कुछ उलझन सी मालूम हो रही है। अतः क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पुनः-बीमा निगम के सामान्यतः क्या क्या कार्य होंगे ?

†**श्री म० चं० शाह :** माननीय सदस्य को पता होगा कि सामान्य बीमा व्यवसायियों को कुछ जोखिम लेनी पड़ती है ; अतः वे इस जोखिम के कुछ भाग पर पुनः-बीमा निगम से दोबारा बीमा कर लेते हैं। अतः पुनः-बीमा निगम को भी प्रीमियम दिया जाता है ......

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगर माननीय सदस्य बीमा तथा पुनः-बीमा के प्राथमिक सिद्धान्तों के बारे में प्रश्न करने लगेंगे तो सारा प्रश्न काल उन्हीं के लिये हो जाएगा ? पुनः-बीमा का अर्थ है कि जोखिम को भी बांट लिया जाये।

कृत्रिम वर्षा

†***११६६. श्री डाभी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २१ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २३८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने कृत्रिम वर्षा करने के कितने प्रयोग किये हैं ; और

(ख) इसके परिणाम क्या हुये ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). अभी तक कृत्रिम वर्षा करने का कोई प्रयोग नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में स्थापित वर्षा तथा बादल भौतिक गवेषणा एकक 'डब्ल्यू आर्म' विधि से राकेट द्वारा सामान्य नमक से मेघ बीजन करके कृत्रिम वर्षा करने की संभावनाओं पर खोज कर रहा है। यह विधि वैसी ही है जैसी टांगायिका में वर्षा करने के लिये प्रयोग में लाई गई थी।

†**श्री डाभी :** आस्ट्रेलिया को भेजे गये विशेषज्ञ क्या कार्य कर रहे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** आस्ट्रेलिया को भेजे गये विशेषज्ञों में से एक वहां है। अन्य भी उस देश को जाने के लिये अपने कागज़ात तैयार कर रहे हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों ने बनाई है और क्या उससे यह पता लगता है कि प्रति एकड़ भूमि पर इस कृत्रिम वर्षा पर कितना खर्च आ सकता है ?

श्री के०दे० मालवीय : जी नहीं, अभी तो ऐसा कोई तख़मीना नहीं लगाया गया है और इसमें अभी शायद बहुत देर है। हमने और राज्य सरकारों ने भी कोई ऐसी छानबीन और अन्वेषण का काम हाथ में नहीं लिया है। हमारी नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी (राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला) में एक अंग इसके लिये खोला गया है जो उसके मौलिक प्रश्नों पर अभी छानबीन ही कर रहा है, साथ ही साथ दुनिया के और हिस्सों में इस सम्बन्ध में जो अभी एक्सपेरीमेंट्स हो रहे हैं उनका आश्रय लेकर के एक्सपेरीमेंट्स करने का विचार किया जा रहा है।

उत्तुंग गवेषणा संस्था

***११६७. श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २० मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तुंग गवेषणा संस्था की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : आवश्यक जानकारियों से युक्त एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है ? [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या १६**]

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि यह प्रश्न पिछले ४ या ५ वर्षों से प्रतिवर्ष विचाराधीन बतलाया जा रहा है और मैं जानना चाहता हूं कि अधिक से अधिक कितना समय और लगेगा जब कि अन्तिम निर्णय इस बारे में हो सकेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री के० दे० मालवीय : यह बात सही है कि पिछले ३-४ वर्षों से यह प्रश्न विचाराधीन है और अभाग्यवश म यह भी नहीं कह सकता कि कब तक अन्तिम रूप से इस पर कोई निर्णय हो जायेगा, लेकिन यह सारी हाई आल्टीच्यूड लेबोरेटरी (उत्तुंग गवेषणा संस्था) की स्थापना का विचार दो तीन हिस्सों में अलग करके खोले जान की बात सोची जा रही है, एक गुलमर्ग में कौस्मैटिक रे (ब्रह्मांड किरण) के सम्बन्ध में अन्वेषण का केन्द्र खोले जाने का विचार है और उस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है और दूसरे अंग सेंट्रल पर्वतीय क्षेत्रों में भी खुलेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि जब कि पश्चिमी हिमालय में गुलमर्ग में यह गवेषणा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है तब दूसरी ओर पूर्व में दार्जिलिंग में भी इसके सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था की जा रही है और जहां तक केन्द्रीय हिमालय का सम्बन्ध है अभी तक यह मामला बिलकुल ही विचाराधीन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कुछ स्थानों के बारे में विचार किया है, खास कर बद्रीनाथ व जोशीमठ के इलाके में ऐसा केन्द्र खोले जाने के बारे में विचार हो रहा है ?

श्री के० दे० मालवीय : किसी विशेष स्थान का चुनाव तो हो सकता है लेकिन वहां क्या काम हो सब से ज्यादा जरूरी तो पहले यह समस्या है । कौंसिल आफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बनाई हुई समितियां इस प्रश्न पर विचार कर रही हैं कि केन्द्रीय पर्वतीय क्षेत्रों में जो ऐसे रिसर्च इंस्टीच्यूट (गवेषणा संस्था) की स्थापना की जाय वहां पर क्या काम किया जाय और जब वह काम की तजवीज सामने आ जायगी तब जगह भी चुन ली जायगी ।

हिन्दी छात्र-वृत्तियां

†*११६८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में जिन क्षेत्रों में हिन्दी भाषा नहीं बोली जाती है वहां कितने व्यक्तियों को छात्र-वृत्तियां दी गई थीं; और

(ख) ये छात्र-वृत्तियां कितनी अवधि के लिये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) आठ ।

(ख) स्वीकृत छात्र-वृत्तियां, चुने हुये अभ्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष तब तक मिलती रहती हैं जब तक अध्ययन का स्वीकृत पाठ्यक्रम पूर्ण न हो वशर्ते अभ्यार्थी अपने अध्ययन में अच्छी प्रगति रखे ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : जिन अभ्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं वह अपने राज्य में अध्ययन करते हैं अथवा उनको कहीं और भेजा जाता है ?

†**डा० म० मो० दास** : इस समय यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : प्रत्येक अभ्यार्थी को कितनी छात्र-वृत्ति दी जाती है ?

†**डा म० मो० दास०** : प्रत्येक अभ्यार्थी को दी गयी धनराशि के आंकड़े मेरे पास हैं। एक को अब तक ९०० रु० दिये गये है, दूसरे को १,२०० रु० दिये गये हैं......

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक अभ्यार्थी की धनराशि बताने की आवश्यकता नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास: यह जो आठ विद्यार्थियों को जिनको यह छात्र-वृत्ति दी गई है वे किस किस प्रदेश के हैं और किस विषय पर उनको छात्र-वृत्ति दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†डा० म० मो० दास : आंध्र, आसाम, मद्रास, पेप्सू, कुर्ग, मनीपुर तथा कच्छ राज्यों में एक एक अभ्यार्थी को छात्र-वृत्ति दी गई है। त्रावनकोर-कोचीन राज्य में तीन छात्र-वृत्तियां दी गईं थीं, परन्तु एक ने छात्र-वृत्ति लेने से इन्कार कर दिया जब कि दूसरे को कम अर्हता होने के कारण किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल सका।

†श्री वीरस्वामी : इस योजना में मद्रास राज्य को कितने अभ्यार्थियों को छात्र-वृत्ति दी गई ?

†डा० म० मो० दास : एक।

†श्री म० कु० मैत्र : ये प्रशिक्षार्थी क्या किसी अन्य विश्वविद्यालय में रखे गये हैं अथवा किसी गैर-सरकारी संस्था में रखे गये हैं ? अभ्यार्थियों की न्यूनतम अर्हता क्या है ?

†डा० म० मो० दास : ये सामान्यतः बी० ए० पाठ्यक्रम अथवा एम० ए० पाठ्यक्रम अथवा पी० एच० डी० हैं। ये किसी मान्य कालिज अथवा विश्वविद्यालय में रखे गये हैं।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या हिन्दी भाषा जिन स्थानों में नहीं बोली जाती है, उन स्थानों के कुछ विद्यार्थी सरकार ने हिन्दी के अध्ययन के लिये विदेश भेजे हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : हिन्दी का अध्ययन विदेश में ?

†डा० म० मो० दास : सरकार ने कुछ छात्र-वृत्तियां विदेशों में विदेशी भाषा सीखने के लिये दी हैं, भारतीय भाषायें सीखने के लिये नहीं।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : वे भारतीय भाषायें सीखने के लिये विदेश भेजे गये हैं।

†श्री ब० स० मूर्ति : जैसे संस्कृत।

हैदराबाद तथा मैसूर का पुनर्गठन

†*११६९. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के मुख्य मंत्री द्वारा नियुक्त हैदराबाद, मद्रास, बम्बई तथा कुर्ग के मंत्रियों की समिति ने हैदराबाद को विघटित करने तथा मैसूर में कर्नाटक के भाग को मिलाने से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में अपनी कार्यवाही को पूरा कर लिया है; और

(ख) क्या कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं।

(ख) कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। परन्तु समिति द्वारा दिये गये निर्णय जानकारी के लिये सरकार को भेज दिये गये हैं।

†श्री कृष्णाचार्य जोशी : समिति ने किन मुख्य प्रश्नों पर विचार किया था और क्या उत्तरदायित्वों के प्रश्न पर भी विचार किया गया था ?

†श्री दातार : जिन प्रश्नों पर समिति में विचार किया गया तथा जो प्रश्न विचाराधीन हैं वह ये हैं: पदाधिकारियों का नाम निर्देशन, अखिल भारतीय सेवा पदाधिकारियों का आवण्टन, तीन अथवा चार आयुक्तों के डिवीजनों का नये राज्यों में चुनाव, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण, विधियों तथा कुछ अन्य बातों की स्वीकृति।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या माननीय मंत्री हमें यह बताने की स्थिति में होंगे हैदराबाद के विघटन के पश्चात् तथा मैसूर राज्य के एकीकरण के पश्चात्, मैसूर का राज्यपाल कौन होगा तथा एकीकरण के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन होगा, मेरा अर्थ अवशिष्ट राज्य से है ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि निर्णय करने का समय अभी नहीं आया है।

हंडयाया नगर

†*११७१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेप्सू के धंसते हुये नगर हंडयाया के निवासी उनसे १६ मार्च, १९५६ को मिले थे तथा उन्हें एक ज्ञापन दिया था जिस में प्रार्थना की गई थी कि नगर को शीघ्र दूसरे स्थान पर ले जाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में मुख्य प्रार्थना प्रभावित व्यक्तियों को रेलवे स्टेशन के निकट सुरक्षित स्थान पर ले जाने के सम्बन्ध में थी। रेलवे स्टेशन के निकट एक आदर्श नगर बनाने की योजना बनाई गई है तथा राज्य सरकार उस पर विचार कर रही है। शीघ्र ही निर्णय होने की आशा है ?

†**श्री झूलन सिंह** : क्या धंसी हुई जमीन पर अब भी लोग रह रहे हैं ?

†**श्री दातार** : बहुत थोड़ी संख्या में रह रहे हैं। कुछ अन्य व्यक्ति जो उस स्थान को छोड़ना चाहते थे उस स्थान को छोड़ चुके हैं।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या इन प्रभावित व्यक्तियों को अन्य अच्छे तथा सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**श्री दातार** : यही मैंने अभी बतलाया। एक आदर्श नगर बनाया जा रहा है तथा १२ लाख रुपया का ऋण दिया जाएगा।

मनीपुर में भूख से मृत्यु

†*११७२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के तोमंग लौंग पर्वतीय सब-डिवीजन के आदिम जाति नेताओं ने भारत सरकार को एक प्रतिनिधान भेजा है जिसमें शिकायत की गई है कि मनीपुर की सरकार द्वारा नियुक्त आदिम जाति पदाधिकारियों का, ३३ व्यक्तियों की कथित भूख से मृत्यु की जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन गलत था, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). एक याचिका, जिस पर कि ८ पर्वतीय व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, भारत सरकार को मिली है। याचिका के औचित्य पर संदेह के कारण हैं तथा मामले की जांच हो रही है।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या सरकार को यह जानकारी है कि मनीपुर की सरकार ने, उस क्षेत्र में नियुक्त पदाधिकारियों को कठोर तथा गुप्त आदेश दे दिये थे कि भूख से मरे व्यक्तियों को प्राकृतिक मृत्यु से मरे बतायें और यदि हां, तो राज्य सरकार स्थिति की सत्यता को छिपाने का प्रयास क्यों कर रही थी तथा भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार** : मुझे खेद है कि प्रश्न में निहित आक्षेप बिलकुल स्वीकार्य नहीं है। यह राज्य सरकार के लिये संभव नहीं है कि ऐसे गुप्त परिपत्र परिचालित करे तथा दूसरे जब भी शिकायत प्राप्त हुई उस पर पूर्ण ध्यान दिया गया।

†**श्रीमती खोंगमेन** : क्या सरकार को यह जानकारी है कि मनीपुर में अकाल ग्रस्तता के मामले हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दुखी व्यक्तियों को खाना भेजा है तथा कोई सहायता इनको दी गई है ?

†**श्री दातार** : जहां भी कमी की स्थिति होती है, सरकार उस क्षेत्र में शीघ्रता से खाना भेजने का प्रबन्ध करती है।

†**श्री रिशांग किशिंग** : उन ३३ व्यक्तियों के नाम तथा पते, जो भूख से मरे थे, प्रतिनिधान के साथ भेजे गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को उन व्यक्तियों के नाम तथा पते प्राप्त हुये हैं और यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है तथा जिन्होंने जांच की उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न पर कितने अनुपूरक प्रश्न होंगे ? माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था कि वह माननीय मंत्री को व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित कोई याचिका मिली है ?

†**श्री दातार** : एक प्रतिनिधान प्राप्त हुआ था तथा उस प्रतिनिधान के औचित्य पर संदेह था। यह पाया गया कि इस प्रतिनिधान पर कुछ कथित हस्ताक्षर कर्त्ताओं ने स्वयं घोषित कर दिया है कि वह इस प्रतिनिधान में शामिल नहीं हैं तथा उन्होंने इस पर हस्ताक्षर भी नहीं किये हैं। इस पर भी हम जांच कर रहे हैं तथा एक सब-डिवीजन पदाधिकारी को इस काम के लिये विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। वह कुछ गांवों में गया है तथा वह अन्य क्षेत्रों में भी जाएगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा दी गयी तथा उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों के स्थान पर प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी में विभिन्नता होने की दृष्टि में क्या मैं जान सकती हूं कि क्या भारत सरकार कोई जांच समिति स्थापित करने का विचार कर रही है जो केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों के आरोपों की जांच करेगी ?

†**श्री दातार** : वह क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार के अधीक्षण में है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मरे व्यक्तियों की संख्या में वैभिन्य नहीं हैं, परन्तु आरोप यह है कि वे भूख से मरे हैं। इसी प्रश्न की छानबीन हो रही है।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या मैं जान सकता हूं .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं और अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री रिशांग किशिंग** : यह एक गंभीर मामला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूं कि यह गंभीर मामला है। एक आरोप है जिसको और व्यक्तियों ने एकदम गलत बताया है। मैं क्या कर सकता हूं ?

†**श्री रिशांग किशिंग** : ये आरोप माने जाते हैं ......

†**अध्यक्ष महोदय** : बार बार यह आरोप लगाये जाते हैं। यदि सरकार यह कहती है कि यह आरोप एकदम गलत हैं तो क्या मैं प्रत्येक प्रश्न की अनुमति देता रहूं ?

†**श्री रिशांग किशिंग** : जब उचित सुविधायें नहीं दी जाती हैं तो हमें सरकार के समक्ष आना पड़ता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है मृत्यु हुई हों। सरकार जांच कर रही है। मैं एक और प्रश्न की अनुमति देता हूं।

†**श्री रिशांग किशिंग** : केवल यही व्यक्ति नहीं परन्तु कुछ मैंदानों के तथा पर्वत के व्यक्तियों ने एक समिति बनाई थी तथा वह उस क्षेत्र को भेजे गये थे। उन्होंने प्रतिनिधान भेजा कि भूख से मृत्यु हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने भारत सरकार को भी प्रतिनिधान की प्रतियां भेजी हैं और यदि हां, तो इस मामले की गंभीरता की दृष्टि में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

†**श्री दातार** : मुझे ऐसी समिति तथा उसके प्रतिवेदन की कोई जानकारी नहीं है। पर मैं जांच करने को तैयार हूं तथा सभा को आश्वासन देता हूं कि मृत्यु तथा विशिष्टता भूख से मृत्यु न होने के लिये सभी कार्य किये जा रहे हैं। भूख से कोई मृत्यु नहीं हुई हैं।

†**श्री रिशांग किशिंग** : मैं जानना चाहता हूं......

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार ने जांच करने का वादा कर लिया है। इस लिये माननीय सदस्य को जानना चाहिये.....

†**श्री रिशांग किशिंग** : इस बात की दृष्टि में कि भूख....

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बताया जा चुका है कि सरकार जांच करेगी। माननीय मंत्री ने बताया कि वह पदाधिकारी केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारी हैं। मैं नहीं जानता कि वे पदाधिकारी मृत्यु की चीज़ क्यों छिपायेंगे ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या इस मामले की जांच के लिये समिति नियुक्त करना उचित नहीं है?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को यह याद रखना चाहिये कि इसके लिये प्रश्न काल उचित समय नहीं है। कितने ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य तीन-चार वर्ष से यहां हैं। वह एक संकल्प प्रस्तुत करें कि एक समिति नियुक्त होनी चाहिये।

†**श्री रिशांग किशिंग** : सरकार ने कहा है.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। प्रश्न काल केवल जानकारी जानने के लिये है तथा सुझाव के लिये नहीं है। यदि माननीय सदस्य माननीय मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो पूछने के विभिन्न तरीके हैं। वह एक प्रस्ताव अथवा संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं तथा समिति नियुक्त कर सकते हैं। यदि वह सरकार से संतुष्ट नहीं हैं तो वह जांच के लिये एक संसद समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। वह एक ही प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका उत्तर सरकार नकारात्मक दे रही है। हम क्या कर सकते हैं? हम प्रश्न काल का प्रयोग करके सरकार को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को यह बता रहा हूं। इसलिये केवल प्रश्न काल की नहीं अपितु कुछ जानकारी हासिल करने के कितने ही और तरीके भी है।

अस्पृश्यता

†*११७४. **श्री तिम्मय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कुछ दिन पूर्व निर्देश भेजे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये निर्देश किस प्रकार के हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) जून १९५५ में राज्य सरकारों को निर्देश भेजे गये थे।

(ख) (१) राज्य सरकारों से मुख्य कार्यालयों पर छोटी समितियां नियुक्त करने की प्रार्थना की गई थी जिससे मामले पर अर्थात् ध्यान दिया जा सके ; और

(२) उनसे यह भी प्रार्थना की गई कि अधिनियम के अधीन अधिकारों का दुरुपयोग करने की संभावना के परित्राण स्वरूप उचित आदेश जारी कर दें।

†श्री तिम्मय्या : कितने राज्यों ने इन समितियों की नियुक्ति की है और क्या सरकार ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के कार्यान्वित किये जाने के बारे में कोई प्रतिवेदन मांगा है ?

†श्री दातार : मेरे पास जितनी जानकारी है उससे पता लगता है कि नौ राज्य इन समितियों की नियुक्ति कर चुके हैं। किन्तु इन समितियों के कार्यापन के बारे में हमें अभी तक कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

†श्री तिम्मय्या: क्या सरकार को विदित है कि लोग यहां तक कि पुलिस पदाधिकारी भी इस अधिनियम के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते हैं और वे इस अधिनियम को बिल्कुल प्रवर्तित नहीं कर सकते हैं ?

†श्री दातार : माननीय सदस्य को बिल्कुल गलत सूचना मिली है। जहां तक इस अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि स्वयं हमने हिन्दी और अंग्रेजी में इसकी दो लाख प्रतियां जारी की हैं। इसके अतिरिक्त मराठी, गुजराती तथा अन्य दूसरी भाषाओं में इश्तिहार प्रकाशित किये गये हैं और अनेक राज्यों के पदाधिकारियों को विशेषकर पुलिस पदाधिकारियों और संगठनों को इसकी प्रतियां भेजी गयी हैं।

†श्री धुसिया : क्या केन्द्रीय सरकार को कुछ राज्य सरकारों से इस अधिनियम को लागू करने में अनुभव की गई कठिनाइयों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्री दातार : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को लगभग दस शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तीन के बारे में राज्य सरकारों से आपस में मामला तय हो गया है। अन्य शिकायतों के बारे में प्रतिवेदन मांगे जा रहे हैं।

†श्री ब० स० मूर्त्ति : क्या सरकार इस अधिनियम के कार्यकरण पर राज्य सरकारों से त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक प्रतिवेदन मांग रही है, और यदि हां, तो कितने राज्य इस प्रार्थना की पूर्ति कर रहे हैं ?

†श्री दातार : हमें ऐसे कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं। वस्तुतः राज्य सरकारों से ये समितियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं और अधिनियम किस प्रकार लागू किया जा रहा है, हम इस बारे में प्रतिवेदन पाने की आशा कर रहे हैं।

†श्री वीरस्वामी : माननीय मंत्री ने कहा है कि नौ राज्यों ने ऐसी समितियां स्थापित की हैं। क्या मद्रास राज्य ने भी ऐसी समिति की स्थापना की है। इस अधिनियम के अधीन कितने मामले पंजीबद्ध किये गये तथा कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया।

†श्री दातार : मद्रास भी उन नौ राज्यों में से एक है जो जिला मुख्यालयों में समितियां स्थापित कर चुके हैं। और अधिक ब्योरा हमें राज्य सरकारों से नहीं प्राप्त हुआ है।

†श्री काजरोलकर : इन अभिकरणों और प्रचारकों के साथ सवर्ण हिन्दुओं द्वारा बुरा व्यवहार करने के बारे में क्या गैर-सरकारी अभिकरणों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री दातार : गृह-कार्य मंत्रालय को ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

† श्री बालकृष्णन : मद्रास राज्य के इस प्रकार की समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं?

†श्री दातार : मेरे पास उनके नाम नहीं हैं।

मध्य एशिया में बुद्ध मंदिर

† *११७५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मध्य एशिया (रूस) में पाऐ गये बौद्ध मन्दिर और मूर्तियों का अध्ययन करने के लिये सरकार पुरातत्वेत्ताओं को भेजने का विचार करती है?

†शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : जी नहीं ।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पुरातत्व के सङ्घ विभाग को हाल में मध्य एशिया (रूस) में पता पाए गये बौद्ध मन्दिर और मूर्त्तियों के बारे में ज्ञात नहीं है और खोज में पाई गई उन वस्तुओं का अध्ययन करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

†श्री रघुनाथ सिंह: अभी पीछे अखबारों में यह समाचार छपे थे कि रूस में ऐसे पांच छः स्थान हैं जहां पर कि पुराने जमाने की कुछ चीजें पाई गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके अन्वेषण के लिये कोई आदमी यहां से भेजे जायेंगे ?

†डा० म० मो० दास : यदी माननीय सदस्य बहुत इच्छुक हों तो हम अपने मास्को दूतावास को लिख कर सचाई का पता लगा सकते हैं।

†डा० स० ना० सिंह : क्या वहां से तस्वीरें मंगाने की भी आप कोशिश करेंगे ?

†डा० म० मो० दास : हम अपने मास्को दूतावास को लिखेंगे और पाई गई इन पुरातत्वीय वस्तुओं के बारे में सचाई का पता लगवा लेंगे। यदि वास्तव में हाल में कुछ चीजे मिली हैं, तो हम विस्तृत जानकारी मांग सकते हैं।

†डा० रामा राव : माननीय उपमंत्री ने अभी अभी कहा : यदि माननीय सदस्य जानने के इच्छुक हैं तो मंत्रालय दूतावास को लिख देगा। यह सूचना तो समाचार-पत्रों में प्रकाशित भी हो चुकी है। क्या मैं इससे यह समझूं कि पुरातत्व विभाग जो कुछ चारों ओर हो रहा है उसके प्रति सजग नहीं रहता? क्या मंत्रालय ने कम से कम यहां के सोवियत दूतालय को लिख कर इस बारे में जानकारी प्राप्त की है?

†डा० म० मो० दास : सरकार के लिये यह सदैव सम्भव नहीं होता कि वह केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर ही कोई कार्यवाही करे।

†श्री रघुनाथ सिंह : श्रीमान, ...

†अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न का उत्तर पर्याप्त नहीं मिला है?

श्री रघुनाथ सिंह: क्या इस सम्बन्ध में अपने सोवियत एम्बेसी (दूतावास) से कोई इन्क्वायरी (पूछताछ) की है?

†डा० म० मो० दास : वह हम करने जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

आस्तियों का विदेशों को स्थानान्तरण

†*११७६. **श्री रा० प्र० गर्ग :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों को अधिक मात्रा में आस्तियों के स्थानान्तरण करने पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) :** जहां तक सरकार को विदित है, आस्तियों का ऐसा स्थानान्तरण नहीं हो रहा है। विदेशी विनिमय अधिनियम, १९४७ के अधीन रिजर्व बैंक की पूर्व सहमति बिना ऐसा कोई स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता।

†**श्री रा० प्र० गर्ग :** क्या सरकार को विदित है कि कुछ राजकुमार गुप्त उपायों द्वारा विदेशों की अपनी आस्तियों का स्थानान्तरण वहां बसने की दृष्टि से कर रहे हैं ?

†**श्री अ० चं० गुह :** विदेशी विनिमय विनिपत्र अधिनियम के अधीन भारत से बाहर आस्तियों के ऐसे किसी अनधिकृत स्थानान्तरण पर अर्थदण्ड अथवा दो वर्ष तक की कैद अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। ऐसे आदान-प्रदान में पकड़ी गई वस्तुयें जब्त भी की जा सकती हैं। मैं नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य को क्या जानकारी प्राप्त है। यदि वह जानकारी हमें दे दें तो हम देखेंगे कि सरकार क्या कार्यवाही कर सकती है।

†**श्री रा० प्र० गर्ग:** क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने कुछ राजकुमारों को उनकी आस्तियों के स्थानान्तरण करने के लिये अनुमति दे दी है और क्या सरकार को यह भी विदित है कि कुछ राजकुमारों ने विदेशों में बसने के लिये वहां कुछ भूमि खरीद ली है ?

†**श्री अ० चं० गुह :** ऐसा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की अनुमति से किया गया होगा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया निश्चय ही हमारे विदेशी विनिमय के रक्षण का इच्छुक है और वह हमारे विदेशी विनिमय को इस प्रकार व्यर्थ ही नष्ट नहीं होने देगा।

†**श्री रा० प्र० गर्ग :** श्रीमान क्या मैं जान सकता हूं...

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य कोई उदाहरण विशेष जानते हों तो वह उसे माननीय मंत्री को बता सकते हैं।

†**श्री अ० चं० गुह :** मैं पहले ही यह कह चुका हूं।

†**श्री जोकीम आल्वा:** क्या सरकार हमें बताएगी कि अपनी आस्तियों को विदेशों में स्थानान्तरित करने के लिये भारतीय नागरिकों ने क्या गुप्त तरीके अपनाये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** बाहरी जनता के लाभ के लिये जिससे वे भी इन्हें अपना सकें ?

कलात्मक वस्तुएं

†*११७७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा १९५६ में अब तक कितनी संख्या में कलात्मक वस्तुएं खरीदी गई हैं ; और

(ख) इस पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) पांच सौ पैंसठ।

(ख) १,२३,३७० रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इन वस्तुओं का चुनाव कोई समिति करती है अथवा इनका क्रय स्वविवेक से किया जाता है ?

†**डा० म० मो० दास** : कलाक्रय समिति नामक एक समिति है जिसकी सिफारिशों और सुझावों पर क्रय किया जाता है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं समिति के सदस्यों के नाम जान सकता हूं ?

†**डा० म० मो० दास** : १९५६ की कला क्रय समिति के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं :

(१) श्री राय कृष्ण दास, बनारस

(२) श्री कार्ल जे० खण्डालवाला, बम्बई

(३) श्री मोवी चन्द्र, बम्बई

(४) श्री ख्वाजा मुहम्मद अहमद, हैदराबाद

(५) श्री जी० वेंकटाचालम, बंगलौर

(६) श्री सुरेन्द्रनाथ कार, शान्तिनिकेतन

(७) श्री एस० एस० पटवर्द्धन, नागपुर।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इन कला वस्तुओं के जिनका क्रय किया जाता है, परिरक्षण के लिये कोई उपाय किये गये हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : निश्चय ही वे परिरक्षण के लिये ही हैं। ये वस्तुएं हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय तथा आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी के लिये क्रय की जाती हैं।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : कला की वस्तुओं का चुनाव करने के लिये क्या यह समिति विभिन्न राज्यों का दौरा करती है ?

†**डा० म० मो० दास** : जी हां, कभी-कभी ये लोग देश के भिन्न-भिन्न भागों में जाते हैं।

सेठ गोविन्द दास : यह चीजें जो खरीदी जाती हैं, इनका मूल्य निर्धारण कौन करता है; यही कमेटी करती है या कोई दूसरा करता है ?

†**डा० म० मो० दास** : प्रमुख रूप से तो समिति सिफारिश करती है, किन्तु आभूषणों के सम्बन्ध में ख्यातिप्राप्त आभूषण विक्रेताओं से परामर्श करना आवश्यक हो जाता है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इन वस्तुओं में से एक वस्तु के लिये अधिक से अधिक कितना मूल्य दिया गया है ?

†**डा० म० मो० दास** : इनमें एक 'तराशा हुआ पन्ना' है जिस पर भगवान शिव और पार्वती के प्रतिरूप अंकित हैं जिसका मूल्य १२,००० रुपये है। 'तुजुके जहांगीरी'––जहांगीर के संस्मरण-नामक एक पाण्डुलिपि है। हमारे विशेषज्ञों ने निश्चित किया है कि यह स्वयं शहंशाह का लिखा हुआ है। इसका मूल्य १०,००० रुपये है।

वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

†*११७८. **श्री साधन गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य, कपड़ा तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में अप्रैल, १९५५ से वृद्धि हो गई है;

(ख) ऐसी वृद्धि होने से पश्चिमी बंगाल राज्य पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) ऐसी वृद्धि का प्रभाव किन-किन वस्तुओं पर तथा प्रत्येक वस्तु पर कहां तक पड़ा है; और

(घ) इस वृद्धि के क्या कारण हैं?

†**राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) जी हां।

(ख) (१९.४९ को १०० के बराबर मानकर) कलकत्ता के श्रमजीवी वर्ग का उपभोक्ता के देशनांक अप्रैल, १९५५ से मई, १९५६ में ५९ से बढ़ कर ९८ हो गये हैं।

(ग) अप्रैल, १९५५ से खाद्यान्नों के देशनांक में ५८.६ प्रतिशत और औद्योगिक कच्चे माल में २४·६ प्रतिशत वृद्धि हो गई है। अर्द्धनिर्मित वस्तुओं के मूल्यों में २१·३ प्रतिशत जबकि निर्मित वस्तुओं में उससे कहीं कम—केवल २.४ प्रतिशत वृद्धि हुई है। अलग अलग वस्तुओं के मूल्यों में उतार चढ़ाव सम्बन्धी ब्योरा भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा साप्ताहिक जारी किये गये "भारत में थोक मूल्यों के देशनांक" में उपलब्ध नहीं है।

(घ) अप्रैल १९५५ से मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण खाद्यान्नों के उत्पादन विशेषकर मोटे अनाज में कुछ कमी, आय में वृद्धि तथा देश में विकास सम्बन्धी व्यय में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप क्रय शक्ति में वृद्धि होना हैं। खाद्यान्नों के मूल्यों में इस वृद्धि का उत्तरदायित्व कुछ सीमा तक वायदा व्यापार पर भी है। स्मरण रखना चाहिये कि मूल्यों में हाल की वृद्धि, जो मुख्यतया कृषि सम्बन्धी पदार्थों तक सीमित है, कुछ हद तक १९५४-५५ के आरम्भ में मूल्यों के तेजी से गिरने को बचाने वाली सिद्ध हुई।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में माननीय मन्त्री ने कहा कि मूल्यों में पहले जो अत्यधिक कमी हुई थी यह वृद्धि कुछ हद तक उसे रोकने में लाभदायक सिद्ध हुई। मैं जानना यह चाहता हूं कि मन्त्री जी के कथन का आधार क्या है। क्या माननीय मन्त्री को यह भी विदित है कि खाद्य और कृषि मन्त्री ने इससे पहले दिन इस सभा में वक्तव्य देते हुये कहा था कि ऐसा मुद्रास्फीति के दबाव और नोट छाप कर वित्त व्यवस्था करने के कारण हुआ। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यह दोनों वक्तव्य एक दूसरे के कहां तक समर्थक हैं?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं समझता हूं कि मुझे पहले उनके प्रश्न के अन्तिम भाग अर्थात् मुद्रास्फीति वाले रुख के सम्बन्ध में उत्तर देना चाहिये। मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं कि देश में विकास सम्बन्धी व्ययों का बढ़ जाना मुख्य कारणों में से एक था। निश्चय ही नोट छापकर वित्त व्यवस्था करने मे जितनी राशि व्यय हुई होगी उसमें वह भी सम्मिलित होगा।

मैं कहना चाहूंगा कि इस वर्ष नोट छापकर बहुत ही कम वित्त व्यवस्था की गई है, क्योंकि पहले चार महीनों में पिछले वर्ष समनुवर्ती काल में लगभग ३२ करोड़ की कमी वाले आय-व्ययक की तुलना में इस वर्ष लगभग १० करोड़ रुपये की आय-व्ययक में बचत हुई है।

तत्पश्चात् यह पूछा गया है कि और यह कैसे कह सकता हूं कि तेजी से गिरने वाले मूल्यों को रोकने के लिये यह लाभदायक सिद्ध हुआ है। यदि खाद्य पदार्थों के पिछले चार-पांच वर्षों के देशनांकों की तुलना की जाय तो पता चलेगा कि जून १९५० में यह ४०७ था; अप्रैल १९५४ में ३८९; जून १९५५ में २७७ रह गया; मार्च १९५६ में बढ़कर ३५९ हो गया; मई १९५६ में ३४८ था; अब यह ३८६ है जो फिर भी अप्रैल, १९५४ से कम है। मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य यह सुझाव नहीं देंगे कि जून या अप्रैल १९५४ में २७७ के हिसाब से या उसके आस-पास जो मुल्य प्रचलित थे, कृषि के लिये आर्थिक रूप से लाभ-प्रद मूल्य होंगे।

†**श्री साधन गुप्त** : भाग (ग) के सम्बन्ध में मंत्री जी ने मुझे यह नहीं बताया कि उपभोक्ता वस्तुओं पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा था क्योंकि मैंने उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में पूछा था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री अ० चं० गुह : मैं उनकी बात समझ नहीं सका।

†श्री साधन गुप्त : मैंने विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कपड़ा के बारे में पूछा था, जबकि उन्होंने अपने उत्तर में औद्योगिक कच्चे माल तथा अन्य बहुत सी चीजों को एक ही श्रेणी की वस्तुओं में रख दिया है। अतः मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में आंकड़े हैं और किन-किन उपभोक्ता वस्तुओं पर इसका प्रभाव पड़ा हैं।

†श्री अ० च० गुह : मैंने अपने उत्तर के भाग (ग) में बता दिया है कि अप्रैल १९५५ में खाद्यान्नों का देशनांक ४८·६ प्रतिशत बढ़ा है, औद्योगिक कच्ची वस्तुओं का देशनांक २४·६ प्रतिशत, अर्ध निर्मित वस्तुओं का २१·३ प्रतिशत तथा निर्मित वस्तुओं का देशनांक केवल २·४ प्रतिशत बढ़ा है। मेरे विचार में यही उपभोक्ता वस्तुयें हैं जिनका कि माननीय सदस्य ने निर्देश किया है।

†श्री साधन गुप्त : ऐसा कहा गया है कि यह वृद्धि विकास व्यय में बढ़ती के कारण हुई है और माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि इस वर्ष के प्रारम्भ से ही घाटे की अर्थ-व्यवस्था का अधिक आश्रय नहीं लिया गया हैं। तब भी क्या यह ठीक है कि जनवरी, १९५६ से ही उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है?

†श्री अ० चं० गुह : मेरे विचार में यह मूल्य वृद्धि मार्च १९५६ से हुई है। किन्तु यह सब घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण ही नहीं हुआ है। किन्तु इसके अन्य कारण भी हैं जैसे पिछले दो वर्षों में खाद्यान्नों की कम उत्पत्ति होना तथा सह-व्यापार आदि। इसके अतिरिक्त कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा कृषि पदार्थों का अवध संग्रह भी इसका एक कारण है।

†श्री साधन गुप्त : इस बात का ध्यान करते हुये कि लोगों को कीमतों की बढ़ती से बड़ी कठिनाई हो रही है उनकी वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

†अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। वह इससे पहले एक बार बता चुके हैं कि रक्षित बैंक इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही कर रहा है। किन्तु फिर भी अगर माननीय मंत्री इसका उत्तर देना चाहें तो वह उत्तर दे सकते हैं।

†श्री अ० चं० गुह : मैंने उस दिन इस प्रश्न का उत्तर दिया था और यह कहा था....

†अध्यक्ष महोदय : हमें मालूम है तब आपने क्या कहा था। क्या आप उसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं?

†श्री अ० चं० गुह : मुझे इस सम्बन्ध में सिवाय इसके और अधिक कुछ नहीं कहना कि घाटे की अर्थ व्यवस्था जैसे कुछ वित्तीय उपायों अथवा राजस्व के सामान्य संसाधनों से विकास व्यय करने के कारण जो वृद्धि हुई है उसके सम्बन्ध में हम रक्षित बैंक की मार्फत प्रत्यय को कम करने के लिये कुछ कदम उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय उपाय भी कर रहे हैं।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अभी अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि यह वृद्धि घाटे की अर्थ व्यवस्था के कारण नहीं हुई है। क्या सरकार ने यह ज्ञात करने का प्रयास किया है कि जो अतिरिक्त मुद्रा चालू की गयी है उसमें से कितनी उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय. में लगायी गयी है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उत्तर दे सकती है?

†श्री अ० चं० गुह : यह बताना सम्भव नहीं है कि इसमें से कितनी मुद्रा उपभोक्ता वस्तुओं में लगायी गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जब आप यह नहीं जानते हैं तो आप ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला है ? आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि का कारण घाटे की अर्थ व्यवस्था नहीं है ?

†**श्री बंसल** : क्या यह ठीक है कि पिछले पांच या छः महीनों से सामान्य देशनांक प्रतिमास एक दो अंक बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार के पास मूल्यों को किसी विशेष स्तर पर स्थिर करने के लिये कोई निश्चित नीति है तथा वह किस स्तर पर उन्हें स्थिर करना चाहती है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : यदि माननीय सदस्य ने योजना आयोग का प्रतिवेदन ध्यान से पढ़ा होता तो उन्हें स्वयं ही पता चल सकता था कि सरकार तथा योजना आयोग को कीमतों को नियन्त्रण में रखने की कितनी चिंता है। हमें इस बात का भी ज्ञान था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यों पर व्यय के कारण मुद्रा-स्फीति होगी और योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ परिशोधक तथा निरोधक उपायों का सुझाव भी दिया था। सम्भवतः निकट भविष्य में ही सरकार इस सम्बन्ध में कोई निश्चित वक्तव्य दे।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सत्य है कि पिछले नवम्बर से हमारा खाद्यान्नों का प्रत्यारोधक स्कन्ध कम हो रहा है ? क्या इस कारण तो कीमतों की वृद्धि नहीं हो रही है कि हमारे पास पर्याप्त प्रत्यारोधक स्कन्ध नहीं है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : यह ठीक नहीं है। हम निरन्तर विदेशों से स्कन्ध प्राप्त कर रहे हैं

स्विट्जरलैंड में भारतीय वानस्पतिक नमूने

†***११७९. श्री मादिया गौडा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने अपने यहां के भारतीय वानस्पतिक नमूने जिनकी संख्या लगभग ५०,००० है बिना मूल्य के देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में उन नमूनों का कैसे उपयोग किया जायेगा ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). जी नहीं। किन्तु स्विट्जरलैंड की सरकार भारत सरकार को अपने यहां के वेलिशयन पौदों का दोहरा संग्रह देने को तैयार है। उनकी ठीक ठीक संख्या हमें अभी तक नहीं ज्ञात है। जिस समय के नमूने मिल जायेंगे उन्हें प्रयोग के लिये केन्द्रीय राष्ट्रीय जड़ी-बूटी संग्रहालय में रखा जायेगा।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या इन नमूनों के स्थानान्तरण के बारे में कोई शर्त रखी गई है। यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, नहीं, इस बारे में कोई खास शर्त नहीं हैं। स्विट्जरलैंड मे नमूनों के संग्रह हैं। इन संग्रहों में से एक सैट प्राप्त करने के लिये हम स्विस सरकार से बातचीत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि शीघ्र ही हमें वह मिल जायेंगे।

†**श्री मादिया गौडा** : किन उद्देश्य अथवा कारणों से स्विस सरकार इन नमूनों का, जिनको उसने सम्भवतः काफी रुपया व्यय करके एकत्रित किया है, स्थानान्तरण कर रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : गत शताब्दि में डाक्टर डेनियल वालशीयन द्वारा इकट्ठे किये गये संग्रह लन्दन को और यूरोप में पौधे सुरक्षित रखने वाले अन्य स्थानों में भेज दिये गये थे उन वर्षों में जिनेवा में कुछ पौधों का संग्रह किया गया था। कुछ वैज्ञानिकों को उनमें रुचि थी इस लिये वे

---

†मूल अंग्रेजी में।

उन्हें स्विट्जरलैंड में भी ला सके और स्विट्जरलैंड में अब वैलाशीयन के कई संग्रह हैं। भारत सरकार ने पहले खाद्य और कृषि मंत्रालय के द्वारा और फिर प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा उन वैलाशीयन संग्रहों को स्विस सरकार से प्राप्त करने का प्रयत्न किया है।

†**डा० रामा राव** : इन नमूनों को वे कहां रखेंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कलकत्ते के केन्द्रीय राष्ट्रीय पौधाशाला में।

धौलपुर गद्दी का उत्तराधिकार

†*११८०. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९ मई १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से धौलपुर गद्दी के उत्तराधिकार संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन भारत सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : राजाओं की गद्दियां समाप्त करने के पश्चात क्या सरकार ने उत्तराधिकार के बारे में कोई निश्चित सिद्धान्त बनाया है क्या वे उसे मानते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं।

†**श्री दातार** : इस सम्बन्ध में हमारे पास संविधान का अनुसरण करने का सिद्धान्त है।

त्रिपुरा

†*११८१. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, १९५६ के द्वारा त्रिपुरा के अनुसूचित आदिम जाति सूची से अगरतला से त्रिपुरा को हटाने के बारे में त्रिपुरा के आदिम जाति संगठनों और व्यक्तियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) यह विषय विचाराधीन है।

†**श्री दशरथ देव** : क्या कारण है कि आदिम जातियों के इस छोटे भाग को छोड़ा जा रहा है जब कि उसी जाति का शेष भाग अभी भी अनुसूचित आदिम जाति समझा जाता है।

†**श्री दातार** : भारत सरकार को प्राप्त जानकारी के आधार पर यह किया गया था। परन्तु हमें अब अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं और अब सरकार सारे प्रश्न पर विचार कर रही है।

†**श्री दशरथ देव** : क्या सरकार को त्रिपुरा सरकार से और त्रिपुरा सरकार के मंत्रणा-दाता से भी कोई राय मिली है ; और यदि हां तो वह राय क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार** : हमें त्रिपुरा सरकार और मंत्रणादाता की राय भी मिली हैं जब विधेयक संसद के समक्ष आयगा तो इस प्रश्न पर विचार करते समय उन रायों पर विचार किया जायेगा।

†**श्री दशरथ देव** : रायें क्या हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : रायें यहां नहीं बताई जायेंगी।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या अन्य क्षेत्रों से इस विधेयक के अधीन विभिन्न जातियों को सम्मिलित करने और हटाने के बारे में सरकार से प्रार्थना की गई है।

†**श्री दातार** : सरकार को बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। वह उन सब पर विचार कर रही है। यदि यह मालूम पड़ता है कि कुछ पर विचार किया जाना चाहिये तो विधेयक में आवश्यक संशोधन कर दिये जायेंगे।

†**श्री तिम्मय्या** : यह निश्चित करने के लिये कि एक जाति अनुसूचित जाति है अथवा नहीं पिछड़े वर्ग आयोग ने क्या आधार अपनाया है? यदि किसी जाति को अनुसूचित जाति मानने का आधार अस्पृश्यता था तो क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि अनुसूचित जातियों की सूची में कोई ऐसी जाति सम्मिलित न कर ली गई हो जो कि अछूत नहीं समझी जाती थी?

†**श्री दातार** : जब विधेयक सभा पटल पर रखा जायेगा तो माननीय सदस्य को आधार मालूम हो जायेगा।

गूजर जाति का पुनर्वास

†*११८२. **श्री काजरोल्कर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४७ में विभाजन के परिणामस्वरूप दंगों में हिमाचल प्रदेश और हिमाचल की तलहटियों में रहनें वाले गूजर जाति के लोग विस्थापित हो गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि आर्थिक संकट होने पर भी वे पाकिस्तान नहीं गये और भारत के नागरिक बने रहे,

(ग) क्या यह सच है कि उनका अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है और वे अभी तक बंजारों की तरह रहते हैं; और

(घ) उनके शीघ्र पुनर्वास के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). १९४७ की गड़बड़ गूजर समुदाय के विस्थापन के प्रत्यक्ष कारण नहीं थे। किन्तु अस्थायी उपद्रवों के कारण बहुत से व्यक्ति काश्मीर तथा पाकिस्तान के निकटवर्ती राज्य क्षेत्रों में चले गये थे। आर्थिक कठिनाईयों तथा चरागाह सम्बन्धी सुविधाओं की कमी के कारण उनमें से बहुत से वापस आ गये।

(ग) इन गूजरों को उनकी वापसी के पश्चात राज्य सरकार नें उनके पुराने स्थानों पर बसा दिया है।

(घ) गूजरों के कल्याण के लिये राज्य सरकार कुछ योजनाएं बना रही है। ये योजनाएं अभी भारत सरकार के पास नहीं आई हैं।

†**श्री काजरोल्कर** : क्या गूजर परिवार को ऋण अथवा तदर्थ अनुदान के रूप में कोई वित्तीय सहायता दी गई है यदि हां तो इस प्रकार की सहायता और अनुदानों की कुल राशि कितनी है? किस अभिकरण के द्वारा इसका वितरण किया जाता है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार** : जहां तक कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन अब तक के व्यय का सम्बन्ध है मेरे पास उसके आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि गूजर अनुसूचित आदिम जाति नहीं माने जाते थे जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं नये संशोधन विधेयक के अनुसार, जो सभा के समक्ष रखा गया है गूजरों को अनूसूचित आदिम जाति में सम्मिलित करना है। इस विधेयक के पारित किये जाने की आशा में हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे गूजरों की हित सम्बन्धी योजनाएं भेजें ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस समुदाय का कोई अंश अब भी ऐसा रह गया है जिसे राज्यों में अभी तक नहीं बसाया गया है ?

†**श्री दातार** : न्यूनाधिक रूप में यह एक खानाबदोष समुदाय है। उनकी बहुत सी आवश्यकताएं हैं। यह आवश्यक है कि इनको अच्छी तरह बसाने के लिये कुछ करना चाहिये ।

†**श्री हेमराज**: अभी हाल में चम्बा के दौरे पर माननीय गृह-कार्य मंत्री नें गूजरों को अनुसूचित आदिम जाति घोषित किया था। क्या साथ के क्षेत्रों—कांगड़ा तथा शिमला जिलों—में रहने वाले गूजरों को भी अनुसूचित जाति घोषित किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य देखेगें कि विधेयक में चार अथवा पांच समुदायों को भी अनुसूचित आदिम जाति में शामिल किया जायगा ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : पहाड़ों में इन गूजरों के जानवरों की वजह से स्थानीय किसानों को बहुत तकलीफ होती है। क्या सरकार को यह मालूम है, और क्या इस कारण सरकार इनको तराई भावर में स्थान देने का विचार कर रही है।

†**श्री दातार** : मालूम नहीं ।

आदिम जाति कल्याण योजनाएं

† *११८३. **श्री संगण्णा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा चलाई आदिम जाति कल्याण योजनाओं को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्रियान्वित करने के लिये सम्बन्धित राज्यों द्वारा अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में किये गए उपबन्धों के अतिरिक्त किन्हीं राज्य सरकारों को अनुदान दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं ; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कितना अनुदान दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां। राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित आदिम जातीय कल्याण कार्यक्रमों के अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रम स्वीकृत किये गये हैं।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १७**]

†**श्री संगण्णा**: इन योजनाओं को चालू करने के लिये किन बातों पर ध्यान दिया गया है।

†**श्री दातार**: बहुत सी बातों पर ध्यान दिया जाता है जैसे उनकी दशा को सुधारना, कुटीर उद्योग, पीने के पानी की सुविधा, बीमारियों का उन्मूलन तथा अन्य बहुत सी ऐसी बातें जिनसे वे पीड़ित हैं ।

†**श्री संगण्णा** : इन योजनाओं को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उपबन्धों से अलग रखने के क्या कारण हैं ? क्या इन कार्यों को भारत सरकार करेगी अथवा राज्य सरकारें ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री दातार** : "इन्हें अलग रखा गया है" इससे माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है, यह मैं नहीं समझ सका। केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाएं राज्य सरकारों के अधिकरणों द्वारा चलाई जाती हैं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं को द्वितिय पंचवर्षीय योजना में क्यों नहीं सम्मिलित किया जाता ?

†**श्री दातार** : बहुत सी बातों पर और विशेषतः आदिम जाति के हितों का ध्यान रखा जाता है। अब सभी बातें अंतिम रूप से तय हो गई हैं। हम सम्पूर्ण योजना पर धन व्यय कर रहे हैं। राज्य सरकारें तो केवल अभिकरण मात्र हैं।

†**श्री दशरथ देव** : त्रिपुरा राज्य के निवासियों को इन योजनाओं को चलाने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री दातार** : मैंने यह जानकारी विवरण में दे दी है।

†**श्री जयपाल सिंह** : आदिम जातीय कल्याण कार्य योजनाओं के लिये दिये गये धन को दूसरे कार्यों में व्यय करने के बहुत से उदाहरण हैं। क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध करने के लिये कार्यवाही करेगी कि आदिम जाति कल्याण कार्य के लिये दिये गये धन को दूसरे कार्यमें व्यय न किया जाये ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि भारत सरकार की सहमति से आदिम जाति के कल्याण कार्य के लिये दिये गये धन में से कुछ धन अन्य कार्यों में व्यय कर लिया गया हो।

जिला और ताल्लुकों के नक्शे

† *११८४. **श्री क० कु० बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में जिला तथा थाना अथवा ताल्लुकों के मानचित्र सुरक्षा की दृष्टि से जनता को नहीं बेचे जाते ;

(ख) यदि हां तो ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है ; और

(ग) ये प्रतिबन्ध कब से लगाये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) केवल वही मानचित्र जिनमें बहुत महत्व की जानकारी रहती है, प्रतिबन्धित माने जाते हैं। जनता में उनकी बिक्री केवल उचित प्रयोजनों के लिये ही की जाती है।

(ख) चूंकि थाना और ताल्लुक आदि के मानचित्र राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं, अतः उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है।

(ग) १९३८ से।

†**श्री क० कु० बसु** : क्या सरकार को इसका ज्ञान है कि दक्षिणी बंगाल चौबीस परगना तथा मिदनापुर में काफी मात्रा में थाने तथा जिलों के मानचित्र, जो साधारण मानचित्र हैं, जनता को यहां तक कि उन निर्वाचन क्षेत्रों के संसद सदस्य अथवा विधान मंडल के सदस्यों तक को नहीं बेचे जाते, वे साधारण मानचित्र हैं।

†**श्री त्यागी** : जैसा कि मैं बता चुका हूं ताल्लुकों के मानचित्रों के प्रकाशित करने तथा बेचने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। जहां तक कि प्रतिरक्षा मंत्रालय नीति का सम्बन्ध है

---

†**मूल अंग्रेजी में।**

हमनें कुछ महत्व वाले मानचित्रों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। ऐसे स्थान वाले मानचित्रों पर जिनमें १/४"=१ मील अथवा इससे अधिक दिखाया गया है प्रतिबन्ध लगा दिया गया है किन्तु ताल्लुक मानचित्रों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है

†**श्री क० कु० बसु** : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि राज्य सरकार ने पश्चिमी बंगाल में कुछ थाने तथा जिला विशेष के इन मानचित्रों को इस आधार पर कि प्रतिरक्षा विभाग नें इन की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, बेचने से इन्कार कर दिया है जब कि निकटवर्ती क्षेत्रों के इसी आकार वाले मानचित्र जनता को बेचे जाते हैं।

†**श्री त्यागी** : सीमा से मिले हुए क्षेत्रों के मानचित्रों पर प्रतिरक्षा मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया है। यह देखना है कि मानचित्र सदस्य किन मानचित्रों का उल्लेख कर रहे हैं। यह सब बाते जांच पर निर्भर करती हैं।

†**श्री क० कु० बसु** : क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि ये मानचित्र समुद्र के निकटवर्ती थानों तथा जिलों के हैं और जहां तक कि भारत की सुरक्षा का सम्बन्ध है समुद्र की ओर से हमें कोई डर नहीं है तो क्या प्रतिबन्ध यदि कोई है तो उन्हें हटा लेना चाहिये ?

†**श्री त्यागी** : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा जिलों तथा ताल्लुकों के मानचित्रों के प्रकाशन कराने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। पैमाइशी उद्देश्य तथा नाप जोख के लिये राज्य सरकारों को यदि वें चाहें मानचित्र प्रकाशित करने तथा उनका प्रयोग करने की आज्ञा है। उन्हें मानचित्र मिल सकते हैं। वे प्रकाशित किये गये हैं।

†**श्री क० कु० बसु** : बात यह है कि यहां हमें यह बताया गया है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु डायमण्ड हार्बर तथा मिदनापुर क्षेत्रों के जो समुद्र से घिरे हुए हैं मानचित्रों पर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान में ब्रिटिश सरकार नें प्रतिबन्ध लगा दिया था। अब यदि हम राज्य सरकार से मांग करते हैं तो वे कहते हैं कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, केन्द्रीय सरकार से बातचीत करें। माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें। निर्वाचन आयुक्त में भी हमने पूछा था। वह भी कुछ नही कर सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इसके बारे में जानकारी करेंगे।

†**श्री त्यागी**: प्रतिबन्धित मानचित्रों की विशिष्टता बताने पर ही मैं उनके बारे में जानकारी कर सकूंगा।

†**श्री जोकीम आल्वा** : केवल एक प्रश्न।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

बीजापुर में बाढ़

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९. श्री निर्जालगप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि बम्बई राज्य के बीजापुर जिले में भीषण वर्षा तथा बाढ़ के परिणामस्वरूप मकान गिरे हैं तथा जन और माल की हानि हुई है।

(ख) यदि हां तो कितने मकान गिरे हैं तथा कितने गांवों में क्षति पंहुची, और कितनी सम्पत्ति तथा पशुओं की हानि हुई ;

(ग) कितने व्यक्ति मरे ; और

(घ) जनता को सहायता देने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). मुद्देबिहाल, बीजापुर सिंदगी तथा इन्दी में ११ अगस्त तक क्रमशः कुल ११·७०, १३·४७, १७·९६ और १८·६० इंच वर्षा हुई है वर्षा भारी थी और थोड़े समय में गिरी थी । एक हजार से अधिक मकानों को हानि पंहुची है, जिनमें से कुछ बिल्कुल नष्ट हो गये हैं । जन अथवा पशुधन की हानि की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(घ) राज्य सरकार नें निःशुल्क सहायता के रूप में ४२,७०० रुपये, कृषि अतिरिक्त कार्य ऋण तथा तकावी ऋण के रूप में क्रमशः १ लाख तथा ५,०७,००० रुपये स्वीकृत किये हैं । स्त्रियों तथा बच्चों की सहायता के लिये ५,००० रुपये प्रधान मंत्री सहायता निधि में से दिये गये हैं।

†**श्री निर्जलिंगप्पा**: कितने ग्राम वास्तव में बाढ़ग्रस्त हुए हैं ?

†**श्री दातार** : इस विषय में बम्बई सरकार से हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है परन्तु सिंचाई विभाग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि किसी न किसी रुपये लगभग ६०० ग्रामों को क्षति पंहुची है ।

†**श्री निर्जलिंगप्पा** : कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के सभापति द्वारा उस क्षेत्र का दौरा किये जाने के बाद जारी किये गये वक्तव्य की जानकारी क्या सरकार को है जिसमें कहा गया है कि १ लाख मकान गिर गये और उन्हें नुकसान पंहुचा और लगभग एक करोड़ रुपये की कुल हानि हुई ।

†**श्री दातार** : बम्बई सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार १,००० मकानों को क्षति पंहुची है, कुछ मकान तो पूरी तरह नष्ट हो गये है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : कुल कितने व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री दातार** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं , परन्तु जैसा कि मैंनें कहा बीजापुर के चार ताल्लुकों पर अर्थात स्थूल रूप से एक तिहाई से अधिक माग पर इसका प्रभाव पड़ा है ।

†**श्री काजरोल्कर** : क्या सरकार को विदित है कि शोलापुर जिले में पंढरपुर पर भी बाढ़ का भीषण प्रभाव पड़ा है और वहां जन धन की कितनी हानि हुई है ?

†**श्री दातार** : सरकार को पंढरपुर तथा बम्बई के आस पास के स्थानों के बारे में तथा अहमदाबाद के कुछ स्थानों के बारे में भी प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

†**श्री निर्जलिंगप्पा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सा चारा बह गया है, क्या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के पशुओं के लिये शीघ्र चारा पंहुचाने के लिये प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री दातार** : बम्बई सरकार सभी आवश्यक कार्यवाही कर रही है । बम्बई सरकार को केन्द्रीय सरकार से भी सहायता मिलेगी क्योंकि अब यह निश्चय किया गया है कि जब कभी ऐसे दैवी प्रकोप हों तो राज्य सरकार को उस के द्वारा सहायता अनुदान पर व्यय की गई दो करोड़ रुपये तक की समस्त राशि का आधा भाग और दो करोड़ से अधिक व्यय की गई राशि का तीन चौथाई भाग मिलना चाहिये । यथा समय वह राज्य सरकार सहायता मांगेगी परन्तु इस समय वह सारी आवश्यक कार्यवाहियां कर रही है ।

रेवाड़ी (पंजाब) में बाढ़ से हानि

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०. श्री बंसल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुड़गांव जिले (पंजाब) की रेवाड़ी तहसील में भीषण वर्षा के कारण बाढ़ आने से हुई क्षति के बारे में क्या सरकार को कोई जानकारी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) बाढ़ग्रस्त लोगों को सहायता पहुंचाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां । २५ और २६ जुलाई १९५६ को भारी वर्षा के कारण खरीफ फसल और कुछ मकानों को क्षति पहुंची है। मनुष्यों अथवा पशुओं को मारे जानें की कोई सूचना नहीं मिली है। क्षति का विस्तृत निर्धारण किया जा रहा है।

(ख) पंजाब सरकार ने डिप्टी कमिश्नर को ५०,००० रुपये दिये हैं जिसे वह बीज और चारा खरीदने के लिये लोगों को ऋण के रूप में दे सके। पूरी जानकारी प्राप्त होने पर मकानों की मरम्मत के लिये तथा उन्हें फिर से बनाने के लिये और अधिक रुपया दिया जायेगा। तत्कालिक सहायता के लिये रेड क्रास ने पंजाब सरकार को १,००० रुपये दिये हैं।

†**श्री बंसल** : उस जिले में कितने ग्राम बाढ़ग्रस्त हुए हैं ?

†**श्री दातार** : रेवाड़ी नगर के अतिरिक्त नौ ग्रामों पर भी उसका प्रभाव पड़ा है।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : बाढ़ से हुई क्षति के बारे में ऐसे ही समाचार क्या देश के अन्य भागों से प्राप्त हुए हैं और क्या उन अन्य भागों को भी सहायता दी गई है ?

†**श्री दातार** : सरकार को उन सब भागों से समाचार मिले हैं जहां पर बाढ़ें आई हैं।

†**श्री बंसल** : उन ५०,००० रुपयों में से क्या कोई राशि उन लोगों को वास्तव में दे दी गई है जो बाढ़ पीड़ित हुए हैं और यदि नहीं तो उन लोगों को सहायता पहुंचाने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

†**श्री दातार** : सरकार ने उनकी सहायता शीघ्र की है और संभवतया वह राशि व्यय कर दी गई है।

†**श्री बंसल** : क्या सरकार को बताया गया है कि रेवाड़ी तहसील में जटुसना के एक हाई स्कूल की सारी इमारत गिर गई है और यदि हां तो क्या सरकार उसे फिर से बनवाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि डिप्टी कमिश्नर को पंजाब सरकार ने अनुदेश दिये हैं कि वह, उसे दी गई राशि की चिंता किये बिना, सब संभव कार्यवाही करे।

†**श्री बंसल** : एक और प्रश्न श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कितने प्रश्नों की अनुमति दे सकता हूं। नहीं नहीं। समस्त भारत में बाढ़ें आई हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सांस्कृतिक मिशन

†***११६२. श्री भागवत झा आजाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बल्कान के देशों में सांस्कृतिक मिशन भेजने का है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जी, इस समय जो सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल रूस का दौरा कर रहा है वह निम्न बल्कान देशों को भी जायेगा :

(१) हंगरी;

(२) बलगेरिया;

(३) रूमानिया ;

(४) यूगोस्लाविया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विशेष गृह निर्माण योजना

†*११७०. **श्री रामकृष्ण**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ मई १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७१६ के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विशेष गृह निर्माण योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के कारण क्या हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजस्थान समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड

†*११७३. **श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड नें राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में कोई कल्याण विस्तार परियोजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं।

(ख) विभिन्न बातों को ध्यान में रख कर कल्याण विस्तार परियोजनाएं प्रारम्भ की जाती हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में न तो विशेष रूप से छोडा जाता है न विशेष अधिमान दिया जाता है।

राज्य वित्त निगम

†*११८५. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **वित्त** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो :

(क) किन किन राज्यों ने राज्य वित्त निगम अधिनियम १९५१ के अधीन, राज्य वित्त निगम स्थापित करने के लिये अभी तक केन्द्र से ऋण मांगा है ; और

(ख) ऐसे राज्यों ने कितनी राशि मांगी है और उन्हें सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है।

†**राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) और (ख). इस जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या १८**]

सीमेंट

†*११८६. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेहरी गढ़वाल में सीमेंट बनाने के लिये कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में और अच्छी किस्म का पाया गया है, और

(ख) यदि हां तो वह किस पट्टी में पाया जाता है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). सीमेंट बनाने के लिये उपयुक्त चूने का पत्थर ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से लगभग ३३ मील दूर नागनी स्थान में पाया गया है। उसकी मात्रा और गुण प्रकार जानने के लिये और खोज आवश्यक है।

आय-कर का बकाया

*११८७. **श्री खू० चं० सोधिया** :
श्री च० रा० नरसिंहन् :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५६ को आय-कर की कुल कितनी रकम बकाया रह गयी थी;

---

†**मूल अंग्रेजी में।**

(ख) इस रकम में से १९५१-५२, १९५२-५३, और १९५४-५५ में अलग अलग कितनी कितनी रकम बकाया थी; और

(ग) बकाया रकमों को बट्टे खाते में डालने की क्या प्रक्रिया है और पिछले पांच वर्षों में बकाया की कितनी रकम बट्टे खाते में डाली गयी ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० चं० शाह) : (क) ३१ मार्च १९५६ को आय-कर की कुल बकाया रकम १८२·८५ करोड़ रुपये थी।

(ख) ऊपर (क) में दिखायी गई रकम में शामिल १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५४-५५ की अलग अलग बकाया रकमें इस प्रकार हैं :—

१९५१-५२	१९.५३ करोड़ रुपये
१९५२-५३	२४.१९ „ „
१९५४-५५	३०.६० „ „

(ग) कर वसूली के लिये, आय-कर अधिनियम में निश्चित सभी आवश्यक कार्यवाही करने के बाद यदि यह मालूम होता है कि जिस व्यक्ति से कर की रकम वसूल की जानी है उसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है या वह भारत छोड़ कर चला गया है और उसका कोई पता नही लगता तो कर की बकाया रकम बट्टे खाते डाल दी जाती है। पिछले पांच वर्षों में बट्टे खाते डाली गई बकाया रकम इस प्रकार है :—

वर्ष	रकम
१९५१-५२	९.८४ लाख रुपये
१९५२-५३	३४.०५ „ „
१९५३-५४	१०.५३ „ „
१९५४-५५	१२.१२ „ „
१९५५-५६	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†*११८८. **डा० सत्यवादी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की योजना में बच्चों और महिलाओं के लिये पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो १९५५-५६ में इस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी राशि दी गई; और।

(ग) किन प्रकाशनों को सहायता मिली ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जी नहीं

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उपदान

†*११८९. **श्री अच्युतन**: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुबल के पदाधिकारियों को दस वर्ष की सेवा के पश्चात कितने मास का वेतन उपदान के रुप में दिया जाता है ; और

(ख) उतनी ही सेवा के पश्चात भारतीय वायु बल के विमान सैनिक और असैनिक कर्मचारी को कितनी राशि मिलती है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १९]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आदिम जाति कल्याण के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड

†*११९०. **श्री देवगम**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिम जाति के कल्याण के लिये नये रूप से बनाये गये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की पहली बैठक लगभग किस तारीख को होगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : बोर्ड की पहली बैठक सम्भवतया अक्तूबर १९५६ में बुलाई जायेगी ।

अनुसूचित जातियों के लिये छात्र-वृत्तियां

†*११९१. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के उन लोगों को कितनी राशि की छात्र-वृत्तियां दी हैं जो इस समय भारतीय विश्वविद्यालयों में पी० एच० डी० डिग्री के लिये तैयारी कर रहे हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: होस्टलों में रहने वालों को साठ रुपये (६०/–/–) और अपने घरों में रहने वाले विद्यार्थियों को पैंतालीस रुपये प्रतिमास ।

इसके अतिरिक्त ट्यूशन और अन्य फीसें, यदि कोई हों, जो उन्हें वास्तव में देनी पड़ती हैं और थीसिस टाईप कराने का व्यय, जिसकी अधिकतम सीमा १०० रुपये है भी दिया जाता है ।

राशन भत्ता

†*११९३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि यूनिट लाईनों के बाहर रहने वाले सैनिक कर्मचारियों को राशन के बदले में दिये जाने वाले राशन भत्ते की राशि पिछले तीन सालों में क्रमशः घटा दी गई है ।

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन सालों में दर क्या थी और इस समय दर क्या है ; और

(ग) किन कारणों से सरकार ने भत्ता घटाया ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) जी हां, सेना और वायुबल के कर्मचारियों को दिये जाने वाले राशन भत्ते के मामले में नौसेना के कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते में कोई कमी नहीं की गई है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या २०**]

(ग) राशन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण सामान्यतया प्रत्येक ६ मास के पश्चात किया जाता है जो राशन के मूल्य पर आधारित होता है। क्योंकि राशन का मूल्य गिर गया इस लिये राशन भत्ते की दरें भी तदनुसार घटा दी गई ।

तेल की खोज

†*११९४. **श्री डाभी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २३ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केम्बे (जिला कैरा) के पास खनिज तल का पता लगाने के लिये भूकम्पीय अनुसन्धान में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस क्षेत्र में तेल निकालने के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

---

†**मूल अंग्रेजी में ।**

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) केम्बे क्षेत्र के भूकम्पीय अनुसन्धान के परिणामों से पता चलता है कि केम्बे के उत्तर में लगभग चार मील दूर पालडी के पास "स्ट्रक्चरल हाई" है। इस क्षेत्र की अवसाद (सेडीमेंटरी) शैल की मोटाई जैसा कि भूकम्पीय रिफलेक्शन से पता चलता है, लगभग ८,००० फुट हो सकती है।

(ख) इस क्षेत्र में कुछ चुने हुए स्थानों में लगभग ४,००० से ५,००० फुट तक रचनात्मक ड्रिलिंग करने का विचार है ताकि स्तर सम्बन्धी जानकारी मिल सके। यदि छेदों से पता लगेगा कि अवसाद और अधिक मोटे हैं अथवा वहां तेल और गैस का पता चलेगा तो गहरे छेद बनाना आरम्भ किया जायेगा।

छावनी बोर्ड

***११९५. श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १२ अप्रेल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाईस छावनी बोर्डों में से उन छावनी बोर्डों के नाम क्या हैं जिनके बारे में तदर्थ समितियों की सिफारशों पर अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ;

(ख) किन किन बोर्डों के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) क्या तदर्थ समितियों की सिफारिशों और उनके बारे में सरकार द्वारा किये गये निर्णयों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) इलाहाबाद, फैजाबाद, झांसी, लैंसडाउन, लखनउ, नसीराबाद, रानीखेत, सागर, सेण्ट थामस माउटं एवं पल्लावरम्, पंचमढ़ी, दीनापुर और अम्बाला।

(ख) बैरकपुर, आगरा, औरंगाबाद, बरेली, देवलाली, कम्पती, किर्की, पूना, बेलगांव और मेरठ।

(ग) इन दस छावनियों के विषय में तदर्थ कमेटो की सिफारिशों और सरकार द्वारा किये गये निर्णयों के संक्षिप्त विवरणं सभा के पटल पर रख दिये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २१**]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†***११९६. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्य क्या थे ; और

(ख) उसी कालावधि में विभिन्न विश्वविद्यालयों को कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या २२**]

केन्द्रीय चर्म गवेषणा संस्था

†***११९७.** { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री खू० चं० सोधिया :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय चर्म गवेषणा संस्था मद्रास द्वारा की गई गवेषणा का व्यवहारिक उपयोग केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा कहां तक किया गया ; और

(ख) सामान्य जनता के उपयोग के लिये इन खोजों का प्रचार कहां तक किया गया ?

---

†**मूल अंग्रेजी में।**

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या २३**]

योग्यता छात्रवृत्तियां

†*११९८. { **श्री रामकृष्ण :**
श्री भीखा भाई :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में विभिन्न पब्लिक स्कूलों को प्रति स्कूल कितनी राशि की योग्यता छात्र-वृत्तियां दी गई ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: इस जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या २४**]

एशियाई-अफ्रीकी विद्यार्थी सम्मेलन

†***११९९. श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि बांडुंग में ३१ मई, १९५६ को एशियाई-अफ्रीकी विद्यार्थी सम्मेलन के प्रतिनिधि मंडलों के नेताओं का एक अधिवेशन सभापति द्वारा इसलिये स्थगित कर दिया कि दो प्रतिनिधियों ने दावा किया कि वे भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता हैं ;

(ख) यदि हां तो, सरकार ने दो विभिन्न व्यक्तियों को अनुज्ञा कैसे दी जो बांडुंग जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व का दावा करते थे ;

(ग) क्या बांडुंग के एशियाई-अफ्रीकी विद्यार्थी भारतीय प्रतिनिधि मडंल को सरकार की मान्यता प्राप्त है अथवा ऐसी मान्यता आवश्यक नहीं थी ;

(घ) विदेशों को विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मंडल भेजने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(ङ) विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मण्डलों को चुनने में क्या सरकार अपने विवेक से कुछ तय करती है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) सरकार की जानकारी के अनुसार प्रतिनिधि मन्डलों के परिचय पत्र के विवाद और अन्य प्रक्रिया संबंधी के कारण सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था।

(ख) और (ग). सम्मेलन गैर-सरकारी था। और भारत सरकार का सम्बन्ध प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों और पर्यवेक्षकों को पारपत्र देने तक सीमित था।

(घ) और (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या २५**]

नई स्वर्ण रीफ (पट्टी)

†*१२००. { **श्री साधन गुप्त :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार स्वर्ण क्षेत्र में सोने की नई रीफों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, उसमें लगभग कितना सोना होगा।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). पिछले पांच वर्षों में कोई नई रीफों का पता नहीं चला है।

इस जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २६**]

---

†मूल अंग्रेजी में।

त्रिपुरा में निर्वाचक नामावलि

†*१२०१. { **श्री दशरथ देव :**
श्री बीरेन दत्त :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी साधारण निर्वाचन के लिये त्रिपुरा की निर्वाचक नामावलियों में विस्थापित व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जायेंगे ;

(ख) नाम कब लिखे जायेंगे ; और

(ग) पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) यह प्रश्न कि वे उन विस्थापित व्यक्तियों को जो नागरिकता नियम १९५६ के अधीन स्वंय को नागरिक पंजीबद्ध करेंगे, आगामी साधारण निर्वाचन के लिये विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों में मिलाया जा सकता है अथवा नहीं और उन्हें कैसे मिलाया जाय, सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). यह उक्त (क) में उल्लिखित प्रश्न के निर्णय पर निर्भर करेगा ।

हीरे की खानें

†*१२०२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २० सितम्बर १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १९६२ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है जहां हीरे मिलने की सम्भावना है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी हां मझगवां, विन्ध्य प्रदेश में 'पाईप' क्षेत्र में मझगवां से कालिजा, उत्तर प्रदेश तक के बीच के क्षेत्र में आन्ध्र के अनन्तपुर जिले में वजरा कलां के आस-पास, आन्ध्र के कुर्नूल जिले में मोगिलीपेन्ता के पास और विन्ध्य प्रदेश के चरावारी क्षेत्र में सर्वेक्षण किये गये थे । इन सत्री क्षेत्रों में हीरे के निक्षेपों से प्राप्ति का निश्चय करने और उनकी काम करने सम्बन्धी संभावना का निर्धारण करने के लिये अभी और अधिक ब्योरेवार काम करने की आवश्यकता है ।

यूनेस्को राष्ट्रीय आयोग

†*१२०३. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि १८ पश्चिमी देशों के यूनेस्को सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोगों ने यह स्वीकार किया है कि पश्चिमी देशों के विद्यालय जाने वाले बच्चों के समक्ष एशियाई देशों का जिनमें भारत भी है, जो चित्र प्रस्तुत किया जाता है, वह सर्वथा अवास्तविक होता है ।

(ख) क्या यह सच है कि इटली के कुछ इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को ब्रिटिश काल तक ही सीमित रखा है, और

(ग) यदि हां तो उन देशों में बच्चों को भारतीय इतिहास के शिक्षण और उनके निकट भारतीय इतिहास और संस्कृति के स्पष्टीकरण में होने वाली इस त्रुटि को दूर करने के लिये सरकार ने स्वत: या सम्बन्धित पश्चिमी देशों के साथ परामर्श करते हुए क्या कार्यवाही की है या करना चाहती है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). सरकार के पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों आदि के लिये संरक्षण

†७३१. **श्री भीखा भाई** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों के लिये स्थान रक्षित किये जाते हैं ।

(ख) क्या सरकार उन संस्थाओं में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान रक्षित करना चाहती है, जिनको केन्द्रीय या राज्य अनुदान प्राप्त होते हैं ।

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(घ) क्या सरकार के पास ऐसा कोई अभिकरण या व्यवस्था है, जिससे यह जाना जा सके कि संरक्षण के नियम का समुचित रूप से पालन होता है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से यह निवेदन किया गया है कि शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में प्रवेश के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों को स्थानों का संरक्षण या अंकों के प्रतिशतक में कमी आदि के रूप में कुछ रियायतें दी जायें ।

(ग) अब तक प्राप्त उत्तरों से प्रकट होता है कि राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय इन सुझावों से सामान्यतः सहमत हैं और उन्होंने अपने नियंत्रणाधीन संस्थाओं के लिये अनुदेश निकाल दिये हैं ।

(घ) जी नहीं । इस बात पर विचार करना विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों का काम है ।

चोरी-छिपे लाई गई सुपारी

†७३२. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में अब तक पूर्वी पाकिस्तान से चोरी-छिपे लाई गई और बाद में भारत संघ में पकड़ी गई सुपारी पर कितना आयात-शुल्क वसूल किया गया है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** १९५६ में (जून, १९५६ के अंत तक) पूर्वी पाकिस्तान से भारत संघ में चोरी-छिपे लाते समय पकड़ी गई सुपारी पर रु. ३,०७,२१७ आयात-शुल्क के रूप में वसूल किये गये । यह राशि पकड़ी और जब्त की गई सुपारी की मात्रा के अलावा है ।

उच्चतर माध्यमिक और बहु-प्रयोजनीय विद्यालय

†७३३. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री निम्न आशय का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार की सहायता से वर्ष १९५५–५६ में पश्चिमी बंगाल में कौन-कौन से उच्चतर माध्यमिक और बहु-प्रयोजनीय विद्यालय स्थापित किये गये ; और

(ख) प्रत्येक पर कितनी राशि व्यय की गई ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). जानकारी राज्य-सरकारों से मांगी गई है और प्राप्त होते ही प्रदान कर दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सोना

†७३४. **श्री वें० प० नायर :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास के मलावार जिले में सोने वाली (पाइराइट्स) के पाये जाने के बारे में या कोई नियमित अनुसंधान किया गया था और यदि हां, तो उस का क्या प्रतिफल निकला ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** सुवर्णमाक्षिक (पाइराइट) से संबद्ध स्वर्णस्फटिक (गोल्डक्वार्टज) के प्राय: सभी निक्षेप नीलगिरी जिले के वेनाड और मलावार जिले के पास के भाग में हैं।

इन के बारे में अब तक किये गये अनुसंधानों से यह प्रकट नहीं हुआ है कि वहां पर स्वर्णस्फटिक (गोल्ड-क्वार्टज) या सुवर्णमाक्षिक (पाइराइट) के ऐसे निक्षेप हैं, जिन पर बचतपूर्वक काम किया जा सकता हो। पर अभी और आगे ब्योरावार काम आवश्यक है।

सेवाओं का एकीकरण

†७३५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व त्रावनकोर और कोचीन सरकार की सेवाओं के एकीकरण का काम अब पूरा हो चुका है ;

(ख) वरिष्ठता का निश्चय करने के लिये क्या सिद्धान्त अपनाये गये हैं और सम्बन्धित सरकारों ने सेवा काल को क्या महत्व प्रदान किया है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्यों के एकीकरण से पहले कोचीन सरकार की सेवाओं में बड़े पैमाने पर पदोन्नतियां और वेतन प्रमाणों का पुनरीक्षण किया गया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त (ग) के कारण पहले त्रावणकोर सेवा से संबद्ध बहुत से व्यक्ति कोचीन सेवा के ऐसे व्यक्तियों से कनिष्ठ हो गये जो कम वेतन पर आये थे और जो अपेक्षतया कम वर्षों तक सरकारी सेवा में रहे थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) सभी विभागों की एकीकृत असैनिक (सिविल) और पद श्रेणी (ग्रेडेशन) सूचियां अस्थायी रूप से अनुमोदित कर दी गई हैं। सभी पुनर्विचार याचिकाओं के निपटारे के बाद ३२ विभागों की सूचियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। शेष ९ विभागों की सूचियों को तुरंत अंतिम रूप दिया जायेगा।

(ख) दोनों में से प्रत्येक शाखा के व्यक्तियों को होने वाली कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से प्रत्येक विभाग की सेवा दशाओं के लिये सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत तय कर लिये गये हैं। ये सभी विभागों के लिए एक से तो नहीं हैं, पर सामान्यत: इनमें 'निम्न व्यवस्था की गई है:—

(१) 'क' वर्ग के वही या समकक्ष यह नाम वाले और उसी प्रकार के कर्त्तव्यों और उत्तर-दायित्वों वाले पदों को उसी वर्ग से संबंधित मान लिया गया, भले ही दोनों राज्यों में चालू वेतन-प्रमाप कुछ भिन्न रहे हों; और

(२) प्रत्येक वर्ग के पदश्रेणी—पद्धतिवाले विभिन्न ग्रेडों के पदों को जिनके वेतन-प्रमाप बहुत कुछ समकक्ष थे, अलग—अलग तत्समान मान लिया गया अर्थात रु० १२५—१६५ वाले त्रावनकोर के क्लर्कों और कोचीन के रु०१२५—१५० वाले क्लर्कों को और त्रावनकोर के रु० ८०—१०० और रु० १००—१२५ के क्लर्कों को और कोचीन के रु० ८०—१२० के क्लर्कों को।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में सरकारी कर्मचारी

†७३६. **वें० प० नायर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या सरकार त्रावनकोर सेवा वाले व्यक्तियों को प्राप्त हुई कठिनाइयों और उनके साथ व्यवहृत असमानताओं को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व त्रावनकोर और कोचीन राज्यों की सेवाओं के एकीकरण का पुन: परीक्षण करना चाहती हैं; और

(ख) भूतपूर्व त्रावनकोर सरकार के कितने कर्मचारी अब कोचीन सरकार के ऐसे कर्मचारियों से कनिष्ट हो गये हैं, जिनका सरकारी सेवा-काल कम है और जिनके वेतन-प्रमापों का दोनों राज्यों के एकीकरण से पहले के एक वर्ष के अन्दर ही पुनरीक्षण किया गया था?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) नहीं। सरकार इस प्रश्न का पुन: परिक्षण करना जरूरी नहीं समझती ।

(ख) त्रावनकोर शाखा के ऐसे कर्मचारियों की संख्या का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता, जो कोचीन शाखा के कम सेवा-काल वाले व्यक्तियों से कनिष्ट हो गये हों।

त्रावनकोर राज्य के भूतपूर्व कर्मचारी

†७३७. **श्री वें० प० नायर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रावनकोर राज्य के भूतपूर्व कर्मचारियों से इस संबंध में कितनी शिकायतें और आभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि त्रावनकोर और कोचीन राज्यों की सेवाओं के एकीकरण से उन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इस मामले में किस अधिकारी ने जांच की थी और किसने निश्चय किया था?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार):** (क) भूतपूर्व त्रावनकोर और कोचीन शाखाओं से कुल २६८१ शिकायतें मिली हैं। सेवा-कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों का पृथक वर्गीकरण नहीं किया गया था।

(ख) राज्य सरकार ने संबंधित विभाग प्रमुखों के द्वारा जांच की थी और शिकायतों के गुण-दोषों पर विचार करते हुए अंतिम आदेश दिये थे।

कर्मचारियों के लिये मकान

†७३८. **श्री वें० प० नायर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर कोचीन राज्य में पुलिस को छोड़ कर कितने प्रतिशत अ-राज्पत्रित सरकारी कर्मचारीयों को न्यूनतम किराये पर सरकारी मकान दिये गये हैं; और

(ख) त्रिवेन्द्रम में सचिवालय के अ-राज्पत्रित पदाधिकारियों को कितने क्वार्टर दिये गये है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार):** (क) २·४।

(ख) ३६ (उन्तालीस)।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य के उत्पादन शुल्क विभाग में वेतन प्रमाप

†७३६. **श्री वं० प० नायर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर कोचीन राज्य के उत्पादन शुल्क (एक्ससाइज) विभाग के अ-राज्पत्रित कर्मचारियों को पड़ोसी मद्रास राज्य के तत्समान ग्रेडों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) क्या उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के वेतन प्रमापों में समुचित पुनरीक्षण करने के लिये कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रावणकोर-कोचीन में जिला मुख्यालय भवन

†७४१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर कोचीन राज्य में राष्ट्रपति के शासन काल में जिला मुख्यालय भवनों के निर्माण के लिये मंत्रणादाता द्वारा इस बारे में चलाई गई योजना के आधीन कितनी राशी व्यय करने का विचार है;

(ख) क्या इस निर्माण-कार्य में अ-राजपत्रित पदाधिकारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण भी शामिल रहेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) ७० लाख रुपये ।

(ख) हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रावनकोर-कोचीन में कर्मचारीवृन्द

†७४२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) त्रावनकोर कोचीन में सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थापनों में "आकस्मिकता सेवा" में कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) आकस्मिकता सेवा के कर्मचारियों के वेतन नियमित सेवा में अपने समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में कैसे हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) सरकारी विभागों में ४१४१ और अर्ध-सरकारी संस्थापनों में ३२०० ।

(ख) सरकार और विश्वविद्यालय के अधीन पूर्वकालीन आकस्मिकमता कर्मचारियों को वही वेतन दिये जाते हैं, जो नियमित सेवा में उनके समकक्ष व्यक्तियों को । नगरपालिका-सेवा में आकस्मिकता कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजूरियां दी जाती हैं।

त्रावणकोर-कोचीन में प्राईवेट कालेज

†७४३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य के प्राइवेट कालेजों में किसी छात्र को प्रवेश पाने के लिये अपने द्वारा चुने गये विषय के अनुसार ५० रुपये से ३०० रुपये तक का "दान" देने के लिये विवरण किया जाता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या यह बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा कि वर्ष १९५२-५३ से वर्ष १९५५–५६ तक पहली श्रेणी के प्रत्येक प्राइवेट कालेज द्वारा छात्रों से दानस्वरूप कितनी राशि एकत्र की गई ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में कालेज

†७४४. **श्री वें० प० नायर**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर विश्वविद्यालय से संबद्ध प्राइवेट कालेज उसी पाठ्य-क्रम के लिये विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले कालेजों की तुलना मे छात्रों से अपेक्षा अधिक शिक्षण शुल्क (टयुशन फीस) लेते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्यों होने दिया जाता है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

त्रावणकोर-कोचीन में शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें

†७४५. **श्री वें० प० नायर**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर कोचीन राज्य में प्राइवेट अभिकरणोंद्वारा चलायी जाने वाली शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक और अन्य कर्मचारी प्रायः उसी समुदाय में से भरती किये जाते हैं जिस समुदाय का वह अभिकरण अपने को एक संगठन मानता है । और

(ख) क्या सरकार यह बता सकेगी कि हिन्दू शिक्षा-संस्थाओं में नियुक्त किये जाने वाले अहिन्दू अध्यापकों और ईसाई शिक्षा–संस्थाओं में हिन्दू कर्मचारियों का प्रतिशतक कितना है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी हां ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

खनिज निक्षेप

७४६. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवार क्षेत्र मे कहां कहां शीशे और जस्ते के निक्षेपों के चिन्ह पाये गये हैं और वहां से कितने शीशे तथा जस्ते के मिलने का अनुमान है;

(ख) क्या यह सच है कि केवल मोचिया मगरे में ही एक करोड़ टन खनिजों के मिलने का अनुमान है; और

(ग) वहां किस ग्रेड तक के खनिज पाये गये हैं?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग). जिला उदयपुर, राजस्थान में जावर ग्राम के समीप नौ पहाड़ियों के एक समुदाय में सीसे जस्ते के निक्षेपों का होना ज्ञात हुआ है। इन समस्त निक्षेपों को प्रमाणित करने के लिये विस्तृत खोज अभी तक नहीं की गई है । 'दी मैटल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड' ने जावर क्षेत्र के मोचिया मगरे में लगभग एक

†मूल अंग्रेजी में ।

करोड़ टन कच्चे सीसे–जस्ते की संचित मात्रा होने का अनुमान लगाया है, जिस में सब श्रेणियों का कुल मिलाकर ३ से १२·५ प्रतिशत धातु–अर्थात ५·२५ प्रतिशत सीसा तथा ७·२५ प्रतिशत जस्ता–होगा। १५ प्रतिशत से भी अधिक धात्विक मात्रा उत्तम श्रेणी की मिली है।

लोहा अयस्क

†७४७. **श्री बलवन्त सिंह महता:** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बनेरा में अच्छे प्रकार के लोहे के अयस्क के निक्षेपों का हाल ही में पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें लोहे का प्रतिशतक कितना है और उसकी मात्रा क्या है?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) और (ख). जी नहीं। फिर भी कमालपुरा के निकट पुरबनेरा में निम्न कोटि के अयस्क के पाये जाने का एक उल्लेख है।

चोरी छिपे लाई गई घड़ियां

†७४८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से बहुत सी घड़ियां भारत में चोरी छिपे भेजी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, १९५५ से चोरी छिपे घड़ियां लाने वाले कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं और उन से कुल कितनी घड़ियां प्राप्त हुई हैं; और

(ग) माल का चोरी छिपे आना रोकने के लिये सरकार किस प्रकार की कार्यवाही करना चाहती है?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह):** (क) कुछ घड़ियां चोरी छिपे लाई जाती हैं, पर यह बताने वाला कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है कि इनकी संख्या अधिक है।

(ख) जनवरी, १९५५ से ४५१९ चोरी छिपे लाई गई घड़ियां बरामद की गई हैं और ३८ चोरी छिपे लाने वालों को गिरफतार किया गया है।

(ग) माल के सामन्यता: चोरी छिपे लाये जाने को रोकने के लिये पहले से ही किये गये उपायों का एक व्यौरा लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २७]**

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन कार्य संचालन) निधि

†७४९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन कार्य–संचालन) निधि में से विभिन्न राज्य सरकारों को अब तक कितनी राशि दी गयी है ; और

(ख) राज्य सरकारों ने भारत के रक्षित बैंक द्वारा दी गई निधि से सहकारी ऋण संस्थाओं की अंश–पुंजी में कितना भाग लिया है ।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० च० गुह) :** (क) ३० जून, १९५६ की स्थिति के अनुसार रक्षित बैंक ने राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ–कालीन कार्य संचालन) निधि से

†मूल अंग्रेजी में ।

निम्नलिखित राज्य सरकारों के लिये संबंधित राज्यों में सहकारी उधार संस्थाओं की अंश-पूंजी में भाग लेने के हेतु दीर्घकालीन ऋण मंजूर किये हैं:—

	मंजूर की गई राशि (लाख रुपयों में)
मद्रास	८
आन्ध्र	१६·६७
उड़ीसा	६·३५

रक्षित बैंक ने निधि में से १९५५-५६ में १·४० करोड़ रुपयों के मध्य-कालीन ऋण कृषि संबंधी प्रयोजनों के हेतु राज्य सरकारी बैंकों के लिये भी मंजूर किये हैं।

(ख) उपर्युक्त तीन राज्यों में से केवल आन्ध्र राज्य ने ३० जून १९५६ तक ४·७५ लाख रुपयों की राशि उठायी है। राज्य ने प्रत्येक सहकारी उधार संस्था में अंश-पूंजी के रूप में जो सहायता दी है उसका व्यौरा उपलब्ध नहीं है।

जनता कालेज

†७५०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५५-५६ में स्थापित किये गये जनता कालिजों की संख्या क्या है;

(ख) १९५६-५७ में स्थापित किये जाने वाले ऐसे कालिजों की संख्या क्या होगी; और

(ग) क्या इन जनता कालिजों और साधारण कालिजों के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) चार ।

(ख) सात ।

(ग) जी हां, इनके पाठ्यक्रमों में बहुत अन्तर है। इसका कारण यह है कि सामान्य कालिज तो विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों की उपाधियों इत्यादि के लिए प्रशिक्षण देते हैं परन्तु जनता कालिज लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व के लिये प्रशिक्षण देते हैं।

माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुदान

†७५१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में विभिन्न राज्यों को राज्यवार माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए कुल कितनी धनराशी दी गई; और

(ख) कितनी धनराशी का वास्तव में राज्यों द्वारा उपयोग किया गया ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २८**]

(ख) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और बाद में दी जायेगी ।

किरकी की शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था

†७५२. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(क) प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन की किरकी स्थित शास्त्रास्त्र अध्ययन संस्था पर १ अगस्त, १९५५ से कितना धन खर्च किया गया है;

(ख) इस के पश्चात इस संगठन द्वारा और कौनसी परियोजनायें प्रारंभ की गई हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या इस संस्था के सभी अधिकारी भारतीय हैं।

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) १ अगस्त, १९५५ से जुलाई, १९५६ तक इस शास्त्रास्त्र अध्ययन संस्था पर ५,८१,५०० (पांच लाख ईकासी हजार पांच सौ) रुपये खर्च किये गये हैं।

(ख) क्योंकि इस संस्था द्वारा चालू की गई परियोजनाऐं विशिष्ट प्रकार की हैं, इसलिये उनके व्यौरे को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

(ग) एक बृटिश अधिकारी के अतिरिक्त बाकी सभी अधिकारी भारतीय हैं।

नाविक आस्थान

७५३. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय हिन्द महासागर में हमारे कितने सामरिक नाविक आस्थान हैं?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : तीन ।

राजस्थान के स्मारक

†**७५४. श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ ज़िलों में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की मरम्मत और देखरेख के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है; और

(ख) १९५५-५६ में उपरोक्त ज़िलों में इन स्मारकों में से प्रत्येक की देखरेख पर कुल कितनी धनराशी खर्च की गई है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) बांसवाड़ा, और डूंगरपुर ज़िलों के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का प्रबन्ध दक्षिण पश्चिमी सर्किल के सुपरिटेंडन्ट के द्वारा केंद्रीय पुरात्व विभाग करता है। प्रतापगढ़ जिले में ऐसे कोई स्मारक नहीं हैं।

(ख) बांसवाड़ा जिले के दो प्राचीन मन्दिर के स्मारकों की देखरेख पर ८०७ रुपये ७ आने की राशी व्यय की गई । डूंगरपुर ज़िले के स्मारकों पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया ।

प्रविधिक शिक्षा

†**७५५. श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रविधिक शिक्षा के विकास संबंधी योजना को अन्तिम रुप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या २९**]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

खुली नाटयशालायें इत्यादि

†७५६. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में दिल्ली में खुली नाटयशालायें खेल के पैवेलियन मनोरञ्जन हाल और तैरने के तालाब आदि बनाने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का व्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते ।

विदेशी विद्यार्थी

†७५७. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे उन विदेशी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने कि भारत में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिये १९५६ में अपने दृष्टांकों की अवधि के बढ़ाये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं

(ख) अवधि बढ़ाये गये दृष्टांकों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में कितने प्रार्थना-पत्र रद्द किये गये है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) ४२९;

(ख) ४२९;

(ग) कोई नहीं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†७५८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और पेप्सू की प्रत्येक संस्था को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अब तक कितनी धनराशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई है ; और

(ख) क्या सरकार को इन संस्थाओं की गतविधियों की प्रगति के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) अपेक्षित सूचना वाले छः विवरण लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिए परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या ३०**]

(ख) जी नहीं। इन संस्थाओं का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्र कर्मचारी वर्ग द्वारा किया जाता है जो अपनी निरीक्षण रिपोर्टे बोर्ड को प्रस्तुत करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पंजाब में पुस्तकालय

†७५९. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र द्वारा दी गई सहायता में से पंजाब सरकार द्वारा पुस्तकालयों के विकास पर १९५४–५५ और १९५५–५६ में खर्च की गई धनराशि का व्योरा क्या है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या ३१]**

विदेशी राष्ट्रीयता वाले शरणार्थी

†७६०. **श्री सै० खां० रजमी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारत में विदेशी राष्ट्रीयता वाले शरणार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनके मूल देश कौन-कौन से हैं ;

(ग) क्या पाकिस्तानी शरणार्थियों के अतिरिक्त अन्य देशों के शरणार्थियों को कोई विशेष सुविधाएं दी गई हैं ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें भारत में राजनीतिक शरण दी गई अथवा देने से इनकार किया गया और उस के क्या कारण थे ; और

(ङ) इनमें से कितनों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई और कितनों को नहीं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और एक विवरण यथा समय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

आगरे का क़िला

†७६१. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आगरे के किले में कुछ चोरियां हुई हैं और दो फीट लम्बा सुन्दर नक्षीदार तांबे का बना फव्वारा जो कि किले के मुसम्मम बुर्ज के ठीक सामने था और दीवारों में जड़े कई बहुमुल्य रत्नादि चुरा लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो चोरी का पता कब चला और अभियुक्तों को दंड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या उस चोरी का कारण किले के भीतर पर्याप्त सुरक्षा साधनों की कमी थी; और

(घ) यदि हां, तो तब से सुरक्षा उपायों में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) आगरे के किले में कोई ऐसी चोरीयां नहीं हुई हैं, केवल १८ इंच लम्बी तांबे की बनी एक नलकी १८ जून, १९५६ को एक मेले के समय भीड़ के अधिक होने के कारण खो गई थी।

(ख) इस हानि का पता उसी दिन लगा लिया गया था। किले की अग्रेतर सुरक्षा के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है।

(ग) नहीं, एक विशेष अवसर पर किले में भारी भीड़ भाड़ होने के कारण ऐसा हुआ था ।

(घ) सुरक्षा कर्मचारियों को और अधिक सचेत रहने के लिये कड़ी चेतावनी दे दी गई है और उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अर्थुना में मिली वस्तुएं

†७६२. **श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा उस के पश्चात इस बात की जांच की गई है कि राजस्थान के बंसवारा ज़िले के अर्थुना स्थान में जो प्राचीन वस्तुयें मिली हैं वे किस काल की हैं?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: हां जी, यह अवशेष मौर्य काल के नहीं हैं। यह ११वीं अथवा १२वीं शताब्दी के आसपास के हैं।

आसाम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र

†७६३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दो वर्ष से जब से कि आसाम तेल कम्पनी ने नहरकटिया आसाम में भूमि में छेद करने का कार्य आरम्भ किया है, लोंगो को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें ली जा रही हैं और वृक्ष काटे जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार प्रभावित व्यक्तियों को कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है यद्यपि प्रतिकर के दरों को २४ फरवरी, १९५६ को अन्तिम रूप से निश्चित कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(घ) प्रतिकर के अभी तक न दिये जाने के क्या कारण हैं?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). नहीं जी, किसी को निष्कासित नहीं किया गया है। जहां भूमि में आसाम तेल कम्पनी द्वारा छिद्र किये जाने थे उस भूमि को उक्त कम्पनी ने स्वयं निजी तौर पर बातचीत करके प्रतिकर की उन दरों पर प्राप्त किया था जो कि स्थानीय-अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई थीं और जिन्हें आसाम सरकार ठीक और उचित समझती है। इस प्रकार प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या ७ फरवरी, १९५६ तक २८२ थी।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

विश्वविद्यालयों में उपाधि पाठ्यक्रम

† ७६४ **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने सम्बद्ध विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष का उपाधि पाठ्यक्रम अभी से ही चालू करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) क्या कोई ऐसा राज्य भी है जिसने इस शिक्षा सुधार को पसन्द न किया हो; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या ३२**]

अनुसूचित जातियों इत्यादि को छात्रवृत्तियां

†७६५. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

---

†मूल अंग्रेजी में।

(क) १९५५–५६ में अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्तियों के लिये लड़कों लड़कियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वर्ग में छात्रवृत्तियां देने के लिये कितनी धनराशी निर्धारित है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या ३३**]

अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन

†७६६. **श्री संगण्णा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५६ में अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन को अयोजित करने का कोई प्रस्ताव है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: जी नहीं, श्रीमान।

अनुसूचित जातियों आदि को छात्रवृत्तियां

७६७. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के संबंध में मध्य भारत के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने छात्रों और छात्राओं से प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इसी काल में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों से कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**देखिए परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या ३४**]

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†७६८. **डा० सत्यावादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री उन संस्थाओं के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां राष्ट्रीय अनुशासन योजना अब तक लागू की जा चुकी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : मामले पर अभी योजना आयोग से बातचीत हो रही है।

अभ्रक की खाने

†७६९. **श्री बलवंत सिंह महता** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान की जिन अभ्रक खानों में इस समय काम हो रहा है उनकी संख्या कितनी है; और ।

(ख) अभ्रक का इस समय हंडरवेटों में कुल उत्पादन कितना है?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) ३८२ ।

(ख) १९५३ का कुल उत्पादन १६,७२८ हंडरवेट था, १९५४ में २०,८७८ हंडरवेट था । १९५५ के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . १०६५–८८

विषय

तारांकित प्रश्न संख्या

११६३	प्रतिरक्षा विभाग के अतिरिक्त कर्मचारी . . .	१०६५–६६
११६४	जर्मनी में भारतीय प्रशिक्षणार्थी .	१०६७
११६५	पुनः बीमा निगम . .	१०६८–६९
११६६	कृत्रिम वर्षा . .	१०६९
११६७	उत्तुंग गवेषणा संस्था .	१०६९–७०
११६८	हिन्दी छात्रवृत्तियां . . .	१०७०–७१
११६९	हैदराबाद तथा मैसूर का पुनर्गठन . .	१०७१–७२
११७१	हंडयाया . . .	१०७२
११७२	मनीपुर में भूख से मृत्यु . .	१०७२–७४
११७४	अस्पृश्यता . . .	१०७४–७६
११७५	मध्य एशिया में बुद्ध मंदिर . . .	१०७६
११७६	आस्तियों का विदेशों को स्थानान्तरण .	१०७७
११७७	कलात्मक वस्तुयें . . .	१०७७–७८
११७८	वस्तुओं के मुंल्यों में वृद्धि	१०७८–८१
११७९	स्विटजरलैण्ड में भारतीय वनस्पतिक नमूने . .	१०८१–८२
११८०	धौलपुर गद्दी का उत्तराधिकार . . .	१०८२
११८१	त्रिपुरा	१०८२–८३
११८२	गूजर जाति का पुनर्वास	१०८३–८४
११८३	आदिम जाति कल्याण योजनायें .	१०८४–८५
११८४	जिला और ताल्लुकों के नक्शे . . .	१०८५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

९	बीजापुर में बाढ़	१०८६–८७
१०	रेवाड़ी (पंजाब) में बाढ़ से हानि . .	१०८७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . १०८८-११०६

तारांकित प्रश्न संख्या

११६२	सांस्कृतिक मिशन	१०८८

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११७०	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विशेष गृह—निर्माण योजना	१०८८
११७३	राजस्थान समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड .	१०८८
११८५	राज्य वित्त निगम . .	१०८८
११८६	सीमेन्ट	१०८८
११८७	आयकर का बकाया . .	१०८८—९०
११८८	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड .	१०९०
११८९	उपदान	१०९०
११९०	आदिम जाति कल्याण के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड .	१०९१
११९१	अनुसूचित जातियों के लिये छात्रवृत्तियां . .	१०९१
११९३	राशन भत्ता . .	१०९१
११९४	तेल की खोज	१०९१—९२
११९५	छावनी बोर्ड	१०९२
११९६	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	१०९२
११९७	केन्द्रीय चर्म गवेषणा संस्था . .	१०९२—९३
११९८	योग्यता छात्रवृत्तियां .	१०९३
११९९	एशियाई अफ़्रीकी विद्यार्थी सम्मेलन .	१०९३
१२००	नई स्वर्ण रीफ (पट्टी) . .	१०९३
१२०१	त्रिपुरा में निर्वाचक नामावली .	१०९४
१२०२	हीरे की खानें	१०९४
१२०३	यूनेस्को राष्ट्रीय आयोग .	१०९४

अतारांकित प्रश्न संख्या

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७३१	विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों आदि के लिये संरक्षण	१०९५
७३२	चोरी छिपे लाई गई सुपारी	१०९५
७३३	उच्चतर माध्यमिक और बहु प्रयोजनीय विद्यालय .	१०९५
७३४	सोना	१०९६
७३५	सेवाओं का एकीकरण	१०९६
७३६	त्रावणकोर—कोचीन राज्य में सरकारी कर्मचारी .	१०९७
७३७	त्रावणकोर राज्य के भूतपूर्व कर्मचारी . .	१०९७
७३८	कर्मचारियों के लिये मकान	१०९७
७३९	त्रावणकोर—कोचीन राज्य के उत्पादन शुल्क विभाग में वेतन स्तर	१०९७—९८
७४१	त्रावणकोर कोचीन में जिला मुख्यालय भवन .	१०९८

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७४२	त्रावणकोर कोचीन में कर्मचारी वृन्द	१०९८
७४३	त्रावनकोर कोचीन में प्राईवेट कालेज	१०९८–९९
७४४	त्रावनकोर कोचीन राज्य में कालेज	१०९९
७४५	त्रावनकोर कोचीन में शिक्षा संबंधी संस्थायें	१०९९
७४६	खनिज निक्षेप	१०९९-११००
७४७	लोहा अयस्क	११००
७४८	चोरी छिपे लाई गई घड़ियां	११००
७४९	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन कार्य संचालन) निधि	११००–०१
७५०	जनता कालेज	११०१
७५१	माध्यमिक शिक्षा के लिये अनुदान	११०१
७५२	किरकी की शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था	११०१–०२
७५३	नाविक आस्थान	११०२
७५४	राजस्थान के स्मारक	११०२
७५५	प्रविधिक शिक्षा	११०२
७५६	खुली नाट्यशालायें इत्यादि	११०३
७५७	विदेशी विद्यार्थी	११०३
७५८	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	११०३
७५९	पंजाब में पुस्तकालय	११०४
७६०	विदेशी राष्ट्रीयता वाले शरणार्थी	११०४
७६१	आगरे का किला	११०४
७६२	अर्थुना में मिली वस्तुए	११०५
७६३	आसाम के नहरकटिया तेल क्षेत्र से बेदखली	११०५
७६४	विश्वविद्यालयों में उपाधि पाठ्यक्रम	११०५
७६५	अनुसूचित जातियों आदि को छात्रवृत्तियां	११०५–०६
७६६	अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन	११०६
७६७	अनुसूचित जातियों आदि को छात्रवृत्तियां	११०६
७६८	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	११०६
७६९	अभ्रक की खानें	११०६

भा. स. मु. ना.—वि.३–२१६–लोकसभा–२९-८-५७—१९०

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ७, १९५६

(६ से २५ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Parliament Library

तेरहवां सत्र १९५६

(खण्ड ७ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

231 L. S./57

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद दिनांक, ६ से २५ अगस्त, १९५६]

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६ — पृष्ठ

स्वेज नहर के मामले पर वक्तव्य के सम्बन्ध में . — ६९५—९६
स्थगन प्रस्ताव——
त्रिपुरा में बाढ़े . — ६९६—९८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . — ६९८—९९
राज्य सभा से सन्देश . . . — ६९९
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक . — ७००
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में — ७००—३९
खंड २ से १५ . . . . . . — ७००—०२
खंड १६ से ४९ और अनुसूचि १ से ३ — ७०२—१९
खंड ५० से ७० . . . — ७१९—३२
खंड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ — ७३२—३९

दैनिक संक्षेपिका — ७४०—४१

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

प्राक्कलन समिति——
कार्यवाही का सारांश (१९५५—५६) खंड ५, अंक ४ और ५ — ७४३
बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक — ७४३
राष्ट्रीय राजपथ विधेयक . . . . . — ७४३
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . — ७४४—८६
खंड २ से १५ . . . . — ७४४—६३
खण्ड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ . . — ७६३—६६
खण्ड ११५ से १३१ . . . — ७६६—८६

दैनिक संक्षेपिका . . — ७८७

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

डा० ह० कु० मुकर्जी का निधन . — ७८९—९०
स्वेज नहर के प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . . — ७९०—९५

दैनिक संक्षेपिका . — ७९६

अंक १९ गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६ पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७९७–९८
राज्य सभा से सन्देश ७९८
सभा का कार्य ७९८
स्थगन प्रस्तावों के संबंध में ७९९
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ७९९–८५२
खण्ड २ से १३१, अनुसूची १ से ६ और खण्ड १ . . . . ७९९–८५०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५१
नदी बोर्ड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ८५२–६३
विचार करने का प्रस्ताव ८५२
दैनिक संक्षेपिका . . ८६४–६५

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
अहमदाबाद की स्थिति . . ८६७–६८
कार्य-मंत्रणा समिति—
उनतालीसवां प्रतिवेदन . . ८६८
प्राक्कलन समिति—
कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खण्ड ५ संख्या ६ . ८६८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
नेकोवाल दुर्घटना के संबंध में पाकिस्तान द्वारा क्षतिपूर्ति . ८६८–६९
नदी बोर्ड विदेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ८६९–७४
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ८७४–९८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८९४
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७–ख का हटाया जाना) . ८९८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—
विचार करने का प्रस्ताव . . . ८९८–९११
बेकारी सहायता विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव . . ९११
स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . ९१८

	पृष्ठ
मोटरों के पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६१६–२४
बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक	६२४–२५
दैनिक संक्षेपिका . .	६२६–२७

अंक २१, शनिवार, ११ अगस्त, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश	६२९
सभा का कार्य	६२९–३०
नदी बोर्ड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	६३०–४१
खण्ड २ से २९ और १	६३०–४०
पारित करने का प्रस्ताव	६४०
बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	६४४
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६४१–४४, ६४५–५४
खण्ड २ से १३ और १ . . .	६५३–५४
पारित करने का प्रस्ताव	६५४
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	६५४–७४
दैनिक संक्षेपिका . . .	६७५

अंक २२, सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा . . .	६७७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६७७–७८
राज्य सभा से सन्देश	६७८
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका .	६७८
आधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन . . .	६७९
वाद-विवाद से अंश निकाले जाने के बारे में .	
कार्य मंत्रणा समिति—	
उन्तालीसवां प्रतिवेदन	६७९–८०

पृष्ठ

तोल और माप मानदण्ड विधेयक . . ९८०

राष्ट्रीय राज पथ विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ९८०–१०२४

खण्ड २ से १०, अनुसूची और खण्ड १ . १०१५–२४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १०२४

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के बारे में प्रस्ताव . १०२४–३७

दैनिक संक्षेपिका १०३८–३९

अंक २३, मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ . १०४२

अतिरेक अनुदानों की मांगें, १९५१–५२ . . . १०४२

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ (त्रावनकोर-कोचीन) १०४२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन . १०४२

विद्युत (सम्भरण) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . १०४२–६८

बहु-एकक सहकारी संस्थाएं (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०७५–८०

खण्ड १ और २ . १०८०–८१

पारित करने का प्रस्ताव . १०८०

भारतीय खाल उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०८१–९०

खण्ड १ से ५ . १०९०

पारित करने का प्रस्ताव . . १०९०

भारतीय कपास उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १०९०–९२

अगरतला में बाढ़ पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १०९३–९७

दैनिक संक्षेपिका . १०९८–९९

अंक २४, गुरुवार, १६ अगस्त, १९५६

श्री शिवदयाल उपाध्याय का निधन ११०१

सदस्य का बन्दीकरण ११०१

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११०१–०२

नियम समिति—

पांचवां प्रतिवेदन ११०२

लोक-लेखा समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन ११०२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसलों पर सूखे का प्रभाव ११०३–०४

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ११०४–५२

विचार करने का प्रस्ताव . ११०४

खण्ड २ से ४ और नया खण्ड ४ क ११४६–४८

दैनिक संक्षेपिका ११५३

अंक २५, शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

पटल पर रखे गये पत्र . . . ११५५

राज्य सभा से सन्देश ११५५

भारतीय रेलवे अधिनियम तथा उसके अधीन नियमों के बारे में याचिका . ११५६

सभा का कार्य ११५६,१२०६

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक . ११५६–८८

खण्ड ३ से ५१, अनुसूची तथा खण्ड १ . ११७७–८६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ११८६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठावनवां प्रतिवेदन ११८८

चलचित्रों के उत्पादन तथा प्रदर्शन के नियंत्रण और विनिर्यमन के बारे में प्रस्ताव . ११८८–१२०५

राज्य नीति के निदेशक तत्वों की कार्यान्विति संबंधी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प १२०५

दैनिक संक्षेपिका . १२०७–०८

अंक २६, सोमवार, २० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति १२०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२१०

	पृष्ठ
राज्यसभा से सन्देश . . .	१२१०
समाचार-पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक .	१२११
सदस्यों का नन्दीकरण .	१२११
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१२११
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	१२११–१५
खण्ड २ से ५ और १ . . .	१२१५
पारित करने का प्रस्ताव	१२१५
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१२१५–२४
खण्ड २ से ४ और १ . . .	१२२३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	१२२३
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१२२४–३४
खण्ड १ और २ . . .	१२३४
पारित करने का प्रस्ताव	१२३४
जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक—	
विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव . . .	१२३५
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१२३५–३९
खण्ड १ से ३ . .	१२३९
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१२३९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ .	१२४०–५६
सभा का कार्य .	१२३९
दैनिक संक्षेपिका .	१२५७–५८

अंक २७, बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

नियम समिति—	
बैठक की कार्यवाही का सारांश . . .	१२५९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	१२६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
उनसठवां प्रतिवेदन	१२६०

पृष्ठ

मोटर गाड़ी अधिनियम के बारे में याचिका १२६०

सदस्य का निरोध १२५९
१२६०–६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे, १९५१–५२ . . . . . १२६२–७३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम के बारे में प्रस्ताव . १२७३–१३०३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में १३०३–१५

विचार करने का प्रस्ताव १३०३

दैनिक संक्षेपिका १३१६–१७

अंक २८, गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १३१९

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३१९

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३२०

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव १३२०–६०

खण्ड २ से ६, और खण्ड १ . . . . . . १३५७–६०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३६०

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में प्रस्ताव १३६०–७८

दैनिक संक्षेपिका १३७९

अंक २९, शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र. १३८१

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३८१–८२

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३८२

सभा का कार्य १३८२–८३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक १३८३–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३८३

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . . १३९८–१४०५

विचार करने का प्रस्ताव . . १३९८

पृष्ठ

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . . १४०५–१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
उनसठवां प्रतिवेदन १४१५–१६
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक १४१६
स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— १४१६-२०,
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . १४२७–२८
संविधान (छठी अनुसूची का संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४२०–२२
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४२२–३४
दैनिक संक्षेपिका . . १४३५–३६

अंक ३०, शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

सभा का कार्य १४३७–३८
राज्य सभा से सन्देश १४३८
भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक १४३८
कार्य मंत्रणा समिति—
चालीसवां प्रतिवेदन १४३८
सदस्य द्वारा त्याग-पत्र १४३९
स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिकरण दमन विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव १४३९–४०
बाल विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव १४४०–४१
स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १४४१
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में . १४४१–५३
खण्ड २ और १ . . . . १४५२–५३
पारित करने का प्रस्ताव १४५३
भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था (खड्गपुर) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४५३–८१
खण्ड २ से ३१ और १ . . . . १४७५–८०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १४८०

ैल और माप मापदण्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४८१–८२
निक संक्षेपिका १४८३–८४

भा०स०मु०ना०—वि०३—२३१ लोक सभा/५६—२८–३–५८—१६०.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-४ म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: मैं विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत विमुक्ति की निम्नलिखित घोषणाओं में से प्रत्येक की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) १/२४/५६-एफ० आई०, दिनांक ९ अप्रैल, १९५६ (२ घोषणाएं)

(२) १/५९/५५-एफ० आई०, दिनांक १७ अप्रैल, १९५६ (१८ घोषणाएं)

(३) १/२८/५६-एफ० आई०, दिनांक २४ अप्रैल, १९५६ (१ घोषणा)

(४) १/३२/५६-एफ० आई०, दिनांक ४ मई, १९५६ (२ घोषणाएं)

(५) १/३१/५६-एफ० आई०, दिनांक १५ मई, १९५६ (१ घोषणा)

(६) १/३८/५६-एफ० आई०, दिनांक २६ जुलाई, १९५६ (७ घोषणाएं)

[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिये एस-३४३/५६]

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि राज्य-सभा ने १६ अगस्त १९५६ को अपनी बैठक में प्रतिलिप्यधिकार विधेयक १९५५ पर सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन करने के लिये समय अगले सत्र के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को, पारित कर दिया है।

†मूल अंग्रजी में।

भारतीय रेलवे अधिनियम और उसके अधीन नियमों के सम्बंध में याचिका

†**श्री ब०स० मूर्त्ति** (एलुरू): मैं भारतीय रेलवे अधिनियम (१८९० के नवें) और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के संशोधन के सम्बन्धमें एक याची द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

सभा का कार्य

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं संसद् कार्य मंत्री की ओर से, लोक-सभा में २० अगस्त, १९५६ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में सरकारी कार्य के क्रम की घोषणा करता हूं। आजकी कार्यसूची में दिये गये विधान सम्बन्धी कार्य की समाप्ति पर अगले सप्ताह निम्नलिखित कार्य का प्रस्ताव है :—

विचार करने और पारित करने के लिए विधेयक

१. राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक ।

२. जम्मू और काश्मीर (विधि विस्तार) विधेयक।

३. प्रवर सीमित द्वारा प्रतिवेदित रूप में सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक।

४. राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल विधेयक।

५. राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक।

६. राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक।

वित्तीय कार्य

१९५६–५७ के अनुदानों की अनुपूरक मांगों और १९५१–५२ के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान।

यह भी प्रस्ताव है कि उस सप्ताह में नागा पहाड़ियों की स्थिति पर दो घंटे की चर्चा का उपबंध किया जाये।

मैं यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि सोमवार ३ सितम्बर को सभा में संविधान (नवम संशोधन) विधेयक विचार के लिए लाया जायेगा।

बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रो का हस्तांतरण विधेयक—(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब बिहार से पश्चिमी बंगाल को कतिपय राज्य क्षेत्र हस्तांतरित करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार करेगी।

श्री म० प्र० मिश्र (मुंगेर-उत्तर-पश्चिम) : कल शाम मैं इस सभा के सामने यह निवेदन कर रहा था कि हमारे कम्यूनिस्ट (साम्यवादी) भाइयों ने भाषा को एक धर्म और देवता की जगह दे दी है और यही कारण है कि आज भाषा के नाम पर सारे देश में वे खूनखराबियां करवा रहे हैं और जितनी खूनखराबी व कत्लेआम और गड़बड़ी सारे देश में पिछले एक साल से हुई है उस सब की जिम्मेदारी मैं समझता हूं यहां की कम्यूनिस्ट पार्टी पर है और उसके साथ साथ चलने वाली कुछ अंश में प्रजा-समाजवादी पार्टी पर भी है और यह जो कहा जाता है कि पुलिस ने गोली चलाई और ज्यादती की तो वह तो पुलिस ने मजबूरी की हालत में ऐसा किया लेकिन जो नौजवान देश के मारे गये और जिनकी जानें जा रही हैं, इस सारी खूनखराबी की जवाबदेही यहां की इन दो पार्टियों पर है और विशेष कर कम्यूनिस्ट पार्टी पर है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

फायरिंग के बारे में भी मैं कह सकता हूं कि उनकी जवाबदेही है, लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। अभी मेरे एक महाराष्ट्र के दोस्त जो कि इस सदन के सदस्य हैं और रास्ते में साथ आते थे, कह रहे थे कि परसों महाराष्ट्र के खानदेश में कांग्रेस के एक मंत्री एक सभा करने गये थे और लोगों को समझा रहे थे कि जो द्विभाषी राज्य बना है वह हमारे देश के हित में है। कम्यूनिस्टों ने बगल में दूसरी सभा खड़ी कर दी और वहां से रोड़े चलाने शुरू कर दिये। कांग्रेस कमेटी के मंत्री उन रोड़ों के बावजूद भी एक घंटे तक बोलते रहे, वे अपनी जान पर खेलते रहे। नतीजा यह हुआ कि सभा समाप्त कर जब वह घर जा रहे थे तो रास्ते में मर गये। उनकी लाश भी अस्पताल नहीं पहुंच सकी। मैं कहता हूं कि यह कम्यूनिस्ट जो दृश्य उपस्थित कर रहे हैं उसकी जवाबदेही का फैसला इतिहास करेगा। लेकिन उनको इससे क्या मतलब ? जैसा कल मैंने निवेदन किया था, उनको एक मामूली सी बात जानने में कि हिन्दुस्तान आज़ाद हो गया १५ अगस्त, १९४७ को, इस उजागर सत्य को समझने में भी ९ वर्ष लग गये, पहली दफा उन्होंने इस दफा १५ अगस्त को देश की आज़ादी के उत्सव में शिरकत की, उसमें भाग लिया। उनको इस उजागर सत्य को समझने में भी ९ वर्ष लगते हैं।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : जब बुलगानिन और क्रुश्चेव ने कहा यहां आकर कि हिन्दुस्तान आज़ाद हो गया, तब उन्होंने इस बात को समझा।

†**श्री वि० घ० देशपांडे** (गुना) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब राज्य पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा हो रही थी उस समय अध्यक्ष महोदय द्वारा एक विनिर्णय दिया गया था कि बम्बई में लूट मार तथा गोली चलने की घटनाओं के बारे में यहां कुछ न कहा जाय। क्या इन सारी घटनाओं पर इस विधेयक पर विचार के समय चर्चा की जा सकती है अथवा इस सम्बन्ध में एक अलग विनिर्णय दिया जायगा ?

†**श्री म० प्र० मिश्र** : मैं खानदेश में हुई एक घटना के बारे में कह रहा था जहां एक कांग्रेसी को जलसे में कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने पत्थर मार-मार कर मृत:प्राय कर दिया।

†**श्री वि० घ० देशपांडे** : क्या इस विधेयक पर बोलते समय हम पटना में गोली चलने के मामले के बारे में कुछ कह सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक बम्बई के मामले का संबंध है, वहां तो लोगों की इच्छा न्यायिक जांच करवाने की थी। किन्तु इस सभा में यह मांग नहीं की जा सकती, यह राज्य की विधान सभा में की जा सकती है।

जहां तक इस घटना का संबंध है इसके बारे में थोड़ा उल्लेख किया जा सकता है—इसके ब्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं है।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कम्यूनिस्ट पार्टी के बारे में झूठा बयान दिया जा सकता है कि इसके सदस्यों ने किसी को पत्थर मार मारके मृत:प्राय कर दिया। यह बिल्कुल झूठ बात है।

†**श्री म० प्र० मिश्र** : यह बिल्कुल सच है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब माननीय सदस्य बंगाल बिहार के मामले पर ध्यान दें।

श्री म० प्र० मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह देश स्वाधीन हो गया, इस उजागर सत्य को समझने में उन को ९ साल लगे, तो यह बात कि केवल भाषा के आधार पर प्रान्त नहीं बनने चाहिये, भाषा के लिये भाइयों का गला नहीं कटवाना चाहिये, यह बात समझने में तो उनको अभी कई वर्ष लगेंगे। उन लोगों को यह बात समझने में ३० वर्ष लगे कि जिस आदमी को वे देवता की

---

†मूल अंग्रेजी

[म० श्री० प्र० मिश्र]

तरह पूजते थे, वह संसार के इतिहास का सब से बड़ा त्रासक निकला। लेकिन एक चीज में हमारे कम्यूनिस्ट भाई बहुत भाग्यवान हैं। उनको अपने दिमाग को तकलीफ नहीं देनी होती है, उनको सोचने के लिये कष्ट नहीं करना पड़ता है। उनके लिये हर काम दूसरे लोग करते हैं।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता--दक्षिण-पूर्व): औचित्य प्रश्न के हेतु पूछना चाहता हूं कि क्या यहां कम्यूनिस्ट पार्टी की विचारधारा पर विचार किया जा रहा है?

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी भी दल का कोई सदस्य यह कह सकता है कि इस मामले में कम्यूनिस्ट पार्टी गलत है। किन्तु सारी बात मामले से संगत होनी चाहिये।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : किन्तु माननीय सदस्य ने कुछ और ही कहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य मामले से संगत बातों पर ही कुछ कहें।

श्री म० प्र० मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हमारे कम्यूनिस्ट दोस्त कहते हैं कि भाषा ही असल चीज है जिस पर प्रान्त का ही नहीं गांव गांव का बटवारा होना चाहिये। हमारे गृह मंत्री ने कल उन को उत्तर दिया कि अगर आप केवल बंगला भाषा के आधार पर ही खड़े होते हैं तो हमारे प्रान्त के जो हिस्से बंगाल को मिल रहे हैं उनमें से एक इंच भी उनको नहीं मिल सकता...एक इंच उन को नहीं मिलना चाहिये। कोई आधार नहीं है कि उनको किशनगंज के दो गांव मिलें। पुरुलिया की बात भी मैं कहना चाहता हूं। एस० आर० कमिशन ने जो आधार बनाया है, उसके मुताबिक भी पुरुलिया का एक भी गांव पश्चिमी बंगाल में भाषा के आधार पर नहीं जाना चाहिये। कल भी मैंने कहा था कि अगर भाषा की ही बात है तो पश्चिमी बंगाल को दार्जीलिंग का भी हिस्सा अपने पास रखने का कोई अधिकार नही है। वहां पहाड़िया लोग हैं। वहां पर आदिवासी, नेपाली, गोरखे लोग हैं और उनके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं। बंगाली वहां मुट्ठी भर हैं। लेकिन कोई कम्यूनिस्ट नहीं कहेगा कि दार्जीलिंग को पश्चिमी बंगाल से बाहर जाना चाहिये, दूसरे सूबे में जाना चाहिये या उसका एक अलग सूबा बनना चाहिये। तो यह बात कि अपना प्रदेश बनाने के लिये अपने प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश के अन्दर की जगहें भी चाहिये, एक गलत बात है। यह कहते हैं कि सन् १९५१ का सेन्सस जो है वह ठीक नहीं। लेकिन तब भी कहते हैं कि वहां के लोग बंगला भाषा बोलते हैं। कम्यूनिस्ट कहते हैं कि वंगला भाषा बोलने वालों को अपनी भाषा के प्रदेश में जाना चाहिये और वहां के लोग जाना चाहते हैं। अगर यह बात सही है तो क्यों नहीं इन इलाकों के लोगों की राय ले ली जाती है। बंगाली प्लेबिसाइट का विरोध क्यों करते हैं? एक मामूली सी बात है, पुरुलिया एक सबडिवीजन है, किशनगंज भी एक छोटा सा हिस्सा है। भारत सरकार को सिर्फ १५ दिन लगेंगे वहां के लोगों की राय जानने में बालिग मताधिकार के आधार पर वहां की वोटर लिस्ट [मतदाता सूची] बनी हुई है। मैं कहता हूं कि कम्यूनिस्ट पार्टी, [साम्यवादी दल], बंगाल के दोस्त और भारत सरकार मेरी इस छोटी सी मांग को मान लें। वहां के लोगों की राय ले ली जाय, और मैं कहता हूं कि पुरुलिया के उस हिस्से से जहां ज्यादा से ज्यादा बंगाली बोलने वाले हैं, अगर ४० प्रतिशत लोग वोट दे दें कि हम बंगाल जाना चाहते हैं तो हम बिहारी हाथ उठा कर उन से कहेंगे कि आप जाइये। और किशनगंज में अगर १० प्रतिशत लोग कहें कि हम बंगाल में जाना चाहते हैं तो हम उनसे भी कहेंगे, हाथ जोड़ कर, झंडा दिखला कर कहेंगे कि आप बड़े प्रेम से बंगाल चले जाइये। लेकिन यह बात भी उनको मंजूर नहीं, घबराहट है हमारे दोस्तों के अन्दर, क्योंकि वह असलियत को जानते हैं। वह सोचते हैं कि एस० आर० सी० ने दे दिया है, सरकार ने भी अपनी मोहर लगा दी है, इसलिये ज्यादा झगड़ा न बढ़ाओ, जो मिले लेकर भाग चलो। लेकिन लेकर भाग चलने की बात तो चोरी की चीजों के सम्बन्ध में उठती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन इलाकों में जनमत ले ले एस० आर० सी० का उदाहरण दिया जाता है, सरकार भी बार बार कहती है, पंत जी कहते हैं कि हमने सारे फैसले एस० आर० सी० [राज्य पुनर्गठन आयोग] के फैसले के आधार पर किये हैं।

†मूल अंग्रेजी में।

हमारी सरकार की तरफ से गृह मंत्री बार बार कहते हैं कि हम ने जो फैसला किया है राज्यपुनर्गठन आयोग के फैसले के आधार पर किया है। लेकिन यह बात भी सही नहीं है कि सरकार के सारे फैसले उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुए हैं। आयोग के फैसले बहुत बदले हुए हैं। लेकिन मैं आयोग के बारे में भी कहना चाहता हूं। आयोग एक क्वासी जुडिशल बाडी [अर्द्ध-स्थायी न्यायिक निकाय] बनाई गई थी। इसी लिये उसमें एक सुप्रीम कोर्ट [उच्चतम न्यायालय] में जज रक्खे गये थे। लेकिन चूंकि उन जज महोदय का सम्बन्ध सूबा बिहार से था, इसलिये उन्होंने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया जब बिहार का प्रश्न आया। इसलिये जहां तक बिहार का सवाल है, न्याय का अंश उसमें से चला गया। उसके बाद दो सदस्य आयोग के बचे। उनके लिये मेरे दिल में बड़ी इज्जत है। पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने आयोग में बैठकर फैसला किया कि बम्बई का प्रान्त अलग रहेगा, बम्बई शहर एक अलग प्रान्त बनेगा अगर महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ नहीं होते। लेकिन उनके फैसले पर जब सरकार ने कुछ निर्माण किया तो उसके बाद वहां खून की नदियां बहीं। उसके वाद छः महीने कुंजरू साहब जो एस० आर० सी० के सदस्य थे, पूना पहुंचे और बयान दिया कि बम्बई को महाराष्ट्र में जाना चाहिये। जनाबेवाला अगर वे एक मास पहले अपने दिमाग को सही रखते और उसी दिन यह फैसला कर देते कि बम्बई को महाराष्ट्र में दे दिया जाए तो यह खून-खराबी नहीं होती। हमारे आयोग के यही सदस्य हैं जिनका नाम है श्री कुंजरू जो पिछले दिन वह राज्य-सभा में दौड़े गए और कहने लगे कि किशनगंज और पुरुलिया बंगाल को मिलना चाहिये। उनका यह भी कहना था कि हमें अपना फैसला बदलना चाहिये......

†**श्री साधन गुप्त** : एक औचित्य प्रश्न है। क्या कोई सदस्य राज्य की कार्यवाही की ओर निर्देश कर सकता है?

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ राज्य-सभा में हुआ हो उसका उद्धरण नहीं देना चाहिये। उन्हें कहना चाहिये कि वहां के सदस्य का यह विचार है।

श्री म० प्र० मिश्र : एक दूसरे सदस्य हैं जो कि बहुत बड़े राजदूत रह चुके हैं। पहले उनका यह खयाल था कि हमारे देश में द्विभाषी प्रान्त बनने चाहिये और गुजरात और महाराष्ट्र को मिला कर एक प्रान्त बनाया जाए। यही आयोग का फैसला था, यही फैसला उनकी रजामंदी से हुआ, था। लेकिन जब अमृतसर कांग्रेस ने यह फैसला किया कि हम द्विभाषी प्रान्त बनाये जाने के हक में हैं तो उन्होंने यहां की एक रोटरी क्लब में जा कर भाषण किया और कहा कि भाषाओं के आधार पर प्रान्तों की रचना होनी चाहिये। ये थे इस कमीशन के सदस्य जो कि यह भी नहीं जानते थे कि उनका दिमाग कब किस तरफ जा रहा है, वे अपने दिमाग में ही साफ नहीं थे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर आप गौर करें और मेरे बंगाल के भाई भी गौर करें। जितनी भी यहां पर बहस हुई है, जितनी भी सिलेक्ट कमिटी [प्रवर समिति] में बहस हुई है, जितनी भी बातें सरकार की तरफ से कही गई हैं और जितनी भी बातें बंगाली भाइयों की तरफ से कही गई हैं, उन सब से एक बात तो साफ हो गई है और वह यह कि बंगाल का कोई केस नहीं है, उनके पास कोई दलील नहीं है, उनकी मांग में कोई औचित्य नहीं है। जो वह कहते हैं वह न्याय पर आधारित नहीं है, वह अन्याय करना चाहते हैं। तब प्रश्न भावना का, सेंटीमेंट, का उठता है और इस पर गौर करना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार के चार करोड़ भाइयों के हृदय में कोई भावनायें नहीं हैं, क्या उनमें भावुकता नहीं है और क्या उनमें सैंटिमेंट [भावना] की कोई बात नहीं है। हां एक बात जरूर ह और वह यह है कि बिहार के लोग चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे कांग्रेस के प्रति वफादार हैं। इस समय पन्त जी यहां नहीं हैं, उनकी जगह पर दूसरे मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं पूछता हूं कि क्या यही कीमत है जो हमें अपनी वफादारी की मिल रही है, क्या हमारी वफादारी का इनाम हमें यह मिल रहा है कि बिना किसी न्याय के, बिना किसी इंसाफ के, बिना किसी औचित्य के बिहार के ये हिस्से बंगाल को सौंपे जा रहे हैं। वफादारी की कीमत तो कुछ और होती है उसका बदला तो प्यार में दिया जाता है, सहानुभूति में दिया जाता है। और यहां हमें पत्थर मिल रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री म० प्र० मिश्र]

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किशनगंज के पास बंगाल के दो हिस्से हो गये हैं । बंगाल के उन दो हिस्सों के मिलाने के लिये उसे एक रास्ता चाहिये था जो कि उसे दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह इलाका जो उन्हें दिया जा रहा है पाकिस्तान में था। यह तो हिन्दुस्तान में ही था। वहां एक नैशनल हाईवे बना हुआ था और उससे बंगाली भाई आते जाते थे और कोई तकलीफ की बात नहीं थी। लेकिन सरकार ने कहा कि हम उनको रास्ता देंगे। इस वास्ते उसने यह फैसला किया कि बिहार की भूमि और भारत सरकार का राजपथ हम बंगाल के सुपुर्द किये दे रहे हैं। हम से यह वादा किया गया है कि हमारे लिये पुरुलिया में एक हाईवे दिया जाएगा। उसमें बंगाल को सड़क दी जा रही है। दक्खिन में हमारी सड़क छीनी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां जो एक दो औद्योगिक केन्द्र हैं, जमशेदपुर है और धनबाद है, उन दोनों को मिलाने के लिये हमारे पास कौन सा रास्ता रह जाता है। मानों हमारे लिये तो आज ही अभी ही स्वेज कैनाल बन्द हो गई है। और कल से ही हमें केप आफ गुड होप से होकर जाना पड़ेगा। जो सड़क बिहार की थी उसे बंगाल को दिया जा रहा है और हमें यह आश्वासन दिया जा रहा ह कि हम तुम्हारे लिये भी एक राजपथ बना देंगे। बंगाल को तो राजपथ मिल गया लेकिन हमारे लिये राजपथ बनाने का आश्वासन दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इन्साफ हो और एक ही इन्साफ की तराजू होनी चाहिये। किसी के लिये एक तराजू और दूसरे के लिये दूसरी तराजू नहीं होनी चाहिए । हमारे बिहार की आबादी चार करोड़ की है। सब लोग जानते हैं कि बिहार में उतने जोर का आन्दोलन नहीं हुआ जितने जोर का कलकत्ता में हुआ है और जिसमें वामपक्षियों का हाथ था। आप यह भी जानते हैं कि बिहार के लोग कांग्रेस के ज्यादा वफादार हैं वे सब्र करना जानते हैं। लेकिन जो उनकी इस मनोदशा को जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि जब कभी कोई चीज बरदाश्त से बाहर हो जाती है और हृदय को चोट पहुंचती है तो उसके गुस्से की भी कोई सीमा नहीं रहती है। जो घाव हमारे दिल पर लगाया जा रहा है, वह नहीं भरेगा और इसके अच्छे नतीजे नहीं निकल सकते।

मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल और बिहार दो पड़ोसी प्रान्त हैं और बहुत देर तक एक साथ रहते रहे हैं। इन दोनों को एक साथ जीना और एक ही साथ मरना है। जो कुछ भी हो वह सद्भावनापूर्ण वातावरण में होना चाहिये। मैं बंगाली भाइयों से निवेदन करता हूं कि उन्हें जो कुछ भी मिले उसे लेकर भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

बर्मन साहब ने कहा कि दूसरी लड़ाई दूसरी किश्त के लिये छेड़ने की बात किसी ने नहीं कही। उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिये बंगाल असेम्बली की प्रोसीडिंग्ज [कार्यवाही] के सफा १२१ का हवाला दिया है। लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह आगे भी बढ़ें और सफा १२४ को देखें। वहां पर डा० राय ने, जिन के लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, और वह एक बड़े नेता भी हैं, जो कुछ कहा है उसे मैं कोट करना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग बड़े होते हैं अगर वे अन्याय करने लगते हैं, तो अन्याय भी बड़ा करते हैं। जब वे पाप करने लगते हैं तो पाप भी बहुत बड़ा करते हैं। डा० राय कहते हैं :

> "यह तो केवल गति और समय का प्रश्न है और फिर फिर मांगे प्रस्तुत की जा सकती हैं और उन्हें प्राप्त किया जा सकता है।"

इसी चीज को हमारे एक मैम्बर ने ज्वायंट कमिटी की जो रिपोर्ट है, उसमें अपने मिनट आफ डिसेंट में क्वोट किया है। यह मनोवृत्ति क्या बताती है ? यह यही बताती है कि चाहे इसमें कोई औचित्य हो या न हो, हमें इलाका चाहिये।

पन्त जी ने कल अपने भाषण में हमसे यह अपील की और कहा कि एक दफा तो तुम अपना सारा प्रदेश बंगाल को देना चाहते थे, लेकिन अब तुम एक छोटा सा इलाका देने से क्यों इन्कार करते हो। इसे तुम्हे चाहिये कि खुशी से दे दो। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसका मैं चाहता हूं कि वह उत्तर दें। हमारा यह जो सारा शरीर है, वह उनकी सेवा के लिये हाजिर है। लेकिन अगर वह हमसे कहें कि सारा शरीर तो नहीं एक हाथ को काटकर दे दो, तो क्या यह न्याय की

बात होगी। अगर हाथ काट कर दे दिया जाए तो सारे का सारा शरीर ही बेकार हो जाएगा। तो अगर अब भी वह हमें यह कहें कि अपने इलाके में से थोड़ा सा काट कर उन्हें दे दो और बगैर किसी न्यायोचित बात के दे दो तो, क्या आप इसे इन्साफ कहेंगे? हम अपने चार करोड़ बिहारी भाइयों की तरफ से इन्साफ की मांग करते हैं। आप इस चीज़ को न भूलें कि हमारे लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं और बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो किसी को कड़वी लगे। १९११ तक तो हम बिहारवासी बंगाल के साये में जीते आये, बंगाल के ही हम बनाये हुए हैं और बंगाल के ही हम बिगाड़े हुए हैं। अब जो इलाका मानभूम का बंगाल को दिया जाने वाला है उसमें कितने बंगला बोलने वाले हैं, इसको मैं दौहराना नहीं चाहता। वह तो एक द्विभाषी इलाका है। वहां पर मुकर्जी, बैनरजी, चैटरजी इत्यादि की ज्यादा से ज्यादा १५,००० की आबादी होगी।

श्री क० कु० बसु (डायमण्ड हार्बर) : सिन्हा कितने हैं, यह भी तो बता दीजिये।

श्री म० प्र० मिश्र : मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि वहां पर लोगों के साथ इन्साफ होना चाहिये। सरकार के तराजू के पलड़े दोनों के लिये एक जैसे होने चाहियें और एक ही तरीके से सरकार को इन्साफ करना चाहिये। आप जब हमारी सड़क को काटकर बंगाल को दे रहे हैं तो हमारे पास जमशेदपुर से धनबाद जाने के लिये कौन सी सड़क रह जाएगी? धनबाद और जमशेदपुर ये दो औद्योगिक केन्द्र हमारी जान हैं। यहां से दो हजार लारियां रोज चलती हैं। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम इतना तो कर दीजिये कि बागमुंडी, झालदा और जयपुर के थानों को आप बिहार में ही रहने दें ताकि हमारे पास भी कोई सड़क इन केन्द्रों को मिलाने वाली रह जाए। इन तीनों थानों में हिन्दी बोलने वाले ७० प्रतिशत और ८० प्रतिशत हैं।

कसाई नदी की यहां पर काफी चर्चा चली है और उसपर काफी बहस हो चुकी है। सब का जवाब दिया जा चुका है मैं उसमें जाना नही चाहता। आज जिस तरह से कौरिडोर देने की बात सोची जा रही है, उससे मैं समझता हूं कोई अच्छाई नहीं निकलेगी। यहां पर कैचमेंट एरिया की बात भी की जाती है। अगर इसी बात को लिया जाए तो गंडक नदी का कैचमेंट उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उसी आधार पर हमें उत्तर प्रदेश से पांच जिले मांगने चाहियें।

श्री क० कु० बसु : ले लीजिये।

श्री म० प्र० मिश्र : लेकिन हम मांगते नहीं हैं। लेकिन जिन तीन थानों को मैंने बिहार में ही रहने देने के लिये कहा है उनका तो कैचमेंट एरिया से भी कोई ताल्लुक नहीं ह। कसाई नदी इन इलाकों को छूती भी नहीं है। यहां पर ज्यादा लोग हिन्दी बोलने वाले हैं। इसी सड़क से हमें आना जाना होता है और यही एक रास्ता मानो हमारे लिये स्वेज का रास्ता है। अगर इसे हमारे पास रहने न दिया गया तो हमें केप आफ गुड होप होकर जाना पड़ेगा। क्या सरकार इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है? क्या बिहार के चार करोड़ लोगों की अवाज इसलिये नहीं सुनी जायगी कि वे चुप रहते हैं और वे कांग्रेस के प्रति वफादार हैं? और चूंकि कलकत्ता में लाल टोपी वाले बहुत शोर-गुल करते ह, झंडे उड़ाते हैं, ट्राम्ज को बरबाद करते हैं और रेलवे-लाइन्ज को उखाड़ते हैं, क्या इसलिये उनकी आवाज सुनी जायगी? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के लोग बड़े दुखी हैं। उनके दिल में बहुत दर्द है। वे समझ रहे हैं कि उन का अपमान किया जा रहा है। अगर उनकी उचित आवाज इस सभा में नहीं सुनी जायगी, तो कहां सुनी जायगी? अगर उसको यह सरकार नहीं सुनेगी, तो फिर कौन सुनेगा? हम केवल यह चाहते हैं कि पंडित कुंजरू को छोड़ कर आप किसी भी व्यक्ति को इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये मुकर्रर कर दें। वह जो भी फैसला कर दे, वह हम को स्वीकार होगा। श्रीमन्, देश की सब से बड़ी संस्था—लोकसभा—के अध्यक्ष, आप, यहां बैठे हुए हैं। आप हमारी बात को सुनें। चूंकि हमारे साथ न्याय है, इस लिये सारा सदन हमारे केस को समझ गया है। कृष्णस्वामी भाई को छोड़ कर बिहार के बाहर के सब माननीय सदस्यों के हृदयों में बिहार के प्रति सहानुभूति है, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारी बात न्याय पर आधारित है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : मुझे, अपने पूर्व वक्ता के भाषण पर आपत्ति है, क्योंकि उन्होंने निराधार आरोप लगाये हैं और तथ्यों को गलत ढंग से रखा है। वस्तुतः यदि उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन पढ़ा होता तो उन्हें ज्ञात होता कि पश्चिमी बंगाल कांग्रेस समिति ने १३९५० वर्ग मील का क्षेत्र मांगा था जिसकी जनसंख्या ६७ लाख थी। डा० बिधान चन्द्र राय की सरकार ने केवल ११,८४० वर्ग मील जिसकी जनसंख्या ५७ लाख थी, का दावा किया था। वस्तुतः पश्चिमी बंगाल की मांग न्याय, समानता और सच्चाई पर निर्भर था।

हमारा विरोध या द्वेषभावना बिहार या बिहार में के लोगों से नहीं है अपितु हमारा विरोध ब्रिटिश साम्राज्यवाद से है जिसने बंगाल का विभाजन करवाया। उस समय कांग्रेस ने ही बंगाल का साथ दिया था। यह विभाजन बंगालियों को दुर्बल करने तथा उनकी सांस्कृतिक एकता पर कुठाराघात करने के लिये ही किया गया था। इसलिये हमने इसका विरोध किया।

लार्ड मार्ले ने हाउस आफ लार्ड में यह गर्जना की थी कि भले ही विपिन चन्द्र पाल व तिलक इत्यादि नेता कुछ कितना भी जोरदार विरोध करें, बंगाल का विभाजन अब एक अन्तिम निर्णय है।

यद्यपि हम, देश के संगठित विरोध से तथा देश के महान् नेताओं के सहयोग से इसका विरोध कर सकते थे तथापि हमें दंडित करने के लिये बंगाल को मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाने के लिये उन्होंने बंगला भाषी क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों में मिला दिया। इसलिये भारतीय नेताओं का यह कर्त्तव्य है कि वे इस गलती का सुधार करें। यह बिहार के विरोध के कारण अथवा साम्यवादी शरारतियों के कारण नहीं किया जा रहा है। ऐसा कहना बिलकुल गलत है।

मैं अभी-अभी अहमदाबाद से आया हूं। वहां के लोगों में बहुत असंतोष, अशांति और निराशा फैली हुई है। ईश्वर के लिये कृपया आप कलकत्ता की भी वही हालत न करें। मैं मानता हूं कि संसद् को बहुत बड़ी शक्तियां प्राप्त हैं, तथापि उसे उनका उपयोग सतर्कता से करना चाहिये। आप कहते हैं कि यह प्रतिवेदन बेईमानी पर आधारित है। लेकिन मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है, उसमें यह भी लिखा गया है कि १९५१ की जनगणना के अनुसार भी पुर्लिया को जनसंख्या में २५ प्रतिशत बंगला भाषा भाषी हैं। लेकिन इन आंकड़ों को बंगाल तथा बिहार दोनों ही राज्यों ने चुनौती दी है। और यह कहना कि कालदा में हिन्दी भाषा भाषियों की संख्या ७९.२ प्रतिशत है और बंगला भाषा भाषियों की संख्या १३.१ प्रतिशत है, बिल्कुल गलत है। जिसपर बिहार तथा बंगाल सरकारों में से कोई भी विश्वास नहीं करती है। इसीलिये पंडित कुंजरू और डा० पाणिक्कर ने कहा कि हमें १९३१ की जनगणना को लेना चाहिये। उसके अनुसार पुर्लिया जिले की बंगला भाषा भाषी जनसंख्या १०,५६,६५३ और हिन्दी भाषा भाषी जन संख्या ६२,२६९ थी अर्थात् यह अनुपात ८१.१५ और ४.८३ प्रतिशत होता है। यही अनुपात १९५१ में ७०७ प्रतिशत बढ़ गया है। उन्होंने हाल में एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसका नाम है "भारत की जनगणना—भाषा पुस्तिका"। यह मानभूम सदर (पुर्लिया) और मानभूम जिले से सम्बन्ध रखती है। उसके प्राक्कलन में लिखा है कि जनगणना के पश्चात् जनगणना की स्लिपें विभिन्न स्थानों में रखी गईं और उन्हें एक स्थान पर भेजने में कई स्लिपें खो गईं और कई कीड़ों या दीमकों द्वारा नष्ट कर दी गईं। इस कठिनाई का सामना करने के लिये "नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी" से सहायता तो ली गई लेकिन फिर भी कई मामलों में यह राष्ट्रीय पंजी भी उपलब्ध नहीं हो सकी। वस्तुत यह आश्चर्यजनक पुस्तिका है जिसे किसी प्रकार जोड़ तोड़ कर बना लिया गया है और वह किसी प्रकार भी विश्वसनीय नहीं है। यदि संसद् अपने निर्णय इस पुस्तिका के आधार पर करेगी तो यह एक महान् गलती होगी। इस सम्बन्ध में मैं आपको दो उदाहरण दे सकता हूं। पहिला 'रैसा' गांव के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य श्री चेतन माझी उसी गांव के रहने वाले हैं और वह स्वयं गिनने वालों में से थे, वे कहते हैं कि उन्होंने वहां की जनता को बंगला भाषा भाषी दर्ज किया था लेकिन इस मतगणना में वे इस प्रकार उल्लिखित हैं—५३९, रैसा......१५२ (अन्य भाषा भाषी)।

†मूल अंग्रेजी में।

अब मैं एक अन्य ग्राम को लूंगा। इसका नाम जितान है। श्री भजहरि महाता इसी गांव के निवासी हैं। वे कहते हैं कि वहां के अधिकांश निवासी बंगला भाषा भाषी हैं किन्तु पुस्तिका में लिखा गया है कि कुल ४०१ की जनसंख्या में ३०२ हिन्दी भाषा भाषी, बंगला भाषा भाषी कोई नहीं और केवल ८८ शंथाली भाषा भाषी हैं।

†**श्री म० प्र० मिश्र** : क्या श्री चटर्जी वहां जनमत संग्रह कराने से सहमत हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने समय पर जोरदार भाषण दे चुके हैं। अब उन्हें धैर्य रखना चाहिये। मैं उनके पक्ष के अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर दूंगा। वस्तुतः मैंने पहिले ही उनके पक्ष वालों को बोलने का अवसर दिया है। अब विरोधी पक्ष को भी अपने को न्यायोचित सिद्ध करने का अवसर देना चाहिये।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मेरा निवेदन है कि पृष्ठ ३४ में बिहार के एक सदस्य द्वारा दिया गया विमति टिप्पणी केवल लोगों को धोखा देने के लिये है जब कि इसकी सत्यता इसी से ज्ञात हो जायेगी कि पृष्ठ ३ में १९५१ की जनगणना के अनुसार हिन्दी भाषा भाषियों की संख्या २९ प्रतिशत थी वही १९५६ की पुनर्गणना में ७७·६ हो गई।

इसलिये मेरा निवेदन है कि १९५१ की जनगणना गलत और अविश्वसनीय है अतः आपको १९३१ की जनगणना को ही प्रमाण मानना चाहिये क्योंकि उस समय कोई राजनैतिक स्वार्थ या दलबन्दियां नहीं थीं। इसके अलावा यदि और कोई आंकड़े तथ्य के निकट हैं तो वे राज्य पुनर्गठन आयोग में दिये हैं। इसलिये यदि आप किसी सिद्धांत के आधार पर हस्तांतरण करते हैं तो सारा पुलिया उप-विभाग हमें मिलना चाहिये अन्यथा सारा मानभूम जिला हमें मिलना चाहिये।

आयोग ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका ६६१ में यह भी उल्लेख किया है कि पुलिया का स्थानान्तरण इसलिये भी न्यायोचित है कि इससे पश्चिमी बंगाल द्वारा हाल में ही प्रारम्भ की गई बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना के क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी, अतः भाषा सम्बन्धी, प्रशासनिक तथा उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने के आधार पर भी यह क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में शामिल होना चाहिये।

अतः मैं अपने मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे हमें प्रतिवेदन में दिये गये क्षेत्रों को जो, वस्तुतः सारे दलों की मांग से, और पश्चिमी बंगाल की आवश्यकतायों से बहुत कम हैं, हमें दे देवें अन्यथा वहां की जनता बहुत निराश हो जायेगी। वस्तुतः हम अंग्रेजों द्वारा किये गये अन्याय से मुक्ति चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो उस समय हमें वचन दिया था, उसे पूरा करें। अब मैं अपने पक्ष के समर्थन में दो विद्वानों और विशेषज्ञों का मत उल्लेख करता हूं। पहिले भी कूपलेंड, भारतीय असैनिक सेवा के अधिकारी और मानभूम के उप-आयुक्त हैं उन्होंने मानभूम जिला गजेटियर में लिखा है कि यहां के ७२ प्रतिशत निवासियों द्वारा बंगाली की पश्चिमी बोली जिसे ररही बोली कहते हैं, बोली जाती है। श्री ग्रियरसन ने भी कहा है कि यह बंगला भाषा भाषी क्षेत्र है।

वस्तुतः हम न किसी का अनादर करना चाहते हैं न किसी के मार्ग में कठिनाई पैदा करना चाहते हैं। सन् १९१२ में जबकि बंगाल का विभाजन किया जा रहा था तो उस समय स्वयं श्री तेज बहादुर सप्रू ने यह संकल्प रखा था कि समस्त बंगाल भाषा भाषी क्षेत्र बंगला में मिला दिये जाय। इस संकल्प का पांच बिहारी नेताओं ने भी समर्थन किया और उन्होंने उन क्षेत्रों के नाम दिये जो कि बंगाल को दे दिये जाने चाहिये। यह सारी बातें मैत्र के विमति टिप्पण में दी गई हैं।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** (पालामऊ व हजारीबाग व रांची) : यदि मानभूम का कोई भाग बंगला भाषा भाषी है तो हम आपकी बात से सहमत हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मैं चाहता हूं कि आप अपने पूर्वगामी नेताओं द्वारा दिये गये बचन को पूरा करें। सिंहभूम जिले का मानभूम और धालभूम परगना बंगला भाषा भाषी है अतः उसे बंगाल में मिला देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस चर्चा में कल हम एक घंटा व्यय कर चुके हैं। आज हमने इसे बारह बजे से प्रारम्भ किया था। अतः हमें इन खंडों तथा इन सारे संशोधनों पर चर्चा साढ़े तीन बजे तक समाप्त कर देनी चाहिये। तृतीय वाचन के लिये एक घंटा कल मिल जायेगा।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : मेरे विचार से इस पर पर्याप्त तर्क और चर्चा हो चुकी है तो क्या हम यह चर्चा आज समाप्त नहीं कर सकते हैं? कदाचित माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि सोमवार पुनः समवेत होने पर हम नये विषय पर चर्चा आरम्भ करें।

†**श्री क० कु० बसु** : कुछ घंटों के प्रति इतना रोष क्यों?

†**पंडित गो० व० पन्त** : यदि अधिक समय देने से कुछ लाभ हो सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे विचार से इससे कोई लाभ न होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है हम इसे आज समाप्त कर सकते हैं। मैं उन्ह पन्द्रह बीस मिनट उत्तर देने के लिये दूंगा। हम खंड ३ और ४ पर २ बजे तक चर्चा समाप्त कर सकते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण खंड यही हैं।

†**श्री क० कु० बसु** : बंगाल को अपने पक्ष के समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इन खंडों पर ढाई बजे तक चर्चा समाप्त कर देंगे। सदस्य संक्षेप में बोलें।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि बिहारी सदस्यों के वक्तव्य के प्रति "बंगाली" समाचार-पत्र में उपलब्ध है जो कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में मिल सकती है। श्री मैत्र ने उल्लेख किया है, उसका आशय यह है कि महानन्दा नदी के पूर्व के पुर्लिया और मालढा के भाग बंगाल को मिलने चाहिये क्योंकि महानन्दा नदी बंगाल और बिहार के बीच की सीमा बनाती है इत्यादि। वस्तुतः हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आप हमें उतना भी नहीं दे रहे हैं।

अब मैं "गलियारे" का प्रश्न लूंगा। बंगाली इतने देशभक्ति की भावना से रहित नहीं हैं। वे गलियारा नहीं चाहते हैं, यह सारी कठिनाई पाकिस्तान के बीच में आ जाने के कारण हुई है। इस सम्बन्ध में भारत के महान् राजनीतिज्ञ श्री राजा जी भी हमसे सहमत हैं उन्होंने कहा है कि यह गलियारे का प्रश्न नहीं है अपितु यह मांग प्रशासनिक और संचार साधनों को अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से ही रखी गई है। साथ ही प्रतिरक्षा के साधनों पर विचार करने पर भी यह आवश्यक है, वस्तुतः यह केवल बंगाल का प्रश्न नहीं है पूरे भारत का प्रश्न है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

अतः भारत की प्रतिरक्षा, तस्कर व्यापार तथा अवांछनीय व्यक्तियों के घुसने को रोकने के लिये इस सीमा पर पूरी सुरक्षा की आवश्यकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इसका समर्थन किया है कि पश्चिमी बंगाल को सरकार के हाथ मजबूत करने व भारत की सुरक्षा के लिये यह बहुत आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं उनसे पूछता हूं कि वे दक्षिण में वीथी क्यों मांगते हैं? उनका यह कहना है कि वे यह मार्ग इसलिये चाहते हैं कि धनबाद से जमशेदपुर को कोयला ले जाने के प्रयोजन से परिवहन में कोई बाधा न पड़े। परन्तु, कोयला तो गाड़ी के द्वारा भेजा जा सकता है, और उसमें किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई न आयेगी। बल्कि यदि वे बंगाली क्षेत्र से, अन्सोल या कलकत्ता के क्षेत्र से भी कोयला लाना चाहें तो उनके मार्ग में कोई कठिनाई न आयेगी। मैं पूछता हूं कि उनके मन में आशंका क्यों उत्पन्न हो रही है। सारा देश एक ही है। दोनों राज्यों के बीच में प्रतिरक्षा सम्बन्धी अथवा सुरक्षा सम्बन्धी कोई समस्या नही है। अतः आशंका का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिहार के एक सदस्य ने अपने स्थिति टिप्पणी में यह लिखा है कि यदि मानभूम क्षेत्र बंगाल को दे दिया गया तो उससे धनबाद और जमशेदपुर के बीच रेल सम्पर्क टूट जायेगा। परन्तु इस प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिये। उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़ेगा और वे आसानी से आ जा सकेंगे।

अतः न्याय की यही मांग है कि सारा का सारा मानभूम हमें दे दिया जाये। परन्तु फिर भी बंगाल के मुख्य मंत्री ने उदारता पूर्वक किशनगंज का क्षेत्र बिहार को दे दिया ह। अब जबकि उन्हें किशनगंज दे दिया गया है तो हमें और अधिक धमकाने का प्रयत्न न करें। हम और अधिक धमकी सहने के लिये तैयार नहीं हैं।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्यों ने बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक के सम्बंध में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करने की इच्छा प्रकट की है :

खण्ड ३—संख्या ६१, ३१ और ३२ ।

खण्ड ३क—संख्या ३४।

†**पंडित गो० व० पन्त :** मैं प्रस्ताव करता हूं : कि पृष्ठ २ पंक्ति २६ में 'उपधारा (क)' के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :

"by an authority appointed in this behalf by the Central Government." ["केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किये गये प्राधिकारी द्वारा।"]

†**श्री भ० महाता** (मानभूम दक्षिण व धालभूम) **:** मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि (१) पृष्ठ २ और ३ में क्रमशः पंक्ति ३५ से ४० और १ से ५ हटा दी जाय।

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति ९ में "पुरुलिया" के स्थान पर "मानभूम" रखा जाय।

†**श्री भ० महाता ने संशोधन संख्या ३४ को प्रस्तुत किया।**

†**श्री श्यामनन्दन सहाय** (मुजफ्फरपुर—मध्य) : जब मैं जमींदार था तो उस समय वकीलों के बारे में मैंने एक कहानी सुनी थी। उच्च न्यायलय में एक मामले के फैसले का समर्थन करते हुए एक वकील ने जूरी की बड़ी प्रशंसा की, परन्तु दूसरे दिन ही किसी दूसरे मामले के फसले का विरोध करते हुए उसने जूरी का बड़ा विरोध किया। जब उसका कारण पूछा तो उसने यह उत्तर दिया "मैं जूरी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, मैं तो अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करता हूँ"।

श्री चटर्जी का तर्क भी लगभग वैसा ही है। एक ओर तो वह यह कहते हैं कि पूनिया का क्षेत्र यदि बंगाल मे न मिलाया गया तो उससे चोरी छिपे का व्यापार, तथा प्रतिरक्षा समस्या आदि कई प्रश्न उत्पन्न हो जायेंगे, और दूसरी ओर मानभूम क्षेत्र के सम्बन्ध मे वह दूसरा तर्क देते हैं और यह

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री श्यामनंदन सहाय]

कहते हैं कि उस क्षेत्र पर यद्यपि अधिकार तो बिहार का है तो भी उसे जलागम क्षेत्र के रूप में बंगाल के हवाले कर दिया जाये। पूर्निया क्षेत्र के बारे में तो वह यह कहते हैं कि बिहार को वीथी की कोई आवश्यकता नहीं परन्तु मानभूम के बारे में कहते हैं कि बंगाल को वीथी की आवश्यकता है। हम इस प्रकार की युक्ति को मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

कृपया इस तर्क पर अधिक जोर मत दें कि इस क्षेत्र में से हमने पहले १५,००० वर्ग मील मांगे थे, फिर उसे घटाकर ८००० वर्ग मील कर दिया, राज्य पुनर्गठन आयोग ने ३८०० वर्ग मील की सिफारिश की और उसे घटाकर अब ३२०० वर्ग मील कर दिया गया है। अतः उसे और घटाने के लिये हम तैयार नहीं हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि इस समस्या पर अत्यन्त सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से विचार किया जाये।

श्री चटर्जी ने १९३१ और १८८४ की जनगणना के आंकड़ों का सविस्तार उल्लेख किया है, परन्तु वास्तविक समस्या यह है कि वहां की जनता न शुद्ध बंगला बोलती है और न शुद्ध हिन्दी, वह कूर्माली भाषा बोलती है, जिसके सम्बन्ध में भाषा शास्त्रियों में बड़ा मतभेद है। परन्तु अधिकतर विद्वानों का और विशेषकर डा० ग्रियसन का यही कहना है कि वह भाषा हिन्दी के अधिक निकट हैं। अतः इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि जनगणना प्रतिवेदन में कूर्माली भाषा के बारे में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं।

श्री चटर्जी ने कांग्रेस द्वारा पास किये गये जिस संकल्प का वर्णन किया है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें कहा गया है कि श्री तेज बहादुर सप्रू पर यह विचार व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया था कि मानभूम बंगाली भाषी क्षेत्र है। वास्तव में उन्होंने प्रान्तों के ऐसे क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के बारे में हिचकचाहट प्रकट की थी जिसके भूगोल के बारे में उन्हें वैयक्तिक जानकारी नहीं थी। उस वक्तव्य के प्रकाशित होने के बाद डा० सिन्हा ने स्वयं एक ज्ञापन संविधान सभा के सभापति को प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने मानभूम, धालभूम और संथाल परगनों की स्थिति को स्पष्ट किया था।

डा० राय और सर नलिनी रंजन सरकार ने कई वक्तव्य दिये हैं और यह मांग की है कि केवल भाषाओं के आधार पर ही राज्यों की स्थापना करना देश की राष्ट्रीय एकता के लिये हानिकारक है। उन वक्तव्यों के अभिलेख मेरे पास हैं और उन्हें मैं सभा-पटल पर *रख सकता हूं।

अतः इस का निर्णय करते समय इस प्रश्न को ध्यान मे रखना है कि वास्तव में बंगला की आवश्यकता है और न यह कि उनकी मांग क्या है। और फिर इस बात को भी ध्यान में रखना है कि उस क्षेत्र की बिहार को भी आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में मैं दो संशोधन प्रस्तुत करता हूं। खंड संख्या ३ के सम्बन्ध में मेरे संशोधन की संख्या ४५ है जिसमें मैंने कहा है कि पृष्ठ २ की पंक्ति ३० से ३२ तक की पंक्तियों के स्थान पर मेरा संशोधन रख दिया जाये जिसके अनुसार मानभूम जिले के सदर उपखण्ड में से धनबाद और जमशेदपुर के पश्चिम का सारा क्षेत्र छोड़ दिया जाये। धनबाद और जमशेदपुर दोनों ही उद्योग की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण नगर हैं। यदि आपने इन दोनों नगरों सहित बीच का सारा क्षेत्र ले लिया तो बिहार के साथ बड़ा अन्याय होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कोई अन्य प्रबन्ध किया जाये, यह प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है। इस बारे में मेरे विचारानुसार सर्वोत्तम उपाय तो यह है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को आपस में मिला दिया जाये।

---

*जांच के बाद अध्यक्ष महोदयने दस्तावेज को ग्राह्य नहीं समझा अतः वह सदस्यको लौटा दी गयी।

यह बात सत्य है कि बंगाल चिरकाल से देश का नेतृत्व करता आया है और मुझे आशा है कि इस दिशा में वह अब भी पीछे नहीं रहेगा। इन तीनों राज्यों के विलय से प्रारम्भ में कुछ कठिनाई अवश्य होगी परन्तु मुझे पूर्ण आशा है कि बाद में इस बात का अनुभव किया जायेगा कि पूर्वी सीमा पर एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना कितनी आवश्यक है, और यह वर्तमान स्थिति कितनी भयंकर है।

इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री जी ने यह आश्वासन तो दिया है उस क्षेत्र में एक राष्ट्रीय राज-पथ बनाया जायेगा, परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह वांछनीय होगा कि दो अत्यन्त महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को अलग अलग प्रशासनीय नियन्त्रण के अधीन रखा जाय।

द्वितीय संशोधन में मैंने यह कहा है कि पृष्ठ ३ की पंक्ति ५ के बाद यह लिख दिया जाये कि उपखण्ड (२) में राजपथ के साथ साथ २०० गज के जिस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है उस सिद्धान्त का कठोरता से अनुसरण किया जाये क्योंकि उससे कई शहर और कई गांव बीच में ही कट जायेंगे। इसलिये ऐसी स्थिति में उस गड़बड़ से बचने के लिये पूरा २०० गज का क्षेत्र न काट कर कम क्षेत्र काटा जाये। मुझे आशा है कि गृह-कार्य मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

†**पंडित गो० व० पन्त :** क्या आप अपने संशोधन के अन्तिम भाग को हटा सकते हैं जिसके अनुसार २०० गज के अन्तर को इस प्रकार से कम करने की चेष्टा की गई है जिससे आबादी वाले क्षेत्र का विभाजन न हो।

†**श्री श्यामनन्दन सहाय** : जी हां। मैं उसे हटाने के लिये तैयार हूं। अत: मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक): बिहार के माननीय सदस्यों ने बंगाल को अपराधी ठहराने का प्रयत्न किया है, मैं इसका घोर विरोध करता है। वास्तव में यदि बंगाल का दोष है तो बिहार भी दोषमुक्त नहीं।

श्री रबीन्द्र नाथ ठाकुर ने 'दो बीघा जमीन' कविता में वर्णन किया है कि किस प्रकार एक जमींदार ने एक निर्धन किसान से दो बीघा जमीन हथिया कर वहां पर एक उद्यान बना दिया था। वह निर्धन किसान कई वर्षों के बाद जब अपने खेत में वापिस आया तो यह देखा कि उसके द्वारा लगाये गये आम के पौदे फलदार वृक्ष हो गये हैं। उन पेड़ों से गिरे फल को वह ज्यों ही उठा रहा था उसे चोर समझकर पकड़ लिया गया।

हमारी भी वही स्थिति है। ब्रिटिश सरकार ने बिहार को बंगाल से अलग करते समय बंगाल के कई क्षेत्र बिहार को दे दिये थे ; अब जब हम अपने उन्हीं क्षेत्रों को वापिस मांगते हैं तो हमें डाकू कहा जाता है ; हम इस प्रकार का अपमान सहन नहीं कर सकते। जब राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था, उस समय तो बिहार के सदस्यों ने कोई विरोध नहीं किया।

परन्तु अब जब आयोग ने इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दिया है तो वे उस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। वे संयुक्त समिति के निर्णय का भी विरोध कर रहे हैं, जब कि विचार करते समय उस समिति में उन्होंने कोई विरोध नहीं किया अपितु अपना सर्वसम्मत निर्णय दिया था। यदि अब विरोध करना था तो उस समय सर्वसम्मत निर्णय क्यों दिया था?

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि प्रवर समिति में उस दिन ३४ सदस्य थे जिनमें से १४ बिहार के सदस्य थे। यदि वे बंगाल को भूमि नहीं देना चाहते थे तो वहीं पर इस बात का निर्णय कर देते। परन्तु अब जबकि उसका फैसला हो चुका इस संसद् में आकर बंगाल को बदनाम करना ठीक नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री स० चं० सामन्त]

यदि हमें एक बीघा भूमि भी न दी जाये तो भी बंगाल निराश नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि हम सभी भारतवासी है, और सारा देश एक है। परन्तु आयोग के निर्णय पर व्यर्थ में ही बंगाल को बदनाम करना कदाचित् उचित नहीं है। हम किसी से कोई भूमि नहीं छीन रहे। वह तो आयोग का निर्णय है। इसलिये यदि विरोध करना भी है तो आयोग का विरोध कीजिये न कि हमारा। सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। सरकार ही पश्चिमी बंगाल सरकार से या बंगाली सदस्यों से इसे स्वीकार करने के लिये कहेगी। जहां तक मुझे मालूम है, हमने संयुक्त समिति के निर्णय को स्वीकार करने के संबंध में गृह-कार्य मंत्री का अनुरोध मान लिया है। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा है कि बंगाली किसी प्रकार का समझौता करने के लिये तैयार नहीं हैं। समझौते का प्रश्न ही कहां उत्पन्न होता है?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (पटना–पूर्व) : मैंने क्या कहा था?

†**श्री स० चं० सामन्त :** वे चाहती हैं कि बंगाली सदस्यों को उनके पास जाकर एक समझौत का प्रस्ताव करना चाहिये।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

†**श्री स० चं० सामन्त :** उनके पास कोई नहीं जाएगा। समझौते का प्रस्ताव सरकार कर सकती है। बंगाली विचार करेंगे और बंगाल स्वीकार कर चुका है।

मैं संसद् के सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस मामले पर विचार करें। हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे बंगालियों पर यह आरोप न लगायें कि वे भूमि छीनने वाले हैं।

ये ऐसे विवाद हैं जिनका शान्ति से तथा प्रेम के वातावरण में निबटारा किया जा सकता है। ऐसा यदि नहीं किया गया तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है? हम वास्तव में भारत के सुपुत्र हैं। हमें भारत का निर्माण करना है। हमें गांव वालों की भांति भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों के लिये लड़ना नहीं चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं लोक-सभा से विधेयक को स्वीकार करने का आग्रह करता हूं।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची–पश्चिम–रक्षित—अनुसूचित जातियां): इस विशिष्ट विधेयक के संबंध में सरकार द्वारा जो निर्णय किए गए हैं मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता हूं।

मैंने तीन संशोधन प्रस्तुत किए हैं। एक में एक शक्तिशाली सीमा प्रान्त, पूर्व प्रदेश की रचना से संबंधित समस्या पर विचार करने के लिये कहा गया है।

दूसरा संशोधन संख्या ३८ है, जो एक प्रकार का समझौता है और जिसके अनुसार उत्तरी बंगाल, बिहार को मिल जाएगा और दक्षिणी बंगाल, बंगाल समतल भूमि छोटा नागपुर की चौरस भूमि बंगाल को वापिस मिल जायेगी।

तीसरा संशोधन संख्या ३९ है और यह वीथि के शरारत से भरे और खतरनाक विचार के विरुद्ध, मेरा एक प्रकार का विरोध है। आप इसे वीथि कहें या और कुछ कहें मुझे खेद है कि सरकार इस संबंध में कोई युक्तियुक्त तर्क प्रस्तुत कर सकी है और आदिम जाति के दृष्टिकोण से वह असफल रही है। मेरे पूर्व वक्ता ने बंगालियों को भूमि छीनने वाले कहे जाने पर, चिन्ता प्रकट की थी। मैं उन्हें निमन्त्रण देता हूं कि वह छोटा नागपुर आयें और स्वयं देखें कि भूमि किसने छीनी है। पिछली शताब्दी के अन्तिम दशक में और इस शताब्दी के पहले दशक में छ: क्रान्तियां और कई आन्दोलन क्यों हुए थे?

---

†मूल अंग्रेजी में।

आज शासक दल द्वारा यह अपील की गई है कि प्रशासी कारणों से बंगाल को यह या वह प्रदेश मिलना चाहिये। मेरा यह कहना है कि इस तर्क के अनुसार भी मानभूम क्षेत्र, बंगाल को नहीं मिलना चाहिये।

मेरे मित्रों ने संचार लाइनों, प्रशासी आवश्यकताओं आदि के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि जामतारा से धनबाद तक हमारी संचार व्यवस्था का क्या होगा? प्रश्न या समस्या यह नहीं है कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। यदि यह बात होती तो उन्हें इस समस्या की चर्चा करनी ही नहीं चाहिये थी।

मेरे माननीय मित्र ने एक प्रश्न पूछा था: आपने संयुक्त समिति में क्या किया था? मैं उन्हें बताऊं कि अन्तिम दिन वहां क्या हुआ था?

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : एक औचित्य प्रश्न है। क्या संयुक्त समिति की कार्यवाही पर लोक-सभा में वाद-विवाद किया जा सकता है?

†**सभापति महोदय** : यह बात स्पष्ट है और प्रायः इस नियम का पालन भी किया जाता है कि इस सदन में या अन्य किसी स्थान पर प्रवर समिति की कार्यवाहियों को प्रकट न किया जाए।

†**श्री जयपाल सिंह** : फिर भी सत्य यह है कि मेरे माननीय मित्र विमत होने वालों की संख्या की गणना कर सकते हैं। हम अपने मित्र की सहायता करना चाहते थे। हम बारम्बार उनके पास गए। हमने सदन के नेता से भी भेंट की ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। मैं इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकार द्वारा यदि किसी भी समय आदिम जाति क्षेत्र को अलग करने का प्रयत्न किया गया तो उसका विरोध किया जाएगा। आपने छोटा नागपुर राज्यों के एकीकरण के समय भी ऐसा किया था और आप जानते हैं कि क्या हुआ था। म्यूरभुंज में सत्याग्रह हुआ था। सभी स्थानों पर ऐसा हुआ था। मैं बंगाल के अपने मित्रों से बिहार की जनता और आदिम जाति क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझने का अनुरोध करता हूं।

श्री चटर्जी ने जनगणना के आंकड़ों की चर्चा की है। उन्होंने १९५१ की अपेक्षा १९३१ के आंकड़ों को देखने के लिये कहा है। मैं कहता हूं कि १९३१ ही क्यों, १९०१ या १९११ की जनगणना के आंकड़े क्यों न देखे जायें। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं आदिवासी बहुभाषा भाषी हैं इसलिये आदिम जाति क्षेत्रों के संबंध में हमें भाषा के आधार को नहीं अपनाना चाहिये। १९४१ की जनगणना के समय मैं कलकत्ता में था। मुझसे पूछा गया "आप कौन सी भाषा बोलते हैं?" मैंने उत्तर दिया कि मैं हिन्दी, अंग्रेजी, अपनी मातृभाषा तथा बंगला भी बोल लेता हूं। उसने मुझे बंगाली लिख दिया, और १९४१ में बंगला भाषा भाषी जनसंख्या में इस प्रकार एक व्यक्ति की वृद्धि हो गई। यदि श्री चटर्जी मेरे पास रांची आयें तो मैं उनका नाम हिन्दी भाषा भाषियों में लिखवा दूंगा। इसलिये मैं कहता हूं कि हमें गलत तर्क नहीं प्रस्तुत करने चाहियें। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है यह एक प्रशासी आवश्यकता है, बंगाल के राज्य में एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति है। कुछ करना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम निश्चित रूप से उनकी सहायता करते परन्तु सरकार जिस प्रकार समस्या का समाधान कर रही है, उस प्रकार नहीं।

†**श्रीमती सुषमा सेन** (भागलपुर—दक्षिण) : मैं बंगाल में पैदा हुई और वहीं मेरा पालन पोषण हुआ, और फिर लगभग चालीस वर्ष तक बिहार में रही हूं। बिहार या बंगाल के विरुद्ध जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें सुन कर मुझे दुख होता है।

कल माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जलपयगुरी क्षेत्र को दार्जिलिंग में मिलाना होगा और मैंने यह अनुभव किया कि भाषा संबंधी विचारों के अतिरिक्त, जहां तक बिहार का संबंध है, प्रशासी कठिनाइयां भी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती सुषमा सेन]

इस लिये हम यह चाहते हैं कि संशोधन संख्या ११ में उल्लिखित क्षेत्र बिहार राज्य से मिलाये जाने चाहियें। उचित भी यही है। इस लिये मैं इस संशोधन का समर्थन करती हूं। मुझे आशा है कि रांची से जमशेदपुर और धनबाद से जमशेदपुर का क्षेत्र बिहार को दिया जाएगा।

हम, पश्चिमी बंगाल को मिलने वाले अन्य भाग को नहीं चाहते हैं। बल्कि समस्त पुरुलिया, पश्चिमी बंगाल को हस्तान्तरित किया जा सकता है और हमें इस बात पर झगड़ना नहीं चाहिये।

मेरे विचार में अवेक्षित विलीनीकरण ही समस्या का सबसे उत्तम समाधान है। यदि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर पूर्व प्रदेश बना दिया जाए तो मैं इसका सर्वप्रथम समर्थन करूंगी। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन संख्या ११ का समर्थन करती हूं।

†**श्री क० कु० बसु** : विधेयक के संबंध में अब हम अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या अर्थात् बिहार और बंगाल की सीमाओं के पुन: समायोजन पर वाद-विवाद कर रहे हैं। यहां तक कि श्री जयपाल सिंह ने हमें छोटा नागपुर जाने और यह देखने का निमन्त्रण दिया है कि वस्तुत: भूमि छीनने वाले कौन व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाली लोग भूमि छीनते हैं। हो सकता है कुछ बंगालियों की बंगाल प्रदेश के पार्श्ववर्ती कुछ भूमि हो या कुछ बंगला भाषा भाषी व्यक्ति इस विशिष्ट डिवीजन में जाकर बस गए हों।

परन्तु मेरे मित्र, खान मालिकों के विरूद्ध क्यों नहीं कुछ कहते जो न बंगाली हैं और न ही बिहारी हैं ?

बंगाली और बिहारी कई पीढ़ियों से मित्रों की भांति रहते आए हैं। परन्तु हम इस मामले पर भाषा सम्बन्धी दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं। मैं मामले के इतिहास को नहीं दुहराना चाहता क्योंकि देश के स्वतंत्रता आन्दोलन के समय मुख्य पथ निर्देशक दर्शन यही रहा है कि प्रान्तों के पुनर्गठन के मामले में भाषा ही ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है।

प्रशासन द्वारा जो विशेष लाभ उठाये जायेंगे अब हम उन पर विचार करते हैं। आज हम पिछड़ी हुई स्थिति में हैं। प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने पर हमें अत्यधिक राशि खर्च करनी पड़ती है। ये दोनों राज्य ही न्यूनाधिक कमी प्रधान राज्य हैं। यदि उन्हें शिक्षा संबंधी तथा अन्य सुविधायें प्रदान करनी हैं तो उन्हें बड़ी रकम खर्च करनी होगी। और यदि अनुच्छेद ३४७ के अधीन भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्ग के पर्याप्त अनुपात की मांग को पूरा करना हो तो हमें अत्यधिक रकम की आवश्यकता होगी। वास्तव में हम चाहते हैं कि उच्च न्यायालयों में भी प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग होना चाहिये। हमारा यह विचार है कि सारे राज्य में सभी कार्य उस प्रदेश की भाषा में होना चाहिये। इसलिये हम चाहते हैं कि भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों की समस्यायें न्यूनतम सीमा तक कम की जानी चाहिये। हम इस तथ्य से भी जागरूक हैं कि फिर भी कुछ औद्योगिक क्षेत्र तथा कुछ अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र भी होंगे, जहां भाषा संबंधी ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग होंगे जो न केवल समीपवर्ती क्षेत्रों से बल्कि देश की दूर दूर की जगहों से आए हुए होंगे।

मेरे माननीय मित्र ने जमशेदपुर की चर्चा की है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वहां पर कितने बंगाली और कितने बिहारी शासकीय स्थिति में हैं ? टाटा समवाय का प्रशासन किसके हाथ में हैं ? वहां पर पारसियों का नियन्त्रण है।

परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों की समस्या फिर भी बनी रहेगी। इसलिये हमें भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों की समस्या न्यूनतम करनी चाहिये और उन सभी क्षेत्रों को, जिनमें पार्श्ववर्ती राज्य की भाषा बोली जाती हो उस राज्य में मिला देना चाहिये। हम चाहते हैं कि इस सिद्धान्त को, सब से छोटी प्रशासी इकाई, गांव तक लागू करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार भी धनबाद, मानभूम के सब-डिवीजन या सन्थल परगना के क्षेत्रों में भी बंगालियों की पर्याप्त संख्या है। इस लिये जिन गांवों में बंगला भाषा बोली जाती हो और जो बंगाल राज्य के संस्पर्शी हों उन्हें बंगाल में मिला देना चाहिये।

यदि आप भारत की प्रशासी सुविधा के प्रश्न पर विचार करते हैं तो आप को यह ध्यान रखना चाहिये कि राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार से हो कि किसी विशिष्ट राज्य में समाविष्ट किए जाने वाले क्षेत्र न्यनाधिक एकरुपी स्तर के हो।

इस स्थिति में पश्चिमी बंगाल को एक बड़ा भाग मिलना चाहिये। परन्तु मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं। मेरे दल की नीति भी इस संबंध में स्पष्ट है।

इस लिये मेरा यह निवेदन है कि प्रशासनीय अस्तित्व का यह तर्क उपस्थित नहीं किया जाना चाहिये। यह एक खतरनाक सूत्र है। प्रत्येक राज्य कमी प्रधान राज्य है। बिहार को राजस्व लेखे पर १४ करोड़ रुपये का और पश्चिमी बंगाल को २७ करोड़ रुपये का घाटा है। इस लिये यदि आप पश्चिमी बंगाल की अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहते हैं तो यह और भी आवश्यक है कि कच्चे माल का औद्योगिक पृष्टदेश कलकत्ता के निर्माणकारी उद्योगों को मिलना चाहिये, परन्तु हम इस प्रकार का खतरनाक तर्क प्रस्तुत नहीं करते हैं। हम यह कहते हैं कि गांव को इकाई मान कर किसी विशिष्ट राज्य का मानचित्र खींचा जाए।

यह अत्यन्त आवश्यक है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्तरी तथा दक्षिणी बंगाल का आपस में गहरा सम्पर्क होना चाहिये क्योंकि सीमा पर पाकिस्तान है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी कहा है कि किशनगंज में बोली जाने वाली भाषा बंगला के अधिक निकट है। इसलिए गृह-कार्य मंत्री का यह कथन कि वे लोग बंगला भाषा भाषी नहीं हैं, यह कड़ी इस लिये भी आवश्यक है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार बहुत होता है। इस कारण कुछ वस्तुओं की कमी हो जाती है और उनके दाम बहुत अधिक हो जाते हैं।

परन्तु यदि आप इस कड़ी की, धनबाद से जमशेदपुर तक की बिहार की मांग से तुलना करें तो मैं कहूंगा कि यह एक विचित्र मांग है। इस स्थिति में, आप को बदले में, हमें रेलवे मार्ग देना होगा जो कि किशनगंज क्षेत्र का एक अन्य भाग है। परन्तु हम उसे नहीं चाहते हैं।

जहां तक राष्ट्रीय राजपथ की समस्या का संबंध है किसी पक्ष पर भी अनावश्यक प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये।

जहां तक अन्य समस्याओं का संबंध है, दार्जिलिंग के लोगों की चर्चा की गई है। मेरा यह कहना है कि आप को समस्या के संदर्भ में उस पर विचार करना चाहिये। हमारे दल ने यह कहा है कि उस क्षेत्र की जनता को प्रशासी सुधारों का लाभ प्रदान करना चाहिये। उनके लिये स्वायत्त-शासी प्रशासन की व्यवस्था की जानी चाहिये। हमने छठी अनुसूची में संशोधन करने की मांग की है।

मेरा केवल इतना कहना है कि आर्थिक अस्तित्व अर्थात् समर्थता की समस्या को इस विषय में न लाइये क्योंकि इससे अन्य समस्यायें उत्पन्न होंगी।

इस लिये मैं बिहार के अपने मित्रों से अपील करता हूं कि वे, इस समय जो कुछ दिया गया है, उसे ही स्वीकार करें। हम केवल बंगला भाषा भाषी क्षेत्र चाहते हैं। अग्रेतर विवादों के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। यदि वह आयोग कहे कि पुरुलिया क्षेत्र हिन्दी भाषा भाषी है तो हम उसे बिहार को वापिस कर दगे। बंगाल, कोई भी अनुचित बात नहीं चाहता है। सीमा आयोग को ही भाषा संबंधी आधार पर सीमा समायोजन का कार्य करना चाहिये।

2—226 Lok Sabha/56

सभापति महोदय : श्री भागवत झा आजाद ।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग–पश्चिम) : सभापति महोदय, मैंने भी अमेंडमेंट मूव [संशोधन प्रस्तुत] करना है ।

सभापति महोदय : मेरे पास इस वक्त कम से कम दस आदमियों की चिट्स पड़ी हुई हैं और वक्त मेरे पास सिर्फ सात आठ मिनट है । सब अमेंडमेंट्स मूव हो चुके हैं । इतने थोड़े अर्से में सिर्फ एक आनरेबल मेम्बर बहस कर सकते हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : मैं सिर्फ एक दो मिनट चाहूंगा ।

सभापति महोदय : अगर सब के सब दस पंद्रह आनरेबल मेम्बर एक एक मिनट चाहेंगे, तो बीस बाइस मिनट लग जायेंगे । इस लिये मुझे अफसोस है कि मैं इस वक्त आप को वक्त नहीं दे सकता ।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : जनाबेवाला, मैं एक कानूनी नुक्ता पेश करना चाहता । अगर आप इजाजत देंगे, तो मैं मशकूर हूंगा ।

सभापति महोदय : श्री भागवत झा आज़ाद ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : (पूर्निया व संथाल परगना) : अभी तक मेरा विचार इस वाद-विवाद में भाग लेने का नहीं था, परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा श्री श्यामनन्दन सहाय तथा श्री जयपाल सिंह के उस संशोधन पर, जिसके अनुसार जमशेदपुर, धनबाद तथा रांची को परस्पर मिलाने की चेष्टा की गई है, जोर देने के कारण क्या हैं ।

सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ मित्रों ने हम पर जो स्वर्गीय श्री दीपनारायण सिन्हा तथा श्री परमेश्वर लाल का अपमान करने का आरोप लगाया है, वह सर्वथा गलत है । उस समय कांग्रेस में प्रस्तुत संकल्प में बिहार तथा उड़ीसा के पृथक प्रान्त बनाए जाने के बारे में सम्राट् के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई है, वहां यह प्रार्थना की गई है कि सरकार प्रस्तावित प्रान्तों की सीमाओं को निर्धारित करते समय समस्त बंगला भाषी जिलों को एक ही तथा उसी प्रशासन के अधीन लाया जाय ।

अब हमारी इस पर कोई आपत्ति नहीं है । यदि बिहार में कोई भी क्षेत्र बंगला भाषी है तो उसे निस्सन्देह पश्चिमी बंगाल को हस्तान्तरित कर दिया जाय । यदि किसनगंज में ५ प्रतिशत व्यक्ति भी बंगला भाषी हैं तो उसे पश्चिमी बंगाल को दे दीजिये ।

जहां तक जलागम क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमने भावनाओं का सत्कार करते हुए यह मान लिया था कि उत्तर बंगाल तथा दक्षिण बंगाल को मिलाये जाने की अवस्था में किशनगंज उन्हें दे दिया जाय । हम अपने पड़ोसी राज्य का सम्मान करते हैं और इसी लिये उनकी सुविधा का विचार करते हुए हम कुछ क्षेत्र का उन्हें हस्तान्तरण करने को तैयार हो गए थे ।

मेरा अपने मित्रों से यह कहना है कि वह १९५६ के ठोस तथ्यों को क्यों नहीं देखते । क्या वे प्राकृतिक विपत्तियों में विश्वास करते हैं ? मेरा गृह मंत्री से विनम्र अनुरोध है कि वह हमारे बंगाल के मित्रों को हमारी भावनाओं से अवगत करायें । उन्हें इस बात के लिये प्रयत्न करना चाहिये कि लगभग ढाई थाने हमें देने के लिये बंगाल के लोग सहमत हो जायें जिससे बिहार का वह प्रदेश ठोस हो जायेगा और धनबाद को जमशेदपुर से मिलाया जा सकेगा ।

यद्यपि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, तो भी मैं यह कहूंगा कि मैं उन दिनों की प्रतीक्षा करता हूं जब कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक हो जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**पंडित गो० व० पन्त** : सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। इस विधेयक में जो प्रस्ताव है उसके बारे में विरोधी पक्ष के सदस्य मेरे प्रिय साथियों की अपेक्षा अधिक सहमत हैं जो कि प्रस्ताव के बारे में एक भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। फिर भी मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं उससे मेरे अथवा उनके पक्ष का समर्थन नहीं हुआ है।

मेरा ख्याल है कि भाषा के आधार पर इन प्रस्तावों को कायम नहीं रखा जा सकता। राज्य पुनर्गठन आयोग और दार आयोग ने भी यह निर्धारित किया था कि जब तक कि किसी क्षेत्र के ७० प्रतिशत लोग किसी दूसरे राज्य की भाषा से संगत भाषा न बोलते हों तब तक उस क्षेत्र को ऐसे राज्य में हस्तान्तरित नहीं किया जाना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करेगा कि यह शर्त यहां पूरी नहीं होती।

†**श्री साधन गुप्त** : यह जरुरी नहीं है।

†**श्री क० कु० बसु** : यदि जिले को विभाजित कर दिया जाये तो पूरी हो जायेगी।

†**पंडित गो० व० पन्त** : यह तो मुझे ज्ञात नहीं किन्तु मेरा ख्याल है कि मेरे वक्तव्य पर आपत्ति नहीं हो सकती।

किन्तु यदि हम उसे सही मान लेते हैं तो मेरा अपना निवेदन यह है कि किसी कमजोर बात पर जोर न दीजिये। जब हमारे पास कोई सबल तर्क है तो उसका पूरा उपयोग क्यों न किया जाय और किसी कमजोर बात पर जोर देकर अपने आप के लिये कठिनाइयां क्यों पैदा की जायें ?

†**श्री साधन गुप्त** : यह कठिनाई आप ने ही पैदा की है।

†**पंडित गो० व० पन्त** : कभी-कभी मतान्धता विचारशीलता की भावना से संगत नहीं होती है, किन्तु कट्टरता के दृष्टिकोण की अपेक्षा एक युक्तियुक्त दृष्टिकोण अपनाना अधिक अच्छा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मित्रों का भाषा वाद से स्थायी गठबन्धन हो गया है। मेरा ख्याल है कि अब मार्क्सवाद और लेनिनवाद के बजाय भाषावाद अधिक लोकप्रिय हो गया है। खैर, उन्हें अपना सिद्धांत चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। **(अन्तर्बाधा)** किन्तु जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि भाषा का पहलू एक प्रमुख पहलू है। किन्तु ऐसे पहलू भी है जो स्वयं भाषा से अधिक महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य हैं। यदि यहां हम भाषा के सिद्धान्त को लागू करते हैं तो कम से कम पूर्निया के उस भाग के हस्तांतरण का समर्थन करना आसान नहीं होगा जिसे सभी व्यक्तियों द्वारा बंगाल में हस्तांतरण करने योग्य माना जा रहा है।

यदि, पुरुलिया के सम्बन्ध में विधेयक में किये गये प्रस्ताव के दूसरे भाग को आप देखें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि इसमें भाषा सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि **कुरमाली** बंगाली का एक रूप है अथवा उसे हिन्दी समझना चाहिये। मेरा ख्याल है कि यह बात विवादास्पद है। इसलिये हम एक ऐसी बात के बारे में हठधर्मी नहीं हो सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है।

पुरुलिया उपविभाग के एक हिस्से के हस्तांतरण का सुझाव इसलिये दिया जा रहा है कि बंगाल और स्वयं इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में से होकर अजय और मासै नदियां बहती हैं और इनके लिये बड़ी योजनाएं और परियोजनाएं हैं। आप चाहते हैं कि ये योजनायें पूरी हो जायें और उनकी व्यवस्था उचित ढंग से होती रहे ताकि बंगाल और बिहार दोनों ही लाभान्वित हों। यही मुख्य कारण है जिसने बंगाल में उस क्षेत्र के हस्तांतरण का प्रस्ताव करने के लिये एक तरह से हमें बाध्य किया है। जब चांदिल और पतमदा का प्रश्न उत्पन्न हुआ था तो यह क्षेत्र बंगाल को देना हमारे लिए अनिवार्य हो गया था, क्योंकि वे उन निर्माण कार्यों के

---

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित गो० व० पन्त]

लिये जिनमें बिहार का हित है, समान रूप से आवश्यक थे। इसलिये हम राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के ढांचे पर कायम रहे हैं। हमने उसे बहुत हद तक स्वीकार किया है और जैसा कि मैंने कल कहा था, राज्य पुनर्गठन आयोग को इन बातों की विस्तृत जांच करने का अवसर प्राप्त हुआ था बड़े बड़े मामलों में जहां सिद्धान्त के प्रश्न उठते हों, यह सभा वहां उनका साथ दे सकती है किन्तु जहां सीमा क्षेत्रों के समायोजन का प्रश्न मुख्य है तो हम राज्य पुनर्गठन आयोग पर काफी निर्भर हो सकते हैं और मेरा ख्याल है कि यह उचित ही है। आज श्री चैटर्जी ने इस प्रतिवेदन की और उसके लेखकों की जो सराहना की है उसे सुनकर मुझे वास्तव में प्रसन्नता हुई है क्योंकि उन्होंने जो भाषण पहले दिये थे उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवेदन के लेखकों से वह न केवल छोटी बातों पर ही वरन् बड़ी बातों पर भी मतभेद रखते हैं। खैर, देर आयद, दुरुस्त आयद। यदि जन्म से किसी को बुद्धि प्राप्त नहीं है तो अन्तिम क्षण में आ जाती है। इसलिये मुझे प्रसन्नता है कि अब वह इस बात पर सहमत हो गये हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्ताव ठोस, युक्तिसंगत और अकाट्य तर्कों पर आधारित हैं। मेरा ख्याल है कि वह इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह बात द्विभाषी बम्बई राज्य पर भी लागू होती है। मैं आशा करता हूं कि उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है। जहां तक उस विशिष्ट प्रस्ताव का सम्बन्ध है उन्हें अब कोई शिकायत नहीं है। मेरे विचार में उन्हें अहमदाबाद नहीं जाना चाहिये था क्योंकि कुछ लोग उनकी ऐसी गतिविधियों का अर्थ यह लगाते हैं कि उनकी इतनी आयु हो जाने पर भी वह परिस्थितियों से लाभ उठाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : यह आरोप अनुचित है। मैं वहां अपने गुजराती मित्रों के अनुरोध पर गया था मैं अपने माननीय मित्र को यह बता दूं कि चूंकि उनकी इच्छायें मालूम नहीं की गयीं, इसलिये उन्हें अत्यन्त निराशा हुई है। गुजरात के बारे में मुझे कोई खास शिकायत नहीं है किन्तु मैं उनकी इस एकमत भावना को व्यक्त कर रहा हूं कि नाजुक मौके पर उनकी इच्छायें और आकांक्षायें मालूम नहीं की गई इसलिये उन्हें अत्यन्त निराशा हुई है।

पंडित गो० व०पन्त : श्री चटर्जी जब अहमदाबाद गये थे वहां अशान्ति थी और उन्होंने वहां निराशा की भावना पाई। मेरा ख्याल है कि जब वह वहां थे तब वहां शान्ति से विचार करने की अपेक्षा उत्तेजना अधिक थी और उनकी अपनी प्रवृत्ति भी उसी दिशा में थी।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : यह बिलकुल गलत है। मैंने उनसे यह अपील करने का पूरा प्रयास किया था कि जिस नगर के साथ महात्मा गांधी की स्मृतियां सम्बद्ध थीं और जो शान्ति का मन्दिर था और जहां से महात्मा गांधी ने महान् आवाहन किया था उसके उज्वल नाम को वे कलंकित न करें।

†**पंडित गो० व० पन्त** : मैं इसे स्वीकार करता हूं।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : माननीय गृह-मंत्री को मैं यह बता दूं कि पुलिस की अवांछनीय और अनुपयुक्त गोलीबारी के कारण उपद्रव शुरू हुआ था और यदि गोलीबारी न हुई होती तो वहां कुछ न होता।

†**पंडित गो० व० पन्त** : मेरा ख्याल है कि यदि मैं यह कहूं कि यदि वह वहां न गये हुए होते तो स्थिति और न बिगड़ती, श्री चटर्जी मुझे दोष नहीं देंगे। कभी कभी शब्दों की अपेक्षा कार्यों का प्रभाव अधिक होता है। इसलिये महात्मा गांधी के पथ पर चलने का जो उपदेश उन्होंने दिया था, उसका प्रभाव उनकी उपस्थिति के कारण जाता रहा था।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : क्या मैं संसद सदस्य नहीं हूं? क्या हिन्दू महासभा का अध्यक्ष होने के नाते मुझे वहां जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित गो० व० पन्त** : मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि श्री चटर्जी वापस आ गये हैं और हमारे बीच में हैं और उन्हें देख कर मैं वास्तव में प्रसन्न हूं क्योंकि वहां अशान्ति थी और जितने समय वह वहां रहे अशान्ति अत्यधिक थी। अब वहां वातावरण पूर्ववत् हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि स्थिति में सुधार होता रहेगा।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मेरा ख्याल है कि गृह-मंत्री को वहां जाना चाहिये था।

†**पंडित गो० व० पन्त** : चूंकि श्री चटर्जी वहां मौजूद थे इसलिये मेरा जाना जरूरी नहीं था।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। रांची और धनबाद अथवा रांची और जमशेदपुर के बीच संचार व्यवस्था संतोषजनक न होने का प्रश्न उत्पन्न हुआ है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हमने उस सम्बन्ध में जांच की होगी। मानभूम से यह क्षेत्र बंगाल को हस्तान्तरित किया जा रहा है। ऐसा करने से रांची से जमशेदपुर तक एक सड़क अथवा राज-पथ बनाने में कोई बाधा नहीं होगी।

जब हम सीमा निर्धारण की बात करते हैं तो सभा को मुझे उन एक दो संशोधनों का स्मरण दिलाना है जो मैंने प्रस्तुत किये हैं। मैंने यह सुझाव दिया है कि "इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये प्राधिकार के द्वारा" ये शब्द रखे जायें ताकि सीमा निर्धारण उचित ढंग से किया जा सके। इस मामले की जांच और सीमा निर्धारण के लिये हम एक वरिष्ठ राजस्व अधि-कारी और उसके साथ एक इन्जीनियर या परिमापक को नियुक्त करने की आशा करत हैं।

मैं संशोधन संख्या ४६ को स्वीकार करने के लिये भी तैयार हूं जो यहां प्रस्तुत किया जा चुका है। मेरा ख्याल है कि इस बात पर सभी सहमत होंगे कि जहां तक संभव है किसी ग्राम का विभाजन नहीं किया जाना चाहिये। संशोधन के दूसरे भाग में कहा गया था कि यदि कोई गांव २०० गज से अधिक दूरी पर हो तो उसे बिहार में रखा जायेगा। मेरा ख्याल है कि यह ठीक होगा। हो सकता है कि वह १५० या २५० गज एक ओर या दूसरी ओर हो। सीमाओं का निर्धारण करने के लिये जो अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे उन्हें प्रत्येक एकक की अखंडता को बनाये रखने के लिये यथा-संभव प्रयास करना चाहिये।

†**श्री क० कु० बसु** : ऐसी स्थिति में कुछ भागों में सीमा को २५० गज तक बढ़ाना होगा।

†**पंडित गो० व० पन्त** : इसलिये मैंने दूसरे भाग को हटा दिया है क्योंकि उसमें कहा गया था कि यदि वहां २०० गज से अधिक हुआ तो सीमा बढ़ाई नहीं जायेगी। वह २५० गज अथवा १५० गज दोनों ओर होगी।

†**श्री क० कु० बसु** : मेरी कठिनाई यह है कि उपबन्ध में यह कहा गया है कि २०० गज दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की ओर।

†**पंडित गो० व० पन्त** : मैं अब कहता हूं : "सामान्यतः २०० गज"।

श्रीमान, मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं माननीय सदस्यों से केवल यह अपील करता हूं कि वे इस खंड को स्वीकार कर लें जिस पर काफी अर्से तक चर्चा होती रही है। भावनाओं को काफी छूट दी गई है और हम जानते हैं अब भी कुछ लोग नाराज ह किन्तु बंगाल और बिहार इन दोनों की ख्याति और स्वाधीनता प्राप्ति के हमारे महान् आदर्श में उनके योगदान की खातिर विधेयक में निहित इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये हमें सहमत हो जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†सभापति महोदय : इसके पहले कि मैं संशोधनों को मतदान के लिये प्रस्तुत करूं, मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि संशोधन संख्या ४६ के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया है कि उसकी शब्द रचना के बजाय यदि हम निम्न को स्वीकार करें तो अधिक अच्छा होगा :

पृष्ठ ३ में—

पंक्ति १ के स्थान पर निम्न रखा जाये :

"Provided that the boundary line shall be so demarcated as not to cut across any village or town;

Provided further that from the piont where the first mentioned highway."

["परन्तु सीमा रेखा इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि वह किसी ग्राम अथवा नगर के क्षेत्र में से होकर न गुजरे;

परन्तु यह और भी कि उस स्थान से जहां पहला राजपथ था"।]

†पंडित गो० ब० पन्त : मेरा ख्याल है कि यह एक ही बात है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या श्री श्यामनंदन सहाय इससे सहमत हैं?

†श्री श्यामनंदन सहाय : मैं उसे स्वीकार करता हूं।

†सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या ४६ को, संशोधित रूप में, मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३ में—

पंक्ति १ के स्थान पर निम्न रखा जाये :

"Provided that the boundary line shall be so demarcated as not to cut across any village or town;

Provided further that from the point where the first mentioned highway."

["परन्तु सीमा रेखा इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि वह किसी ग्राम अथवा नगर के क्षेत्र में से होकर न गुजरे;

परन्तु यह और भी एक उस स्थान से जहां पहला राजपथ था"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या ६१ को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति २६ में :

Sub-Section ["उपधारा (२)"] के बाद निम्न जोड़ा जाये:

"by an authority appointed in this behalf by the Central Government.

["इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये प्राधिकारी के द्वारा।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†सभापति महोदय : क्या कोई सदस्य अपने संशोधन को अलग से मतदान के लिये प्रस्तुत करना चाहते हैं?

†श्री क० कु० बसु : मेरा संशोधन मतदान के लिये रखा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री क० कु० बसु का संशोधन संख्या २ सभापति महोदय द्वारा मतदान के लिये रखा गया ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन]

सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में १६ ; विरुद्ध १२२

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३७, १०, ११, १७, १८, २७, २८, २९, ३१, ३२, ३३, ३८, ३९, ४०, ४२, ४३ तथा ४५ सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया ।

खण्ड ३क

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३४ सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड ४ पर संशोधन संख्या १२ तथा १३ सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा नया खण्ड ४ क जोड़ने के उद्देश्य से रखा गया । संशोधन संख्या ३ सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ६—(राज्य परिषदों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये उप-निर्वाचन)

†**श्री क० कु० बसु** : मैं अपने संशोधन संख्या ४ के द्वारा उस उपबन्ध में परिवर्तन करना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि स्थान रिक्त होने पर बिहार तथा पश्चिमी बंगाल को आवंटित स्थानो के लिये, निर्धारित दिनों को उप-निर्वाचन होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[श्री क० कु० बसु]

विधेयक के उपबन्ध के अनुसार पश्चिमी बंगाल को आठ सीटें दी जायेंगी। परन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि बिहार राज्य की वर्तमान विधान सभा के १२ सदस्यों में से केवल आठ पश्चिमी बंगाल विधान सभा में स्थानान्तरित किये जायेंगे। क्या नये बारह सदस्यों में से केवल आठ वहां लिये जायेंगे तथा चार स्थान रिक्त रहेंगे? तथा अगले सामान्य चुनावों से पूर्व उप-चुनाव भी नहीं हो सकेंगे। मैं अपने संशोधन के द्वारा यही चाहता हूं कि छः अथवा सात मास पश्चात् आने वाले उप-चुनाव भी अगले सामान्य चुनावों तक लम्बित कर देने चाहिये।

†**पंडित गो० व० पन्त** : कुछ गलतफहमी मालूम होती है, यह खण्ड राज्यों की परिषदों के सम्बन्ध में है। जहां तक राज्यों की परिषदों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझ सकता कि सामान्य चुनाव तक प्रतीक्षा करने की क्या जरूरत है। यह एक निरन्तर रहने वाली संस्था है तथा इसका सामान्य चुनावों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ७ से १२ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १३—(लोक-सभा के लिये स्थानों का आवण्टन आदि)

†**श्री क० कु० बसु** : मैं संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करते हुये यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिसीमन व्यवस्था के अनुसार, बिहार विधान मंडल के प्रत्येक ६ स्थानों में एक स्थान संसदीय है इसलिये बिहार के एक विशिष्ट क्षेत्र के बंगाल को दिये जाने से दो संसदीय स्थान कम हो जायगे तथा १२ स्थान बिहार विधान सभा के कम हो जायेंगे। परन्तु बंगाल में प्रत्येक सात स्थानों में एक स्थान ससदीय ह। मेरे संशोधन के स्वीकार कर लेने पर बिहार के इस क्षेत्र के ६ विधान सभा स्थानों मेंसे एक संसदीय स्थान रह जायेगा जब कि शेष बंगाल की व्यवस्था उसी प्रकार की रहेगी जैसे अब है।

†**पंडित गो० व० पन्त** : कहीं कुछ गलती मालूम होती है क्योंकि २५२, ३६ का सात गुना है। जब कि २५४ का कोई सम्पर्क ही ३६ से नहीं है। यह आंकड़े ठीक हैं—पश्चिम बंगाल के लिये सात स्थानों में से एक तथा बिहार के क्षेत्र के लिये ६ स्थानों में से एक।

†**श्री क० कु० बसु** : इस समय पश्चिम बंगाल विधान सभा में २४० स्थान हैं। २३८ निर्वाचित तथा दो नामनिर्देशित। यदि इन २५२ में से दो नामनिर्देशित नहीं हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**पंडित गो० व० पन्त** : यह निर्वाचित स्थानों के सम्बन्ध में ही है।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १४ तथा १५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १६—(निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन)

†**श्री क० कु० बसु :** मैं अपने संशोधन संख्या ५९, ६ तथा ७ प्रस्तुत करते हुये यह कहना चाहता हूं कि अन्य नये बनने वाले राज्यों का परिसीमन, राज्य पुनर्गठन विधेयक के खण्ड ४४ के अनुसार परिसीमन आयोग करेगा परन्तु पश्चिम बंगाल के मामले में परिसीमन आयोग का कोई उपबन्ध नहीं है। वर्तमान खण्ड में दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार एक प्राधिकार नियुक्त करेगी। हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के मामले में भी यही सिद्धान्त रखा जाये। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री ने यह अधिकार केन्द्रीय सरकार को क्यों सौंप दिया है। मैंने इसलिये संशोधन संख्या ५९ प्रस्तुत किया है।

†**पंडित गो० व० पन्त :** मैं सार रूप में श्री बसु से सहमत हूं तथा हम एक परिसीमन आयोग नियुक्त करेंगे तथा पश्चिम बंगाल के मामले पर भी अन्य राज्यों की भांति विचार होगा। कुछ प्रविधिक कठिनाई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग में इसकी व्यवस्था है तथा वह अभी पारित नहीं हुआ है। इसलिये वहां 'प्राधिकार' शब्द रखा गया है परन्तु उचित समय पर हम एक अधिसूचना जारी करेंगे तथा प्राधिकार, परिसीमन आयोग ही हो जायेगा।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ ६,

पंक्ति १० से १४ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(b) to revise to such extent as may be necessary or expedient, having regard to the said provisions, the orders of the Delimitation Commission made under section 8 of the Delimitation Commission Act, 1952 with respect to Bihar or West Bengal."

["(ख) बिहार तथा पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग अधिनियम १९५२ की धारा ८ के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा कथित उपबंधों के सम्बन्ध में किये गये आदेशों का आवश्यक तथा वांछनीय सीमा तक पुनरीक्षण"]

—[**पंडित गो० व० पन्त**]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १७ से २१ विधेयक मे जोड़ दिए गये।

---

†मूल अंग्रजी में।

खण्ड २२—(भूमि तथा वस्तुयें)

†**श्री श्यामनंदन सहाय** : मेरे संशोधन संख्या ४८ प्रस्तुत करने का यह कारण है कि बहुत थोड़ा भाग हस्तान्तरित किया गया है। इसलिये राज्य के सभी अवितरित भंडारों का पता लगाना बड़ा कठिन कार्य है तथा ऐसा करने से केवल शक्ति का ह्रास ही होगा।

मैं जानता हूं कि यह उपबन्ध राज्य पुनर्गठन विधेयक के उपबन्धों के समान बनाने के लिये रखा गया है। परन्तु उस विधेयक की परिस्थितियों में बड़ा अन्तर है इसलिये यह उपबन्ध अनावश्यक है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार खण्ड २२ के इस भाग को हटा देने पर विचार करेगी।

†**पंडित गो० व० पन्त :** स्वयं माननीय सदस्य ने बताया कि यह खंड राज्य पुनर्गठन विधेयक से ज्यों का त्यों लिया गया है। यदि इन भूभागों को बिहार से बंगाल हस्तांतरण करने के लिये एक विधेयक अलग से पुरःस्थापित करने की आवश्यकता उत्पन्न न हुई होती तो ये प्रस्ताव मूल राज्य पुनर्गठन विधेयक के अंग होते और जो भी कठिनाइयां सम्मूख आतीं उनका तब भी सामना करना होता।

इसके अलावा यह जो प्रस्ताव है इसमें एक सामान्य सिद्धान्त का पालन किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में हमने जो नीति अपना रखी है उससे विमुख होना हमारे लिये कठिन होगा। बड़े विधेयक के सम्बन्ध में भी छोटे-छोटे क्षेत्र जैसे त्रावणकोर कोचीन के चार तालुकों जो मद्रास को हस्तांतरित किये गये हैं, आदि में भी यह सिद्धान्त लागू होता है। इसी प्रकार आबू को एक राज्य से दूसरे राज्य को हस्तांतरित किया गया है। उसमें भी यही सिद्धान्त लागू किया गया था। मैं नहीं समझता कि हमने सामान्यतः जो नीति अपनाई है और लागू की है उससे हम किस प्रकार विमुख हो सकते हैं।

†**श्री श्यामनंदन सहाय** : मैं तो गृह-कार्य मंत्री और इस सभा के सम्मुख यह चीज लाना चाहता था। मैं संशोधन पर आग्रह नहीं करता। अन्य विधेयकों में भी यह उपबन्ध होने के कारण मैं इसे महत्वपूर्ण रोक समझता हूं।

†**पंडित गो० व० पन्त :** इससे अच्छा तो यह है कि बंगाल और बिहार के प्रतिनिधि आपस में यह तय कर लें कि वे इसका परिपालन नहीं करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य को उनका संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति प्राप्त है?

†**माननीय सदस्य :** हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २३ से २५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खण्ड २६—(कुछ निधियों में उधार)

†**श्री श्यामनंदन सहाय** : मेरा संशोधन संख्या ५२ है। मैं समझता हूं कि संशोधन की भाषा काफी स्पष्ट है। यद्यपि राज्य की सामान्य आस्तियों के विभाजन के सम्बन्ध में अन्य राज्यों वाली प्रक्रिया इस राज्य में भी लागू की जायेगी, फिर भी मेरा सुझाव यह है कि भविष्य निधियों के रूप में सामान्य लेखे में रखी गई राशि तथा स्थानीय प्राधिकारों के निक्षेप घटा कर जो राशि बचती है केवल उसी का बंटवारा होना चाहिये।

†**पंडित गो० व० पन्त** : यह उपबन्ध भी राज्य पुनर्गठन आयोग से ज्यों का त्यों लिया गया है। सारे देश में लेखे एक ही प्रकार से रखे जाते हैं।

†**श्री श्यामनंदन सहाय** : तो फिर मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति है?

†**अनेक माननीय सदस्य** : हां।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड २७ के बारे में कोई संशोधन नहीं है। अतः मैं खण्ड २६ और २७ को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २६ और २७ विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २६ और २७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड २८—(लोक-ऋण)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १०, पंक्ति १ में

'Sinking fund' ['निक्षेप निधि'] के पश्चात् 'depriciation fund' ['अवक्षयण निधि'] जोड़ा जाए।

—[**पंडित गो० व० पंत**]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खण्ड २८क

†**पंडित गो० व० पन्त** : मै प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १०,

पंक्ति ९ के पश्चात् यह जोड़ा जाए :

---

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित गो० व० पन्त]

"28 A. *Refund of taxes collected in excess*.— The liability of Bihar to refund any tax or duty on property situate in the transferred territories, including land revenue, collected in excess shall be the liabillty of West Bengal and the liability of Bihar to refund any other tax or duty collected in excess in any case where the place of assessment of that tax or duty is in the transferred territories shall also be the liability of West Bengal."

["**२८ क.—अधिक वसूल किये गये करों की वापसी**.—हस्तांतरित भूभागों में स्थित सम्पत्ति पर, जिसमें भूराजस्व भी सम्मिलित है, अधिक वसूल किये गये कर अथवा शुल्क की वापसी करने का बिहार का दायित्व पश्चिमी बंगाल का दायित्व होगा तथा किसी मामले में अधिक वसूल किये गये किसी अन्य कर अथवा शुल्क का, जहां उस कर अथवा शुल्क का निर्धारण स्थान हस्तान्तरित भूभागों में है, वापसी करने के बारे में बिहार का दायित्व भी पश्चिमी बंगाल का दायित्व होगा।"]

†**श्री क० कु० बसु :** मेरा संशोधन संख्या ६० है। राज्य पुनर्गठन विधेयक में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है। मैं सहमत हूं कि बिहार सरकार इसका भुगतान नहीं कर सकेगी, यह पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। किन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि पश्चिमी बंगाल सरकार स्वयं ही घाटे की आर्थिक स्थिति में चल रही है और केन्द्रीय सरकार से धन मांगती है, फिर भला उस पर बोझ लादना कहां तक उचित होगा? इसका भुगतान करने में पश्चिमी बंगाल का दोष नहीं है, क्योंकि यह कुछ प्रशासन सम्बन्धी सुविधाओं की दृष्टि से कियाजा रहा है।

अतः मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर विचार करें।

†**पंडित गो० व० पन्त :** श्री बसु राज्य पुनर्गठन विधेयक के खण्ड ८३ में इसी प्रकार का उपबन्ध पायेंगे। किन्तु जहां तक इस खण्ड विशेष का सम्बन्ध है, पश्चिमी बंगाल को कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि उसे बिहार को प्राप्त नकद रोकड़ तथा अन्य निधियों में से अपना अंश मिलेगा। अतः जब इसे अपनी आस्तियों में से अंश मिलता है, तो उसे दायित्व भी निभाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसमें असमानता जैसी कोई चीज नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** साढ़े तीन बज चुके हैं। क्या इस खण्ड को कुछ मिनटों में निबटाकर गैर-सरकारी कार्य आरम्भ कर दिया जाय?

†**पंडित गो० व० पन्त :** मेरा सुझाव तो यह है कि आप चर्चा कुछ और समय तक चलने दीजिये जिससे न केवल यह तथा अन्य खण्ड ही समाप्त हो जाएं अपितु सारे विधेयक का तृतीय वाचन भी हो सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि ऐसी इच्छा है तो मैं इसी को जारी रखूंगा।

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस विधेयक को समाप्त करने के पश्चात् सारा समय गैर-सरकारी कार्य के लिये ही दिया जायगा। उस कार्य को समाप्त करने के लिये सभा को देर तक बैठना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६० सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ १०,

पंक्ति ९ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाए :

---

†मूल अंग्रेजी में।

"28 *A. Refund of taxes collected in excess.*—The liability of Bihar to refund any tax or duty on property suitable in the transferred territories, including land revenue, collected in excess shall be the liability of West Bengal and the liability of Bihar to refund any other tax or duty collected in excess in any case where the place of assessment of that tax or duty is in the transferred territories shall also be the liability of West Bengal."

["२८ क. **अधिक वसूल किये गये करों की वापसी.**—हस्तांतरित भूभागों में स्थित सम्पत्ति पर जिसमें भूराजस्व भी सम्मिलित है, अधिक वसूल किये गये कर अथवा शुल्क की वापसी करने का बिहार का दायित्व पश्चिमी बंगाल का दायित्व होगा तथा किसी मामले में अधिक वसूल किये गये किसी अन्य कर अथवा शुल्क का, जहां उस कर अथवा शुल्क का निर्धारण स्थान हस्तांतरित भूभागों में है, वापसी करने के बारे में बिहार का दायित्व भी पश्चिमी बंगाल का दायित्व होगा।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड २८-क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २९ से ३९ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ४०–(सेवाओं से सम्बन्धित उपबन्ध)

†**श्री श्यामनंदन सहाय :** मेरा संशोधन संख्या ५५ वास्तव में खण्ड ४० और ४१ दोनों के स्थान पर एक खण्ड रखने का है। मेरे संशोधन का भाव यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी हस्तांतरित क्षेत्र का रहने वाला है तो उसे इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वह बिहार में ही सेवा में रहना चाहता है अथवा पश्चिमी बंगाल जाना चाहता है।

विधेयक के खण्ड ४० और ४१ में जैसे उपबन्ध इस समय हैं उनके अनुसार जो व्यक्ति हस्तांतरित भूभाग के रहने वाले हैं वे यदि पश्चिमी बंगाल नहीं जाना चाहते तो इसका निर्णय पश्चिम बंगाल सरकार करेगी। मेरे विचार से इस बारे में यह उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिये कि यदि वे स्वयं चाहें तो जा सकते हैं अन्यथा वहीं रह सकते हैं। मैंने अपने संशोधन में यही बात कही है क्योंकि इससे कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं पड़ता है।

†**पंडित गो० व० पन्त :** इसके बारे में कोई कठोर नियम नहीं है। यदि बिहार के कर्मचारी बिहार में रहना चाहते हैं और बिहार सरकार उन्हें सेवा में बनाये रखने के लिये तैयार है, तो उन्हें पश्चिमी बंगाल जाने के लिये कोई भी विवश नहीं करेगा। केन्द्रीय सरकार को इन मामलों में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार है और किसी व्यक्ति को किसी एक ही स्थान पर जमे रहने के लिये अथवा किसी स्थान से चले जाने के लिये बाध्य करने का उसका विचार नहीं है। किन्तु मैं यह विकल्प सिद्धान्त बिल्कुल पसन्द नहीं करता क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोग भी होंगे जो नौकरी किसी राज्य में करते हैं जबकि वे रहने वाले किसी दूसरे राज्य के होते हैं। वस्तुतः हम उन राज्यों में जिनमें वे लोग पैदा नहीं हुये हैं और न रहे हैं, कुछ ऐसे उपबन्ध लागू कर रहे हैं जिनसे देश की एकता बनी रह सके तथा उसका व्यवहार में संरक्षण किया जा सके और उन्नति की जा सके।

किन्तु जहां तक इन खण्डों का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

†**श्री श्यामनंदन सहाय :** माननीय मंत्री द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की दृष्टि से मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४० से ५१ विधेयक के अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४० से ५१ विधेयक में जोड़ दिये गये।

नया खण्ड ५२

श्री चेतन माझी द्वारा संशोधन संख्या ३६ प्रस्तुत किया गया।

***श्री चेतन माझी** (मानभम दक्षिण व धालभूम–रक्षित –अनुसूचित जातियां) : मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि एक अल्पसंख्यक बोर्ड की स्थापना की जाय। यह बोर्ड सम्बन्धी राज्य में भाषावार और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और उनके सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नों की जांच करेगा। बिहार राज्य में भाषावार अल्पसंख्यकों के जीवन में पिछले ८ साल से जो घटनायें घट रही हैं, उनको देखते हुये इस बोर्ड की आवश्यकता स्पष्ट जान पड़ती है। राज्य पुनर्गठन विधेयक में जिस क्षेत्रीय परिषद् की चर्चा की गई है, उससे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी जो कि इस संशोधन का है।

यह सभी जानते हैं कि बिहार सरकार राज्य के बंगला भाषा भाषी लोगों पर अत्याचार कर रही है। सरकारी स्कूलों को सरकार ने मान्यता नहीं दी और उन्हें बंगला में शिक्षा देने के अधिकार से वंचित रखा गया है। लोगों को इकट्ठा होने और उनको वाक्-स्वातंत्र्य के अधिकार से वंचित करने के लिये अवैध तरीके इस्तेमाल किये गये हैं। सुरक्षा अधिनियम लागू कर के हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार सरकार और उसके एजन्टों ने राज्य में भाषावार अल्प संख्यको का जीना दूभर कर दिया है। उसके गुंडों नें बंगला भाषी लोगों को मारा पीटा और उनकी संस्थाओं को आग लगा दी केवल इसलिये कि वह बंगला में शिक्षा देते थे। बिहार सरकार आदिवासियों, गैर-आदिवासियों, हरिजनों, गैर-हरिजनों और कुर्मीयों और गैर-कुर्मीयों में फूट डाल कर हमारा जीना दूभर कर रही है।

जिन स्थानों में अल्प संख्यक रहते हैं वहां की स्थिति ऐसी है। हमारी मांग है कि जहां तक हो सके बंगला भाषी क्षेत्र पश्चिम बंगाल को सौंप दिया जाये और अल्पसंख्यकों की जान और माल की रक्षा के लिये एक बोर्ड बनाना चाहिये।

यद्यपि हमें बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, हम चाहते हैं कि हर एक बात सिद्धांत के आधार पर हो। हम भाषावार सिद्धांत की पूर्णतया स्थापना करना चाहते हैं। हमारी मांग है मानभूम और धालभूम और संथाल परगना और पूर्णिया के सारे बंगला भाषा भाषी क्षेत्र पश्चिम बंगाल में शामिल होने चाहिये। बिहार सरकार के एजन्ट इस बात को कितना ही गलत क्यों न बतायें, सच तो यह है कि यह सारा क्षेत्र बंगला भाषी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। माननीय सदस्य ने संशोधन संख्या ३६ की ओर निर्देश किया है। वह उसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं?

श्री चेतन माझी : जी हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह भाषा सम्बन्धी तथा अन्य अल्पसंख्यकों के संरक्षणों से सम्बन्ध रखता है। यह बात सभा में पहले ही उठाई जा चुकी है और माननीय अध्यक्ष ने यह विनिर्णय दिया था कि संविधान (नवां) संशोधन विधेयक पर चर्चा के समय इन संरक्षणों पर भली भांति चर्चा की जा सकेगी। इसलिये, मैं इसे नियमबाह्य ठहराता हूं। इस विधेयक की चर्चा के दौरान में इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

---

*बंगला का हिन्दी अनुवाद।

†मूल अंग्रेजी में।

अनुसूची

†**पंडित गो० व० पन्त :** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि पृष्ठ १६, पंक्तियां ३५ और ३६ में--

"The second half of the financial year 1956-57" ["वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के उत्तरार्द्ध"] के स्थान पर निम्न रखा जाये :

"The period commencing on the appointed day and ending on the 31st day of March, 1957."

["निर्धारित तिथि से प्रारम्भ होने वाली और मार्च १९५७ के ३१वें दिन समाप्त होने वाली अवधि"]

चूंकि हमने १ अक्टूबर के स्थान पर १ नवम्बर रखा है, इसलिये यह एक आनुषंगिक संशोधन है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ १६, पंक्तियां ३५ और ३६ में—

"The second half of the financial year 1956-57" ["वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के उत्तरार्द्ध"] के स्थान पर निम्न रखा जाये :

"The period commencing on the appointed day and ending on the 31 st day of March 1957."

["निर्धारित तिथि से प्रारम्भ होने वाली मार्च, १९५७ के ३१वें दिन समाप्त होने वाली अवधि।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है।

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी।

खण्ड १–(संक्षिप्त नाम)

†**श्री क० कु० बसु :** मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं। मेरा संशोधन यह है कि "राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण" के स्थान पर "राज्य सीमाओं का पुनर्गठन और पुन:समायोजन" शब्द रखे जायें। मैं समझता हूं कि इन शब्दों के प्रयोग से हम अधिक मित्रतापूर्ण भाव से विधेयक को पारित करा सकते है।

†**पंडित गो० व० पन्त :** इतनी चर्चा करने के बाद और संयुक्त समिति में विचार कर फिर उसे प्रकाशित करने के बाद विधेयक के नाम में कोई परिवर्तन करना, मैं उचित नहीं समझता।

†**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री क० कु० बसु का संशोधन संख्या १ सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।**

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**पंडित गो० व० पन्त :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री म० कु० मैत्र (कलकत्ता--उत्तर पश्चिम) : अब यह विधेयक पारित होने जा रहा है किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस विधेयक से किसी को संतोष न होगा क्योंकि इसमें कोई सिद्धान्त नहीं है। वास्तव में सभी इस बात के लिये चिन्तित थे कि विधेयक भाषा के आधार पर तैयार किया जाता। कुछ वर्ष पहले भाषा के आधार पर ही मंत्री महोदय राज्यों का पुनर्गठन करना चाहते थे और अब वे यह कहते हैं कि भाषा का कोई स्थान न होगा। किन्तु हम जहां थे वहीं हैं। इसलिये हमारे सोचने में कोई गड़बड़ी नही है।

बंगाल पर यह आरोप लगाया गया है कि वह कुछ क्षेत्र अपने में मिलाना चाहता है किन्तु मैं तो यह कहूंगा कि यह आरोप बिहार पर लगाया जाना चाहिये क्योंकि जब १९४८ में खरस्वान और सरायकेला बिहार में जोड़ दिये गये तब बिहार ने उन्हें वापस देने से इन्कार कर दिया यद्यपि वे इस प्रदेश के साथ नहीं रहने चाहिये थे।

इस विधेयक से किसी को भी संतोष न होगा और न जनता में एकता होगी। एक समस्य को सुलझाने में अधिकारियों ने और नयी समस्याएं पैदा कर दी हैं। यदि इसके लिये कोई उत्तर-दायी है तो वह कांग्रेस हाई कमान है।

†**श्री ब्रिजेश्वर प्रसाद** (गया पूर्व) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, किन्तु बंगाल की सीमा पर जो खतरा देश के सामने है उसके बारे में भी मैं अपने विचार आप के सामने रखूंगा। बंगाल का विभाजन हुआ है और आधा बंगाल पाकिस्तान के पास है। अब पश्चिम बंगाल दो भिन्न दिशाओं की ओर, अर्थात् पेकिंग और ढाका की ओर खींचा जा रहा है। दिन प्रति दिन पेकिंग से खिंचाव बढ़ता जा रहा है। इसलिये यदि समीपवर्ती प्रान्तों के साथ पश्चिम बंगाल न मिलाया जाय तो वह भी हाथ से निकल जायगा। मैं विलय इस कारण चाहता हूं कि हमारी सब समस्याओं का एकमात्र हल वही है। मैं एकात्मक राज्य की स्थापना का समर्थन करता हूं। पश्चिम बंगाल में खतरे का कारण यह है कि हमारी नसों में मंगोली रक्त संचार कर रहा है। नागा प्रदेश की अशांति से हमारी आंखें खुल जानी चाहिये। अतः हम सावधान रहें। यदि बंगाल के दोनों भाग मिलाकर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र गणराज्य नहीं बनाया जायगा तो चीन की ओर से खिंचाव रोकना असंभव हो जायगा। पूर्वी बंगाल के भारत में मिलने के पूर्व यदि पश्चिम बंगाल समीपवर्ती प्रान्तों में मिला दिया जाये तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का पुराना झगड़ा फिर खड़ा न होगा।

†**पंडित सु० चं० मिश्र** (मुंगेर--उत्तर-पूर्व) : चूंकि इस विधेयक में इस आधारभूत विषय की उपेक्षा की गयी है कि संबंधित क्षेत्रों की जनता का परामर्श लेना चाहिये, मैं संपूर्ण विधेयक का घोर विरोध करता हूं। इस विधेयक से न तो कोई लाभ होगा और न कोई समस्या हल होगी। बंगाल के माननीय सदस्य ने अभी जो कुछ कहा है, मैं उसे दोहराता हूं। माननीय गृह मंत्री संभवतः यह सोचते हों कि कुछ वर्षों के लिये यह एक अस्थायी व्यवस्था है और किसी प्रकार इस समस्या को

---

†मूल अंग्रेजी में।

हमने टाल दिया है। किन्तु यह समस्या फिर उत्पन्न हो जायेगी। मैंने पहले ही दिन यह कहा था और आज भी यही कहता हूं कि जिस तालुके या जिले में बंगला-भाषी लोग हों या जहां के लोग बंगाल या उड़ीसा में जाना चाहते हों उसे बिहार में रखना पाप है। गृह-मंत्री सोचते हैं कि यहां से कुछ लेकर बिहार को दे दिया जाये जिससे बिहार संतुष्ट हो जाये। यह तो बंदरवाला न्याय है किन्तु इससे किसी भी राज्य को संतोष न होगा।

मुख्यतः दो अन्याय किये गये हैं। गृह-मंत्री यह सोचते हैं कि यदि किन्ही बातों पर सोचना है तो केवल केन्द्रीय गृह-मंत्री और बिहार और बंगाल के मुख्य मंत्रियों पर ही सोचना है। उनके लिये जनता न्याय की कोई चीज ही नहीं। मेरे विचार से पूर्निया जिले के ८० प्रतिशत लोग वहां से निकलना चाहेंगे और बंगाल के लिये संपूर्ण क्षेत्र खाली करना चाहेंगे। उससे लाखों विस्थापितों को वहां बसाया जा सकता था। किन्तु हमारी सरकार उस पर कुछ भी विचार नहीं करेगी। वह मंत्रियों के संबंध में किसी बात पर भी विचार कर सकती है किन्तु जनता के बारे में कुछ भी नहीं। दिल्ली में हमारे शासक यह समझते हैं कि यदि वे अपने निश्चय से इधर-उधर हटते हैं तो आगामी निर्वाचन में वे हार जायेंगे। जो भी हो आधारभूत सिद्धांत की और जनता की उपेक्षा की गयी है और इस प्रश्न को नहीं निबटाया गया है। इन सभी राज्यों में यदि जनमत गणना की गयी होती तो कोई झगड़ा नहीं हुआ होता। मुझे सबसे अधिक दुःख इस बात से होता है कि जो समस्या बिना किसी को शिकायत का मौका दिये आसानी से हल की जा सकती थी, वह उस प्रकार हल नहीं की गयी है, क्योंकि हमारे शासक जनता पर विश्वास नहीं करते।

†**पंडित गो० व० पन्त** : विरोधी दल के सदस्यों के भाषण सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं समझता हूं कि हममें से अंतिम वक्ता जो अभी भाषण समाप्त कर चुके हैं किसी राजनीतिक दल के नहीं थे।

†**पंडित सु० चं० मिश्र** : निश्चय ही, भारत का समाजवादी दल।

†**पंडित गो० व० पन्त** : मुझे भय था। अब मुझे उनका भाषण समझ में आ जायगा, किन्तु मैं उसका उत्तर नहीं देना चाहता।

सभा ने सर्वसम्मति से यह विधेयक स्वीकार कर लिया है इसलिये मैं सभा को धन्यवाद देता हूं। अच्छे से अच्छे समाज में कुछ उलटे दिमाग के लोग होते हैं जिन्हें हर समय और हर जगह क्रांति ही क्रान्ति दिखाई देती है, किन्तु उनकी बातें शायद ही कभी सच होती हैं।

इस विधेयक के गुणावगुण के संबंध में, मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक की प्रस्थापनाओं के लिये सरकार प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। ये प्रस्थापनाएं राज्य पुनर्गठन आयोग ने रखी थीं और हमने उन्हें स्वीकार कर लिया है। विरोधी दल के अनेक सदस्यों ने आयोग की बड़ी प्रशंसा की है। आयोग ने कहा है कि :

> "इस आयोग के सामने जो समस्याएं थीं उनमें सबसे कठिन समस्या इन सीमाओं के निर्धारित करने की थी। अपनी राय में हमने उचित और न्याय पूर्ण विनिश्चय करने का प्रयत्न किया है। हम इस बात के लिये चिन्तित हैं कि वे अरुचिकर विवाद, जिनके कारण बंगाल और बिहार के नेताओं की काफी शक्ति और समय नष्ट हुआ है, यथाशीघ्र समाप्त कर दिये जाने चाहिये।"

इन विवादों को समाप्त करने के लिये ही यह विधेयक बनाया गया है। आशा है कि उससे वह प्रयोजन पूरा हो जायगा। फिर भी यदि कुछ गुमराह लोग ये विवाद जारी रखें तो उनके प्रयत्न बिलकुल निरर्थक होंगे। बिहार और बंगाल के बीच राज्य क्षेत्र संबंधी कोई विवाद अब फिर नहीं चालू होगा और परस्पर सम्मति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से राज्य-क्षेत्र का हस्तांतरण नहीं

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित गो. व. पंत]

होगा। लोगों का, चाहे जो भी कुचक्र हो या जो भी कुछ षड़यंत्र हो, अब सफल नहीं होगा। बिहार और बंगाल के नागरिकों के बीच परस्पर सौहार्द, मित्रता और भाईचारे की भावना अवश्य बढ़ेगी और वे न केवल अपने राज्यों की बल्कि संपूर्ण भारत की प्रगति और कल्याण के लिये सच्चे प्रयत्न में हाथ बटायेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अट्ठावनवां प्रतिवेदन

†**श्री रघुनाथ सिंह** (जिला बनारस—मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अट्ठावनवें प्रतिवेदन से जो, १४ अगस्त, १९५६ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा गया और स्वीकृत हुआ।**

चलचित्रों के उत्पादन और प्रदर्शन के नियन्त्रण और विनियमन के बारे में संकल्प——(जारी)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री न० मा० लिंगम् ने ३ अगस्त, १९५६ को चलचित्रों के उत्पादन और प्रदर्शन के नियंत्रण और विनियमन के बारे में जो संकल्प प्रस्तुत किया था, सभा अब उस पर आगे चर्चा करेगी।

†**श्री न० मा० लिंगम्** (कोयम्बटूर) : जैसा कि सभा को मालूम है मेरे उस संकल्प का उद्देश्य यह है कि सरकार को अधिक शक्तियां दी जायें ताकि वह देश में चलचित्रों के उत्पादन और प्रदर्शन पर अच्छी तरह नियंत्रण और उनका विनियमन कर सके। इससे दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। एक तो यह कि क्या देश के चलचित्र उद्योग की स्थिति ऐसी है कि उस पर अधिक नियंत्रण और विनियमन आवश्यक है, और दूसरा यह कि स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या सरकार की वर्तमान शक्तियां पर्याप्त नहीं हैं।

इन दो पहलुओं के विवेचन के लिये, चलचित्रों के बल और प्रभाव पर विचार करना होगा। मनुष्य के दिमाग पर चलचित्र का कितना गहरा असर पड़ता है इसको विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है किन्तु यह कहा जा सकता है कि समाचार पत्र और रेडियो से उसकी शक्ति और प्रभाव कहीं अधिक हैं। इस संबंध में हमारे प्रधान मंत्री ने अभी हाल में चलचित्र गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि भारत में चलचित्रों का प्रभाव पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के एकत्र प्रभाव से कहीं अधिक है और ऐसे व्यापक प्रभाव वाली कोई भी वस्तु किसी भी दृष्टिकोण से वह चाहे कला या भावी पीढ़ियों के सुधार से सम्बन्धित हो, अत्यंत महत्व की है। इसलिये सरकार का उससे घनिष्ट संबंध होना चाहिये किन्तु वह किस प्रकार हो यह एक भिन्न विषय है। वे यह नहीं चाहते कि सरकार का बहुत अधिक हस्तक्षेप हो, किन्तु ऐसे व्यापक प्रभाव वाले उद्योग से सरकार का संबंध अवश्य रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यह सारे संसार में मान लिया गया है कि जनता में संचार की दृष्टि से चलचित्र का समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अन्य सशक्त वस्तुओं की तरह समाज का भला बुरा करने की इसमें भी शक्ति है। पश्चिम के उन्नत देशों ने समान्यतया वयस्क और खासकर भावी पीढ़ी के दिमाग पर चलचित्र के प्रभाव के संबंध में जांच की है। यह समस्या कितनी महत्वपूर्ण है, इसका परिचय इसी से मिलता है कि अमेरिकी कांग्रेस ने इस विषय का विवेचन करना आवश्यक समझा कि जनता पर चलचित्र का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हाल में उस विषय के बारे में जांच करके अपने निर्णय में उस सीनेट ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने "स्वतंत्र चलचित्र" या "स्वतंत्र समाचार पत्र" के संवैधानिक अधिकारों में चलचित्र-निर्माता या सम्पादक के दिमाग की कोई कल्पना प्रस्तुत करने का अधिकार शामिल करने का निर्णय नहीं दिया है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्टत: स्वीकार कर लिया है कि जो चीज भद्दी हो, या जिससे हिंसा को प्रोत्साहन मिले अथवा जिससे विधि और शांति खतरे में पड़ जाये, चलचित्र में उस पर विधि संबंधी निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं। समिति ने अपने प्रतिवेदन के अंतिम भाग में कहा है कि चलचित्र निर्माताओं को यह उत्तरदायित्व लेना चाहिये कि वे भावी जनता को ऐसी प्रवृत्ति बनाने और ऐसी राय कायम करने में सहायता करें जिससे वे हमारे उलझे हुए समाज की वर्तमान समस्याओं का अच्छी तरह सामना कर सकें। उस समिति के सामने जो साक्ष्य दिए गए हैं वे वर्तमान चलचित्रों की गतिविधि के विरुद्ध हैं। इस प्रश्न पर यूनेस्को ने भी कई प्रतिवेदन प्रकाशित किये हैं किन्तु वे इस विषय में एकमत नहीं हैं कि चलचित्र उद्योग पर सरकार का अधिक नियंत्रण आवश्यक है। संभव है कि पश्चिम में मनोविज्ञान का अध्ययन इतना आगे नहीं बढ़ा है कि वे यह ठीक-ठीक मालूम कर सकें कि समाज पर चलचित्रों का क्या प्रभाव पड़ता है।

साधारणतया पाश्चात्यों का यह दृष्टिकोण है कि चलचित्र से केवल उन्हीं बच्चों या वयस्कों को खतरा है जिनमें अपराध की जड़ें पहले से ही मौजूद हों, या जिनका लालन पालन अच्छी तरह न हुआ हो या जिनके पारिवारिक संबंध अच्छे न हों। किन्तु हम जानते हैं कि भारतीय मनोविज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि किसी भी नयी कल्पना का भारतीय मस्तिस्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और किसी घटना के घटित होते समय वह प्रभाव प्रत्यक्ष न दिखायी दे किन्तु उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। हमारे लिये यह दिलचस्पी की बात है कि इन सभी सर्वेक्षणों से यही सिद्ध हुआ है कि आधुनिक चलचित्रों का प्रभाव बहुत ही घातक है।

संसार में चलचित्र उद्योग की सामान्य स्थिति यह है। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि प्रत्येक देश में किसी-न-किसी प्रकार का बिवाचन हो रहा है; किन्तु यह भी मान लिया गया है कि बिवाचन की सभी व्यापक संहिताओं के बावजूद चलचित्र उद्योग से पैदा होने वाली इस प्रवृत्ति को रोकना संभव नहीं कि लोगों की निम्न भावनाओं को प्रोत्साहन मिलता है और ऐसी कृत्रिम दशाएं उत्पन्न की जाती हैं कि अपराध और हिंसा को सराहनीय बताया जाता है। मैं समझता हूं कि फिल्म-उद्योग की टीका टिप्पणी करते समय उसका कुछ इतिहास बताना भी आवश्यक है। यह उद्योग सरकारी सहायता के बिना ही बढ़ता रहा है और इसने काफी महत्वपूर्ण काम किया है। मैं चाहता हूं कि इस उद्योग में जो भी न्यूनतायें हों उनकी जांच करने और उनके संबन्ध में सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये।

हमारे देश में स्थायी और अर्द्धस्थायी सिनेमाघरों की संख्या २४२६ है; और ७९३ सिनेमा तम्बुओं में लगे हुए हैं। वर्ष भर में हमारे देश की आबादी के दो गुने लोग सिनेमाओं में जाते हैं। इससे हम जान सकते हैं कि देश पर फिल्मों का कितना प्रभाव पड़ता है।

इस समय फिल्म-निर्माण राज्यों से सम्बन्धित विषय है; किन्तु मैं चाहता हूं कि ऐसे महत्व-पूर्ण विषय पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण हो क्योंकि प्रेस और रेडियो पर भी सरकार का नियंत्रण है।

[श्री न० मा० लिंगम्]

अब मैं बिवाचन[1] के प्रश्न को लेता हूं। १९२८ में फिल्म जांच समिति नियुक्त की गई थी और कुछ वर्षों के बाद फिल्मों के बिवाचन[1] का काम केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया किन्तु हम देखते हैं कि बिवाचन का काम सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। अनेक फिल्मों को विदेशों में भेजने से पहले उनका बिवाचन नहीं किया जाता है।

फिल्मों को दो श्रेणियों में बांट दिया गया है, 'ए' श्रेणी और 'यू' श्रेणी। पहली श्रेणी की फिल्में केवल वयस्कों के लिये होती हैं जबकि दूसरी श्रेणी की सबके लिये होती हैं। यह भी एक हानिकारक बात है क्योंकि वयस्कों के नाम की आड़ में अनेक गन्दी फिल्में दिखाई जाती हैं और उन्हें अवयस्क भी देख लेते हैं। इस प्रकार सिनेमा वाले उनसे बहुत लाभ कमाते हैं। हमारे देश में केवल वे ही फिल्में बननी चाहियें जिन्हें सब लोग किसी आपत्ति के बिना देख सकें।

अब मैं भारत में विदेशी फिल्मों के प्रश्न को लेता हूं। हमारी संस्कृति के दृष्टिकोण से विदेशी फिल्में इतनी लज्जास्पद, हिंसात्मक और घृणित होती हैं कि भारतीयों पर उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और ऐसी फिल्मों पर यथाशक्ति रोक लगा देनी चाहिये।

हमारे यहां सबसे अधिक फिल्में अमेरिका से आती हैं। यह ठीक है कि पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति से भिन्न है तथापि सरकार को ऐसी फिल्मों पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिये। यूनेस्को ने भी यही सिफारिश की है कि समाज को अधोमुखी बनाने वाली फिल्मों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये।

किन्तु हमारे देश में, समाज सुधार की अपेक्षा सिनेमा वाले समाज-कल्याण की ओर अधिक ध्यान देते हैं। मैं चाहता हूं कि फिल्म उद्योग में प्रशिक्षण देने के लिये सरकार एक फिल्म ब्यूरो स्थापित करे।

मैं माननीय मंत्री से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की इस उद्योग के प्रति जो नीति है उसका स्पष्टीकरण करे।

फिल्म उद्योग के विकास के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि उसका विकास उचित रीति से हो और हमारे देश में ऐसी फिल्में न बनाई जावें जो लोगों को उत्थान के स्थान पर पतन की ओर ले जायें। जहां एक ओर हम सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहते हैं वहां दूसरी ओर यदि शिक्षा के इस महत्वपूर्ण माध्यम की ओर हम ध्यान न दें तो संभव है कि इस बात के कारण समाज में गन्दा वातावरण फैल जाये और देश की भावी संतान का चरित्र बिगड़ जाये।

हमारे यहां सब प्रकार की फिल्में बनाई जाती हैं और हम संविधान के सहारे यह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से उन्नति का अवसर दिया जाये, किन्तु हमें केवल वही कार्य करना चाहिये जो राष्ट्र के लिये लाभदायक हो; और मैं समझता हूं कि इसके लिये अनुच्छेद २ में उचित संशोधन किया जाना चाहिये। दिल्ली में भी एक बार हजारों माताओं ने माननीय मंत्री के पास यह ज्ञापन भेजा था कि उनके बच्चों को बुरी फिल्मों से बचाया जाये। यदि संविधान में कुछ संशोधन किया जाये, तो यह काम सरलता से हो सकता है।

मुख्यतया फिल्में सामाजिक, जीवन सम्बन्धी, पौराणिक अथवा मारकाट से भरी हुई होती हैं। प्रायः हम देखते हैं कि पौराणिक चित्रों में देवी-देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है और जीवन सम्बन्धी चित्रों में अनेक ऐतिहासिक त्रुटियां रहती हैं। कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिनमें उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों में परस्पर घृणा पैदा करने की चेष्टा की गई है। अतः मैं एक बार फिर माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इन बातों पर विचार करें और फिल्म उद्योग के बारे में सरकार जिन शक्तियों को भी अपने हाथ में लेना उचित समझे उनका उपबन्ध करे।

---

[1]Censorship.

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

"कि इस सभा का यह मत है कि संविधान के अनुच्छेद १९(२) में संशोधन करने के लिये सरकार को विधान पुरःस्थापित करना चाहिये जिससे कि सरकार देश में चलचित्रों के निर्माण और प्रदर्शन का प्रभावी रूप से नियंत्रण और विनियमन कर सके।"

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा-मध्य): मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल संकल्प के स्थान में यह रखा जाय :

"कि इस सभा की यह राय है कि राष्ट्रीय एकता, सामाजिक प्रगति और देश में स्वस्थ नैतिक और सांस्कृतिक जीवन के हित में यह आवश्यक है कि चलचित्रों के स्तर में सुधार किया जाय और इसलिये यह सभा सिफारिश करती है कि सरकार यह देखे कि इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध शक्तियां इस समय पर्याप्त हैं या नहीं, और यदि आवश्यक हो, तो सरकार आवश्यक शक्तियों के लिये संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर कार्यवाही करे।"

†**श्री श्रीनारायण दास** : हम उस माननीय सदस्य के आभारी हैं जिसने अपना संकल्प प्रस्तुत करके हमें फिल्म उद्योग के प्रति अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है।

मैंने फिल्म उद्योग के बारे में एक बार प्रश्न भी किया था। इसके अतिरिक्त दिल्ली की हजारों माताओं ने माननीय मंत्री के पास एक ज्ञापन भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके बच्चों को बुरी फिल्मों से बचाया जाये।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि शिक्षा, समाज, संस्कृति और हमारी समस्त सभ्यता पर फिल्मों का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि फिल्में अच्छी न हों तो उससे समस्त देश के नैतिक और सामाजिक स्तर को धक्का पहुंचता है।

फिल्म उद्योग के बारे में सबसे पहली समिति १९२७ में बनाई गई थी। मुझे आश्चर्य है कि उसके इतने वर्षों बाद जब संविधान बनाया गया तो फिल्म उद्योग को राज्यों का विषय समझा गया। यह उद्योग अब इतना विकसित हो गया है कि केन्द्रीय सरकार को इसे स्वयं अपने नियंत्रण में रखना चाहिये। सिनेमा केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है। वह शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिल्म उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये या नहीं। राष्ट्रीयकरण से इस उद्योग के कला पक्ष का समुचित विकास नहीं हो सकेगा। अतः यह उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में ही रहना चाहिये किन्तु जो भी फिल्में बनाई जायें उन पर सरकार को कड़ी निगरानी रखनी चाहिये और फिल्मों के निर्माण, वितरण और प्रदर्शन पर नियंत्रण के लिये एक सरकारी संस्था बनाई जानी चाहिये। इस समय एक बिवाचन बोर्ड अवश्य है किन्तु वह अपना काम सुचारु रूप से नहीं कर पाता। अतः एक फिल्म परिषद का होना नितान्त आवश्यक है जैसा कि फिल्म जांच समिति ने सिफारिश की है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की एक समिति है जिसमें सरकारी प्रतिनिधि भी हैं। वह समिति यही काम करती है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां भी संसद सदस्यों की एक समिति बनाई जाये जो फिल्म उद्योग सम्बन्धी विषयों पर विचार करे। इसके साथ ही मैं समझता हूं कि चलचित्र (सिनेमाटोग्राफ) अधिनियम में भी संशोधन किया जाना चाहिये। इस विषय के अध्ययन के बाद यदि संसद सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि संविधान के अनुच्छेद १९(२) में संशोधन उचित है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रस्तावक मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** (नेल्लोर) : मुझे इस प्रस्ताव पर कुछ अधिक नहीं कहना है। फिर भी मैं विधेयक के प्रस्तावक तथा अपने मित्र श्री श्रीनारायण दास की भावनाओं की सराहना करता हूँ। परन्तु मैं इस उद्देश्य के लिये संविधान में संशोधन किये जाने के पक्ष में नहीं हूं, यद्यपि सदन इस प्रकार के संशोधनों का अभ्यस्त हो चुका है। सितम्बर १९५३ में संशोधित चलचित्र अधिनियम १९५२, सरकार को काफी अधिकार देता है कि वह जब भी चाहे हस्तक्षेप करके चलचित्र को शिक्षा और मनोरंजन का माध्यम बनाये।

यह समझ लिया जाना चाहिये कि इस देश में यह उद्योग अभी नया ही है। इसका आरम्भ १९१७ में हुआ था और सवाक चलचित्र १९३१ से बनने आरम्भ हुये। काफी रुपया खर्च करके और विभिन्न कठिनाइयों का सामना करके निर्माता अब इस स्थिति में आये हैं कि वह अपने पांव पर खड़े हो सकें।

निस्सन्देह कुछ ऐसे चलचित्र भी हैं जिनकी काटछांट करना बहुत जरूरी है और इस संबंध में चलचित्र बिवाचन बोर्ड काफी सराहनीय कार्य कर रहा है। निर्माता सारे देश की मनोवैज्ञानिक रुचियों का अनुमान लगा कर ही चलचित्रों का निर्माण करते हैं। इधर उधर यदि कहीं प्रेम प्रदर्शन की मात्रा अधिक हो जाती है तो चलचित्र बिवाचन बोर्ड उस अंश को काट देता है।

भारत में २०० के लगभग निर्माता हैं और ३५०० चलचित्र गृह हैं। इसके अतिरिक्त चलते फिरते चलचित्र गृह भी हैं जो कि ग्रामों में घूमते रहते हैं। चलचित्रों के निर्माण में कोई एक लाख कर्मचारी सेवायुक्त हैं। एक चलचित्र के निर्माण पर पांच से दस लाख तक रुपया खर्च हो जाता है। कभी-कभी चलचित्र उद्योग के विकास के लिये वितरक भी धन दे देते हैं।

सरकार यह चाहती है कि संविधान का संशोधन करके उसे चलचित्रों पर नियन्त्रण करने के संबंध में अधिक अधिकार दिये जाय। अगस्त १९५४ में भी सदन में इसी आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यह तो ठीक है कि समाज में अनैतिकता न फैले इसे सरकार को देखना है, परन्तु इस संबंध में चलचित्र देखने वालों की भी जिम्मेदारी है। यदि वह यह देखते हैं कि अमुक चलचित्र ठीक नहीं है तो वे दूसरों से उसे न देखने के लिये अवश्य कहते हैं।

विद्यार्थी वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो प्रत्येक प्रकार के चलचित्रों को देखता है और अन्य बातों के अतिरिक्त प्रेम-प्रदर्शन में उसकी रुचि कुछ अधिक होती है। परन्तु हमें यह भी नहीं भलना चाहिये कि निर्माता देश की कला और प्रतिभा का विकास करने में काफी सहायता दे रहे हैं। संगीत और कला की उन्नति के लिये वे विभिन्न तरीकों को अपना रहे हैं। यदि उन पर और अधिक प्रतिबन्ध लगाये गये तो कहीं ऐसा न हो कि उनका उत्साह ही समाप्त हो जाय। यदि सरकार ने कुछ ऐसी बात कर दी तो चलचित्र उद्योग के विकास में यह बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होगी।

यह भी ज्ञात हुआ है कि सरकार ने इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सर्वोत्तम चलचित्र को पारितोषिक देने की परिपाटी भी चालू की है। यह भी सुझाव दिया गया है कि एक चलचित्र उत्पादन ब्यूरो स्थापित किया जाय जो कि चलचित्रों के निर्माण कार्य का आरम्भ किये जाने से पूर्व निर्माताओं को सलाह दिया करे। एक चलचित्र वित्त निगम भी बनाया जा रहा है जो कि निर्माताओं को आर्थिक सहायता देगा। एक बाल चलचित्र संस्था भी स्थापित की जा रही है। इस पर भी यदि संसद सदस्य यह समझते हैं कि नियन्त्रण के लिये सरकार को और अधिक अधिकार दिये जायें तो मेरे विचार से तो चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के पास पहले से ही पर्याप्त अधिकार हैं और वह इस प्रकार के नियम बना सकती है जिससे कि केवल उत्तम चलचित्र ही बन सकें।

आजकल कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक चलचित्र भी बनाये जा रहे हैं। सामाजिक चलचित्रों में कुछ आपत्तिजनक चीजें देखने को मिली हैं। इसका यह अर्थ तो नहीं है कि सरकार को इस उद्योग का और अधिक नियन्त्रण करने को कहा जाय। चलचित्र अधिनियम के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी जब भी चाहे किसी आपत्ति जनक चलचित्र का प्रदर्शन बन्द कर सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इस संबंध में २७ फरवरी, १९५५ के भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत हुई चलचित्र गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था कि रचनात्मक कला को राज्य के हस्तक्षेप के बिना विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिये। राज्य तो जनता के आचरण का निर्णायक नहीं हो सकता है। एक और अवसर पर डा० राधाकृष्णन् ने भी कहा था कि, "रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था का भार तो सरकार पर है, परन्तु बौद्धिक और कलात्मक उपक्रमणों पर उसका नियंत्रण नहीं होना चाहिये। महान कार्य तो स्वतन्त्र और मुक्त नियन्त्रण रह कर ही किये जा सकते हैं। कलाकार को मार्ग नहीं दिखाया जा सकता है। राज्य उसके लिये साहस, विश्वास और अवसर की व्यवस्था नहीं कर सकता। वह उसकी कला का संरक्षक तो हो सकता है, स्वामी नहीं।"

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह चलचित्र उत्पादन में हस्तक्षेप न करें। यह हस्तक्षेप एक छोटी चिड़िया को बड़े तीर से मारने जैसा होगा।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, वह श्री लिंगम् के प्रस्ताव से भिन्न नहीं है। मैं सूचना और प्रसारण मंत्री से इस संशोधन की सिफारिश करता हूं और यदि वह स्थिति के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। परन्तु मेरा विचार है कि मेरे संशोधन से श्री लिंगम् के प्रस्ताव का और मंत्री महोदय तथा अन्य सदस्यों के दृष्टिकोणों का समन्वय हो जायेगा।

चलचित्र बनाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना होता है और उसमें काफी धन और समय लगता है। जो लोग इन्हें बनाते हैं केवल परोपकार ही उनका लक्ष्य नहीं होता है। उनका उद्देश्य धन कमाना ही होता है और यह उद्देश्य कोई बुरा उद्देश्य नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी पैसा कमाने के विचार से वह चलचित्र का स्तर नीचा भी कर दें। परन्तु सरकार चुप नहीं रह सकती है क्योंकि देश के कुमारों और बच्चों की वह संरक्षक है और उनके नैतिक और बौद्धिक भविष्य और विकास की जिम्मेदारी उसी पर है। हमें अपने युवकों और देशवासियों को चलचित्रों के कुप्रभाव से बचाना है। ऐसा करने के लिये सरकार के पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। सरकार को अधिकार देने का मैं विरोधी नहीं हूं प्रत्युत मैं उसका स्वागत करता हूं। परन्तु एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि यह अधिकार संविधान में संशोधन करके ही दिये जा सकेंगे। संशोधन हमें सावधानी से सचेत होकर और समय के अनुसार ही करने चाहियें। इसीलिये तो मैंने अपने स्थानापन्न प्रस्ताव की सूचना दी है। सरकार यदि चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है। परन्तु उसे देश को यह बताना होगा कि यह सब जनहित में ही किया गया है। इसके लिये हमें अनुरोध से काम लेना होगा। मैं मंत्री महोदय और श्री लिंगम् से सहमत हूं कि सरकार को और अधिकार दिये जाने चाहियें।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: मैंने इस मामले में कोई मत प्रकट नहीं किया है।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : चलचित्र विवाचन बोर्ड का अस्तित्व ही यह बताता है कि सरकार अधिकार चाहती है और बहुमत भी इसी पक्ष में दिखाई देता है। परन्तु सदन द्वारा कानून पास कर देने से ही काम नहीं चलेगा। इसमें सरकार अथवा मंत्री महोदय की अनुनय करने की योग्यता ही काम आ सकती है और उसी के द्वारा उद्योग के सहयोग से ही हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव को यदि प्रस्तावक चाहें तो मौखिक परिवर्तनों के साथ, स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री राजा राम शास्त्री (जिला कानपुर-मध्य) : मैं प्रस्तावक महोदय को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने एक आवश्यक विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया। आज कल की समाज पर फिल्मों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है। इसमें

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री राजा राम शास्त्री]

कोई शक नहीं कि आजकल आम जनता और पूरे के पूरा समाज को शिक्षित करने का यह सर्वोत्तम साधन है। जिस तरह से दूसरे व्यवसायों में है उसी तरह से हमारे फिल्म व्यवसाय में भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं।

आज हमारे देश का हर परिवार यह महसूस करता है कि बहुत बुरा प्रभाव इन फिल्मों का हमारे नवयुवकों पर पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट इस व्यवसाय में सुधार करने के लिये कोई कदम उठाती है तो इसमें कोई शक नहीं कि पूरे का पूरा समाज उसका स्वागत करेगा और इसका अच्छा प्रभाव होगा। इसमें कोई शक नहीं कि आजकल के फिल्म प्रोड्यूसर जो फिल्में बनाते हैं, उसमें उनका दृष्टिकोण आम तौर पर रुपया कमाने की ओर ही अधिक रहता है। यह बात वैसी ही है जैसी कि हम पूरे समाज में देखते हैं कि जो भी व्यवसाय है उसमें हर व्यक्ति का दृष्टिकोण पूंजी-वादी है और यही हाल फिल्म इंडस्ट्री का है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस व्यवसाय में कोई सुधार किए जा सकते हैं या नहीं? अक्सर कांस्टीट्यूशन (संविधान) का हवाला दिया जाता है और यह कहा जाता है कि हमें इस बात का हक नहीं है कि किसी निजी व्यवसाय में कोई दस्तंदाज़ी करे। लेकिन जब एक बार इस चीज़ को स्वीकार कर लिया जाता है कि कोई चीज़ बुरी है और उसका बुरा प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है और उससे हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है तो मैं समझता हूं कि हमको इस बात का पूरा अधिकार है कि हम दस्तंदाजी करें और उस चीज़ का राष्ट्र के हित में प्रयोग करवाने की चेष्टा करें। गवर्नमेंट इस बात को महसूस कर सकती है कि उसको ऐसे व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये। लेकिन जहां तक नियंत्रण का ताल्लुक है, गवर्नमेंट उस पर नियंत्रण रखने का कोई न कोई प्रबन्ध अवश्य कर सकती है और उसको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकती है। मेरा अपना विचार यह है कि अगर सरकार इस व्यवसाय के ऊपर नियंत्रण रखने की ओर बढ़े तो हमारा फिल्म व्यवसाय काफी तरक्की कर सकता है और बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

पिछले दस बारह वर्षों के अन्दर इस फिल्म व्यवसाय ने काफी तरक्की की है और जब कभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री को दूसरे देशों में प्रवेश करने का मौका मिला और वहां पर हमारी फिल्मों को भेजा गया तो वहां पर भी उनको डिस्टिंक्शन मिला है। इस चीज़ को देख कर मुझे बड़ी खुशी होती है। इस सम्बन्ध में सवाल यह उठता है कि अगर सरकार की तरफ से कुछ कोशिश की जाय, तो क्या उसमें सुधार नहीं हो सकता है? मेरा ख्याल है कि सुधार अवश्य हो सकता है। मुझे अपने देश की फिल्में देखने का बहुत मौका मिला है। मैं कह सकता हूं कि उनका स्तर पहले से काफी ऊंचा उठा है, लेकिन सुधार की गुंजायश अब भी उनमें है, इस विषय में दो मत नहीं हो सकते हैं। मैं कई देशों में गया हूं और वहां पर फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति देखकर मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा है। खास तौर से रूस और चीन में मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन देशों की सरकारों ने किस तरह फिल्म इंडस्ट्री (उद्योग) को अपने हाथ में लेकर उस के जरिये से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में—सारे समाज में—शिक्षा का प्रसार किया है। हमारे देश में स्थिति यह है कि जो फ़िल्में बड़े लोगों के लिए हैं, उन्हीं को बच्चे भी देखते हैं, जिसके कारण उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस तरफ निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये कि बच्चों के लिये अलग फ़िल्मों का निर्माण हो और वे फ़िल्में ऐसी हों, जिनसे बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े।

मैं यह मानता हूं कि वह एक प्राइवेट इंडस्ट्री (गैर-सरकारी उद्योग) है, लेकिन मेरा विचार है कि अगर गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ समय पूर्व जर्मनी में दुनिया भर के देशों की फिल्म इंडस्ट्री की एग्ज़िहिबिशन (प्रदर्शनी) हुई और सब देशों ने उस में भाग लिया और अपनी अपनी फिल्में वहां भेजीं। हमारे देश की फिल्में भी वहां गईं। मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दूसरे देशों की सरकारों ने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि उनकी फिल्मों का अच्छा प्रदर्शन हो, उन का ज्यादा से ज्यादा एडवरटाइज़मेंट (विज्ञापन) हो और वे बड़ी से बड़ी आडिएन्स (जनता) को अपनी तरफ खींचें और इसमें उनको सफलता भी मिली। परन्तु हमारे लोगों ने शिकायत की कि हमारी सरकार और हमारी एम्बैसी (दूतावास) ने

इस बात का प्रबन्ध नहीं किया कि हमारी फिल्मों का अच्छा एडवरटाइज़मेंट हो ताकि वे अधिक से अधिक जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। इन सब कमज़ोरियों के बावजूद हमारी फिल्मों को वहां पर पुरस्कार मिल सका, यह देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

मैं यह ज़रूर देख रहा हूं कि हमारे समाज में प्रचलित विचार-धारा और गतिविधि का प्रभाव हमारी फिल्मों पर भी पड़ रहा है, हालांकि यह भी सत्य है कि हमारे यहां ऐसी फिल्में भी बनती हैं, जिनका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे यहां ऐसी फिल्में अब बनने लगी हैं, जो कि हमारे समूचे देश के वातावरण, समूचे समाज में सुधार और प्रगति के काम और जनता के सुधार के काम को प्रतिबिम्बित करती हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि हमारी फिल्मों में जनता के प्रति हमदर्दी और बड़े बड़े धनी व्यक्तियों के प्रति घृणा का प्रदर्शन किया जाता है, जो कि रुपये को बरबाद कर रहे हैं।

जहां तक टैकनीक का ताल्लुक है, अगर गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री की कुछ सहायता करे, उस को कंट्रोल करे, उसकी देख-रेख करे, तो फिल्म व्यवसाय के लोग और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस व्यवसाय की काफी तरक्की कर सकते हैं।

मैं अधिक न कह कर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट के सामने कोई बड़ी रुकावट है जिसकी वजह से वह कोई काम नहीं कर सकती है—हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं—अगर उसके पास कम पावर्ज़ हैं तो वह सदन के सामने आकर और पावर्ज़ ले सकती है। मैं समझता हूं कि आमतौर पर इस सदन की यही राय होगी कि इस व्यवसाय को स्वतन्त्र हर्गिज़ न छोड़ा जाय और इसके ऊपर गवर्नमेंट का नियन्त्रण होना चाहिये। वह इस व्यवसाय को एक साधन बना कर समूचे देश में शिक्षा का प्रचार व प्रसार कर सकती है। इस समय गवर्नमेंट की जो डाक्यूमेंटरीज़ (प्रलेखीय चलचित्र) तैयार हो रही हैं वे काफी अच्छी होती हैं और उनके द्वारा लोग समझते हैं कि हमारे देश और समाज में क्या काम हो रहा है। अगर गवर्नमेंट इस समवाय को नियंत्रित करे तो वह इसको देश की उन्नति के लिये एक मुख्य साधन बना सकती है और मैं समझता हूं यही प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य है। मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर): यह सरकार को अधिक अधिकार देने की समस्या नहीं है यहां तो सरकार को सचेत होकर चलचित्र उद्योग को नियमित करने के लिये दी गई शक्तियों का प्रयोग करने की बात है। इस वर्ष में कितने ऐसे चित्र हैं जिन पर उनकी अश्लीलता के कारण रोक लगाई गई है? क्या चलचित्र विवाचक ने जनरुचि में कोई सुधार किया है अथवा इस संबंध में जनता की रुचि अथवा सामाजिक चेतना को उठाने का प्रयत्न किया है? यदि कुछ किया भी गया है तो वह सन्तोषजनक नहीं है। मेरा विचार है कि इसके लिये चलचित्र उद्योग दोषी नहीं है, क्योंकि उसे तो अपनी आय का ध्यान रखना ही पड़ता है। दोष जनता का भी है और उनका भी है जिन पर इसे नियमित करने की जिम्मेदारी है, परन्तु वे तो इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते मालूम होते नहीं हैं।

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़ जिला-पश्चिम व जिला राय बरेली-पूर्व) : गणपूर्ति नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब जब कि मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है तो घंटी बजाई जाय।.........

अब गणपूर्ति हो गई है। श्री दीवान चन्द शर्मा अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कानून द्वारा इस उद्योग को नियमित करना इस समस्या का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जनमत को इस प्रकार संगठित किया जाय कि उसका चलचित्र निर्माताओं पर कुछ प्रभाव पड़े। सभी प्रगतिशील देशों में चलचित्र देखने वालों की संस्थाएं हैं जो कि इस बात

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दी० चं० शर्मा]

का ध्यान रखती हैं कि ऐसे चलचित्र न बनाये जायें जिनसे कि देश की सामाजिक व्यवस्था के बिगड़ने का भय हो। परन्तु इस देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक पहलू है जिस पर हमें विचार करना चाहिये ।

इसके बाद प्रश्न आता है शिक्षा का, और उस संबंध में तो सरकार कुछ कर रही है। अभी हाल ही की एक गोष्ठी में मेरी सीटन ने चलचित्र निर्माताओं को बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। इसलिये ऐसी गोष्ठियां और अधिक आयोजित की जानी चाहियें जिससे कि निर्माताओं, अभिनेताओं कहानी लेखकों तथा अन्य प्राविधिक कर्मचारियों को शिक्षा दी जा सके। क्योंकि यह सब मिलकर ही चलचित्र का निर्माण करते हैं। सरकार को इनका मार्ग दर्शन करना चाहिये। कुछ समय हुआ एक प्रलेखीय चलचित्र दिखाया गया था जिसे कि इंगलैण्ड के गृह-कार्य मंत्रालय ने तैयार कराया था। वह अपचारी बच्चों के पुनर्वास के सम्बन्ध में था। चलचित्र में भाग लेने वाले व्यक्ति व्यवसायिक अभिनेता नहीं थे, परन्तु फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया था। हमारे प्रसारण मंत्रालय को भी सामाजिक विषयों के सम्बन्ध में चलचित्र निर्माण करने चाहियें। प्रलेखीय चलचित्र बहुत लाभदायक कार्य कर रहे हैं परन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। बच्चों के चलचित्रों का तो हम प्रारम्भ ही कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस मामले में नेतृत्व करना चाहिये। ब्रिटेन में ऐसे चलचित्र बनाए जाते है जिनसे सामाजिक चेतना जाग्रत होती है।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में तो एक उत्पादन संहिता है। चलचित्र जांच समिति की रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। उसमें सभी प्रकार के नियमों, विनियमों का सविस्तार उल्लेख है। मेरा निवेदन है कि हमारे यहां भी इसी प्रकार की उत्पादन संहिता होनी चाहिये। निर्माताओं और मंत्रालय के सम्मेलन भी होने चाहियें ताकि चलचित्रों के उत्पादन स्तर तथा सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। इसके लिये सबसे आवश्यक बात यह है कि निर्माताओं को शिक्षित और सचेत किया जाय।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : मैं श्री लिंगम् और अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये कई विचारों से सहमत हूं। कुछ मतभेद भी हैं। लेकिन मेरा विचार है कि सरकार को पहले ही पर्याप्त प्राधिकार प्राप्त हैं, और मैं यह नहीं समझ सका हूं कि प्रस्तावक इस सम्बन्ध में क्या वास्तविक कार्यवाही करने का सुझाव देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि वे अधिक प्राधिकार चाहते हैं तो वे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वे उसके लिये कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि बिवाचन प्रभावशाली तो हो, लेकिन वह निर्माताओं के उपक्रमण को ही खत्म न कर दे। इसलिये, मैं समझता हूं कि वर्तमान प्राधिकार ही पर्याप्त होंगे।

चलचित्र उद्योग के सुधार के सम्बन्ध में व्यक्त की गई रायों का मैं स्वागत करता हूं। चलचित्रों के क्षेत्र में, हम संसार भर में दूसरे सबसे बड़े निर्माता हैं, और इसके लिये हमारे देश के चलचित्र निर्माताओं को ठीक ही श्रेय दिया गया है। सरकार के असहायक दृष्टिकोण के होते हुये भी उन्होंने इस उद्योग को एक दृढ़ आधार पर खडा कर दिया है।

लेकिन हमें यह सब होते हुए भी अपने चलचित्रों को उच्चकोटि का बनाना है, और इसके लिये मेरा सुझाव है कि चलचित्र निर्माण को सरकार धीरे-धीरे अपने हाथों में ले ले।

हमारा उद्देश्य एक समाजवादी ढंग के समाज की रचना करने का है। इसलिये, अब हमें उद्योग को क्रमशः राष्ट्रीयकृत करने की दिशा में सोचना चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि हमें चलचित्रों और वृतांत चिलचित्रों के उत्पादन का कार्य आरम्भ कर देना चाहिये।

मैं इस बात में भी विश्वास नहीं करता हूं कि सरकार अपने इतने शक्तिशाली संसाधनों के होते हुए भी कलाकारों की सेवायें प्राप्त नहीं कर सकती है। उसे निजी उद्योग की अपेक्षा कहीं

†मूल अंग्रेजी में।

अच्छी शर्तें कलाकारों और अभिनेताओं के सामने रखने में समर्थ होना चाहिये। हो सकता है कि सरकारी सेवा में आने के बाद अभिनेताओं को इतनी कल्पनातीत तनख्वाहें न मिलें, लेकिन उनका अनिश्चित भविष्य तो सुनिश्चित हो ही जायेगा।

इसलिये आरम्भ में सरकार को विशेष तौर पर बालकों के चलचित्रों और ऐतिहासिक चलचित्रों के निर्माण कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिये।

मैं कामुकता को उत्तेजित करने वाले चलचित्रों के तो विरुद्ध हूं, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि उनमें प्रेम भावना बिलकुल ही न हो। हां, उनमें प्रेम भावना को एक संयत ढंग से पेश किया जाना चाहिये।

हम अनेक वृतांत चलचित्र बना ही चुके हैं, और यह कहना ठीक नहीं है कि हमें कलाकार और कलात्मक प्रतिभायें नहीं मिलेंगी। हमने वह कर दिखाया है। इसलिये सरकार को चलचित्र निर्माण को अपने अधिकार में ले लेना चाहिये।

हो सकता है कि आरम्भ में इसमें घाटा ही हो, लेकिन अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद यह दशा नहीं रहेगी। देश के इस सबसे बड़े उद्योग को निजी अधिकार में नहीं रहने देना चाहिये।

यदि सरकार चलचित्रों के निजी उद्योग को एक ही बार में समाप्त नहीं कर सकती है, तो सरकार को इस क्षेत्र में क्रमशः प्रवेश करना चाहिये और ऊंचे मानदण्ड के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहियें। वह निजी उद्योग से कहीं अधिक समर्थ और क्षमतावान है।

सरकार को इस क्षेत्र में उतरना चाहिये। इसके लिये हमें प्रशासन के पुराने तरीकों, नियमों आदि को त्यागना पड़ेगा। इसके लिये हम एक स्वायत्त शासी निगम की स्थापना कर सकते हैं। अच्छे निर्माताओं को कुछ स्वतंत्रता दी जा सकती है। मुझे विश्वास है कि कुछ अच्छे अच्छे निर्देशक अवश्य ही सरकार को इस उपक्रम में सहायता देने को तैयार हो जायेंगे। वे निजी उद्योग में मिलने वाले अपने अत्यधिक वेतनों को इसके लिये त्यागने को तैयार हो जायेंगे।

तमाम ऊंचे दर्जे के विदेशी चलचित्र ऐसे होते हैं कि जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश कामुकतापूर्ण होते हैं। यदि सरकार उनपर प्रतिबंध लगाने के लिये अधिक प्राधिकार चाहती है तो लोक-सभा को वह दे देना चाहिये।

चलचित्रों में जो एक 'केवल बालिगों के लिये' वाली श्रेणी बना दी गई है, वह सरासर धोखा है। उनको और भी अधिक नाबालिग देखने जाते हैं। यदि कोई चलचित्र बालकों के लिये आपत्ति-जनक है, तो उसे देश में चलने ही नहीं देना चाहिये।

नैतिकता के विचार से ही नहीं, विदेशी मुद्रा के विचार से भी, हमें विदेशी चलचित्रों पर अधिक कड़ा प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। सरकार को चलचित्रों का निर्माण आरम्भ कर देना चाहिये, और मुझे विश्वास है कि संसद् उसे इसके लिये अपेक्षित धन राशि देने को तैयार हो जायेगी।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : एक धारणा बन गई है कि चलचित्र गृह ही अपराधियों के प्रशिक्षण-केन्द्र होते हैं। अमरीका में भी इसके विशेषज्ञों का विचार यही है कि अपराध और सदाचार की शिक्षा भावी अपराधी यहीं से पाते हैं।

इसलिये, चलचित्रों ने अपराधी मनोवृत्ति को बनाने और नैतिक अधःपतन की ओर हमें ले जाने में भारी योग दिया है। विधि द्वारा अब भी आपत्तिजनक चलचित्रों को रोका जा सकता है, लेकिन मेरा विचार है कि बिवाचकगण अपने महत्वपूर्ण कर्तव्य को उचित रूप में नहीं निभाते

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री टेकचन्द]

हैं। यदि वे अपना कार्य ठीक प्रकार से करते, तो आपत्तिजनक चलचित्र किशोर मस्तिष्क को इतना विकृत न बना पाते। हाल में केवल 'बालिगों के लिये', और 'सभी के लिये', चलचित्रों की ये दो जो दो श्रेणियां बनाई गई हैं, वे बड़ी ग़लत हैं। नाबालिग़ 'केवल बालिग़ों के लिये' चिह्नित चलचित्रों को देखने के लिये और उनसे बुरा प्रभाव ग्रहण करने के लिये और भी उत्तेजित हो जाते हैं। टिकट विक्रेता ऐसे चलचित्रों के लिये नाबालिग़ों और बालकों को टिकट देने से इन्कार नहीं करते हैं। इस विभेद को शीघ्र ही मिटा दिया जाना चाहिये।

हमारे धार्मिक और पौराणिक चलचित्रों में तो हमारे विश्वासों और धर्म का उपहास ही किया जाता है। उनसे देवताओं में हमारी आस्था दृढ़ नहीं होती है।

चलचित्र निर्माताओं को ऐतिहासिक चलचित्रों में इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिये। वे "भगतसिंह" जैसे चलचित्रों के लिये भी एक कपोल-कल्पित इतिहास को गढ़ लेते हैं। अतः ऐतिहासिक चलचित्रों पर और अधिक कड़ा नियंत्रण करना चाहिये।

मैं चलचित्र उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हूं। हां, सरकार को उस पर और कड़ा नियंत्रण रखना चाहिये और चलचित्रों को किशोर मस्तिष्क को अधिक स्वस्थ बनाने में सहायक बनाना चाहिये।

†**श्री वीरस्वामी** (मयूरम-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मुझे प्रसन्नता है कि इस संकल्प के प्रस्तावक ने सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान चलचित्रों के स्तर के गिरने की गम्भीरता की ओर आकर्षित किया है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि चलचित्र उद्योग पर सरकार का पूर्ण अधिकार हो जाये, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार उस पर अधिक कड़ा नियंत्रण करे। हमारे तमाम चलचित्र अश्लील होते हैं। उनमें सड़कों पर प्रेमाभिनय दिखाया जाता है। यह एक गम्भीर चीज़ है। माननीय मंत्री को इसका नियंत्रण करना चाहिये और राष्ट्रीय चरित्र में इनके कारण आनेवाली अनैतिकता को रोकना चाहिये।

बम्बई की लगभग ४०,००० महिलाओं ने अश्लील चलचित्रों के प्रदर्शन पर रोक लगाये जाने की मांग की थी। हमारे राज्य में भी सभी विचारों के लोग इनके विरुद्ध हैं। ऐसे चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। सरकार को या तो संविधान में संशोधन करके, या किसी भी अन्य साधन से चलचित्रों के कथानकों, उनके निर्देशन, निर्माण और प्रदर्शन पर अधिक कड़ा नियंत्रण करना चाहिये।

माननीय मंत्री को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे कि चलचित्रों के कथानकों में ऐतिहासिक, सामाजिक निर्योग्यताओं और जाति-भेद निवारण सम्बंधी विषय लिये जायें, ताकि हमारी जनता के चरित्र का निर्माण हो सके और उनकी समाज सेवा की भावना को प्रोत्साहन मिल सके।

दूसरी बात यह है कि दस बजे रात के बाद चलचित्रों के प्रदर्शन से राष्ट्र के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी कार्य-कुशलता कम होती है। इसलिये, दस बजे रात के बाद चलचित्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब समय बहुत थोड़ा बचा है। माननीय सदस्य केवल पांच-पांच मिनट ही बोलें।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस-मध्य) : जैसा कि श्री टेकचन्द ने अभी कहा कि आज के जो सिनेमा हाल हैं वे अनाचार, वासना और आसक्ति के स्थान हो गये हैं और मैं उनसे इस बात में पूरी तरह से सहमत हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इसके साथ ही साथ हमें यह बात भी देखनी है कि जो धार्मिक, भक्तिपूर्ण और ऐतिहासिक फिल्में है उनको इस प्रकार से ग़लत तरीके से सामने रक्खा जाता है कि वे वास्तविकता से बहुत दूर रहती हैं। उदाहरणार्थ में आप को "कबीरदास" जी की फिल्म के बारे में बतलाऊं कि हम लोग उस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगवाने के लिये माननीय मंत्री महोदय के पास पहुंचे थे और हमारे अतिरिक्त और भी बहुत से देशवासी उनके पास यह मांग लेकर आये थे और उनसे यह निवेदन किया था कि इस फिल्म में क्या परिवर्तन होना चाहिये। उस फिल्म में कबीरदास को लोई के लवर के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिस पर कि हमने एतराज किया था। कबीरदास कितने बड़े संत और महात्मा पुरुष थे लेकिन उनकी जो फिल्म बनी उसमें उनको स्क्रीन पर लोई के लवर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हमने देखा कि बावजूद हिन्दुस्तान के तमाम कोनों से यह आवाज आने के कि इस फिल्म का प्रदर्शन रोक दिया जाय, उस फिल्म का प्रदर्शन नहीं रुका और वह उसी रूप में सिनेमाओं में प्रदर्शित की गई क्योंकि मंत्री महोदय ने उस सम्बन्ध में अपनी असमर्थता जाहिर की कि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे उसके प्रदर्शन को रोका जा सके।

इसी तरह मैं आपको बतलाऊं कि पाकिस्तान ने एक हिन्दुस्तानी फिल्म का प्रदर्शन अपने यहां बद कर दिया क्योंकि उस फिल्म में एक गाना "हल्ला गुल्ला भल्ला" आता था और जिसको कि पाकिस्तान वालों ने "ला इला लिल्लाह" का व्यंग समझा और यह स्पष्ट बात है कि अगर इस प्रकार के गाने फिल्मों में रक्खे जायें और उनके द्वारा इस तरह दूसरे धर्मों पर और बड़े बड़े लोगों पर इस प्रकार का आक्षेप किया जायगा तो उससे देश की हानि होगी और आर्ट की उन्नति नहीं होगी बल्कि अवनति होगी।

आप देखेंगे कि आजकल फिल्मों में जो यह शराब पीना, स्टन्ट फिल्में जैसे मारधाड़, भाग जाना, चोरी डकैती करके भाग जाना, इस प्रकार की जो फिल्में दिखाई जा रही हैं उन्हें देख कर हमारे युवक समाज पर बहुत खराब असर पड़ रहा है और इस तरह की असामाजिक फिल्मों को तो अवश्य बन्द कर देना चाहिये।

जहां तक सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों के पास किये जाने का सम्बन्ध है, उसके बारे में मेरा कहना यह है कि फिल्म जब तैयार हो जाती है तब सेंसर बोर्ड के पास भेजी जाती है। मेरा सुझाव यह है कि आपको यह करना चाहिये कि फ़िल्म तैयार करने का समय जब आये तभी उसके कथानक, कहानी, गीत और संवाद आदि को देखकर अगर वह तैयार करने लायक हो तो उसको बनाने की इजाज़त दी जाय और इस तरह की इजाज़त मिलने पर ही फ़िल्म की तैयारी में हाथ लगाया जाय और यह तरीक़ा अपनाने से धन की भी बचत होगी और फिल्म देखने वालों का भी फायदा होगा और फिल्म बनाने वालों का भी फायदा होगा। अतएव मेरा यह निवेदन है कि संविधान में संशोधन करने का जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, संविधान में इतनी जल्दी संशोधन तो नहीं होना चाहिये लेकिन मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा कोई एक कानून अथवा नियम ज़रूर बनायें ताकि हमारे इस फ़िल्म व्यवसाय की उन्नति हो और यह ठीक ढंग से काम करे। हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि भारतवर्ष के अलावा साउथ ईस्ट एशिया, बर्मा और कम्बोडिया आदि देशों में हमारे बहुत से हिन्दुस्तानी भाई बसते हैं और वहां भी हमारी फिल्में जाती हैं और जब वहां के लोग इस प्रकार की स्टन्ट और बेहूदी फिल्में देखते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप इस बात का ध्यान रक्खें और ऐसी व्यवस्था करें ताकि इस देश में अच्छी और शिक्षाप्रद फिल्मों का निर्माण हो।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : यह कोई साधारण सा प्रस्ताव नहीं है। अब इस चलचित्र उद्योग ने समूचे देश भर में, गांव-गांव में अपने पैर जमा लिये हैं और जैसे-जैसे देश में शिक्षा और रहन-सहन का स्तर ऊंचा होता जायेगा, इसका और अधिक प्रसार होता जायेगा। जनता को मनो-जन की भी बड़ी आवश्यकता होती है और हमें उसके साधन जुटाने ही चाहियें। इसके अतिरिक्त,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अच्युतन]

चलचित्रों का सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व भी होता है। चलचित्रों के स्तर को हम निर्देशकों और अभिनेताओं के सहयोग से सुधार सकते हैं। जहां तक चलचित्रों में उनके द्वारा किये गये कार्य का सम्बन्ध है, हमारे अभिनेताओं ने अपने कर्तव्य को बड़े सराहनीय ढंग से निभाया है। सामाजिक चलचित्रों में हमें संगीत, नृत्य, नये आदर्श और नये विचार तथा भावनायें मिलती हैं।

हमारे देश की जनता निर्धन है, और चलचित्र-गृहों में जाने के अतिरिक्त उसके पास मनोरंजन का कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिये, इन्हें प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

इसका नियंत्रण अवश्य ही एक कठिन कार्य है। मंत्रालय अपने बिवाचन बोर्ड के द्वारा कितना ही नियंत्रण क्यों न करे, फिर भी यह कार्य कठिन ही है। रायों में मतभेद भी होता है। चलचित्रों को ही देखिये, कुछ पहले तो बहुत पसंद किये जाते हैं, पर कुछ सप्ताहों बाद ही लोगों के मन से उतर जाते हैं और वाणिज्यिक रूप से असफल हो जाते हैं।

इसलिये, जब तक समाज के नये मान-दण्ड नहीं बनते, नयी संहितायें नहीं रची जातीं, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। यह एक कठिन कार्य है, क्योंकि प्रेम और अश्लीलता के बीच विभाजन रेखा खींचना आसान नहीं होता है और गावों के साधारण लोगों तथा श्रमिकों के लिये यह चलचित्र मनोरंजन का एक मात्र साधन है।

मैं नहीं समझता कि संविधान के उपबन्धों का संशोधन करके हम कहां तक अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकेंगे। हम अपने उद्देश्य की पूर्ति तो नैतिकता की एक नयी संहिता रचकर ही कर सकते हैं, और उसकी रचना करने का कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय, अन्य सम्बन्धित संस्थाओं और व्यक्तियों के सहयोग द्वारा ही कर सकता है। तब ही कुछ ऐसी सीमायें बन जायेंगी जिनका अतिक्रमण कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि उससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना होगी। इसलिये मंत्रालय को अच्छे बिवाचन बोर्ड के गठन पर भी नजर रखनी चाहिये। धर्म और समाज की प्रगति के हित में, हमें उन्हें एक सामान्य नैतिकता की नयी संहिता को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। मैं तो यह भी कहूंगा कि हमें बहुत अधिक राष्ट्रीयता की भावना भी उनमें पैदा नहीं करनी चाहिये। हमें भविष्य की ओर उन्मुख होना चाहिये। देश में सभी क्षेत्रों के अग्रणी व्यक्तियों से इन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिये और एक नयी संहिता बनाई जानी चाहिये, जिससे कि अवांछनीय और अनावश्यक चलचित्रों की संख्या कम से कम की जा सके। इस अवस्था पर मेरा यही सुझाव है।

†डा० केसकर : श्री न० मा० लिंगम् के संकल्प संबंधी चर्चा को मैंने बड़े ध्यान के साथ सुना है। उक्त संकल्प में चलचित्र उद्योग का नियंत्रण करने के लिये अधिक शक्तियां लेने के हेतु संविधान में संशोधन करने के लिये सरकार से कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह उद्योग जन साधारण की शिक्षा, जन साधारण के मनोरंजन और जनसाधारण के सम्पर्क के अत्यन्त शक्तिशाली साधन के रूप में विकसित हो गया है। यह दृश्य है। इसके लिये शिक्षा की आवश्यकता नहीं। मनुष्य पर्दे पर कुछ जीवित दृश्य देख सकता है। स्वभावतः सर्वाधिक अज्ञानी भी इसकी प्रशंसा करते हैं और इसको पसंद करते हैं। इसी कारण अब विश्व भर में, सब देशों में लाखों लोग चलचित्रों को नियमित रूप से देखते हैं। इस दृष्टिकोण से, चलचित्र के प्रभाव का अनुमान इसे केवल किसी दूसरी कलात्मक कृति अर्थात नाटक के रूप में समझने से ही नहीं लगाया जा सकता है। नाटक को देखने वालों की संख्या के बहुत अधिक होने के कारण नाटक चाहे कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो पर उसका सामूहिक सामाजिक प्रभाव होता है। अतः चलचित्र निर्माण को केवल सामूहिक मनोरंजन के साधन के रूप में मानना हमारे लिये संभव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं यहां चलचित्र उद्योग के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे पास समय कम है। जब से यह उद्योग इतना महत्वपूर्ण और इतना व्यापक हुआ है, बहुत से देशों में जनता पर पड़ने वाले इस के प्रभाव को जानने और किशोरों तथा बालकों पर इसके प्रभाव को जानने के लिये प्रयत्न किये जाते रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि शिक्षाविदों, न्यायाधीशों और समाजशास्त्रियों का यह निश्चित मत है कि आजकल जिस प्रकार के चलचित्र बनाये जाते हैं उनका बालकों के मन पर जो प्रभाव पड़ता—है मैं अपने देश की बात नहीं कह रहा हूं—वह बहुत वांछनीय नहीं होता है। श्री न० मा० लिंगम् ने बाल अपराध और बालकों पर चलचित्रों के प्रभाव अथवा चलचित्र उन्हें किस सीमा तक अपराध करने के लिये उकसाते हैं, इसके बारे में अमरीकी सीनेट द्वारा की गई जांच से कुछ उद्धरणों का उल्लेख किया था। उससे पहले भी, कई प्रोफेसरों, शिक्षाविदों द्वारा अनेक बार जांच कराई गई है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कई प्रकार के चलचित्र बालकों में अपराध की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं, हिंसा आदि करने की प्रवृत्तियों को नहीं, बल्कि चोरियां करने, डकैतियां डालने की प्रवृत्तियों को और मानव जीवन के प्रति एक प्रकार की घृणा की भावना को उत्पन्न करते हैं। निस्सन्देह हमारे देश में भी किशोरों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक है। यदि हम सिनेमाघरों में जाएं और जांच करें तो विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ है कि चलचित्र-गृहों में बहुधा जाने वालों की दो श्रेणियां हैं, एक विद्यार्थी और दूसरे अशिक्षित जनता और उनमें से भी शहरों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसी स्थिति में, चलचित्रों के मानदंड और उनको सुधारने के उपायों के विचार, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। हम इस विषय के महत्व को कम नहीं समझ सकते हैं। बजट संबंधी वादविवाद के अवसर पर और कई संबंधित समस्याओं पर चर्चा के समय कई बार इस प्रश्न के बारे में हमने इस सभा में चर्चा की है।

इस समय इस देश में हम बिवाचन की जिस प्रणाली को चला रहे हैं वह संभवतः १९४७ से भी पहले स्थापित की गई थी किन्तु गत चार या पांच वर्षों में उसमें पर्याप्त परिवर्तन तथा रूपभेद किया गया है। हमने नवीन चलचित्र अधिनियम, १९५२ बनाया, जो पांच वर्षों से कार्य कर रहा है। हमारे देश की जैसी वर्तमान विधानिक स्थिति है, और उसे मैं स्पष्टतः सभा के सामने रखना चाहता हूं, उसके अनुसार बिवेचकों को इस विधि के अन्तर्गत कुछ शक्तियां दी गई हैं। साधारणतया इस प्रश्न के बारे में हमारा दृष्टिकोण यह रहा है कि हमने जो बिवाचन संहिता जारी की है वह संविधान के अनुच्छेद १९ के खण्ड (२) द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्दर है, और जो भी विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं वह उसी पर आधारित हैं। यहां कई सदस्यों ने सरकार की शक्तियों के बारे में प्रश्न उठाये हैं, और बहुत से सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार के पास शक्तियां तो बहुत हैं, परन्तु उस का दोष यह है कि इस कार्य के लिये उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करती है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है, सरकार को अपनी सभी शक्तियों का पता है। निस्सन्देह, कोई भी बात बिल्कुल निश्चित नहीं है क्योंकि कई बातों का निर्वचन करने में, कुछ मतभेद हो सकता है, किन्तु जहां तक हम इस प्रश्न पर विचार कर सके हैं, निश्चय ही सरकार कुछ मामलों के बारे में उचित रोक लगाने की शक्ति रखती है। जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद १९ के खण्ड (२) में कहा गया है कि सरकार शिष्टता, नैतिकता, शान्ति और व्यवस्था तथा विदेशी संबंधों के बारे में उपयुक्त प्रतिबन्ध लगा सकती है। सरकार अनुच्छेद १९ के खण्ड (२) में दिये गये इन तीन या चार विषयों से परे नहीं जा सकती है। इन उचित सीमाओं के अन्दर हम कहां तक जा सकते हैं और कहां तक नहीं जा सकते इसके निर्वचन के बारे में मतभेद हो सकता है। यदि कोई विधिवेत्ता है तो वह विधि को अन्तिम सीमा तक ले जा सकता है, किन्तु सरकार को सब बातों को उचित और संतुलित दृष्टिकोण से देखना होता है। इसके अन्दर हमारे लिये सभी संभव चीजों को लाना और यह कहना कि हमारे पास शक्ति है और हम उसके अनुसार काम करेंगे, संभव नहीं है। मैं यहां स्पष्टतः यह कह देना चाहता हूं कि जैसा कि मैं देखता हूं कि कुछ चलचित्र इस प्रकार के होते हैं, कि जो हमारी सामाजिक प्रगति के दृष्टिकोण से, और बालकों तथा किशोर अवस्था वालों के दृष्टिकोण से, अवांछनीय हो सकते हैं। परन्तु क्या हम उन सबको रोक सकते हैं या दबा सकते हैं? जहां तक शिष्टता और नैतिकता का संबंध है, क्या यह कहना संभव है कि सरकार यह कर सकती है और बड़ी सीमा तक कर सकती है?

[डा० केसकर]

बहुत सी श्रेणियां ऐसी भी हैं जिन्हें इसके अन्तर्गत लाना हमारे लिये संभव नहीं होगा, चाहे हमारा कितना ही अच्छा इरादा क्यों न हो। उदाहरणार्थ, यहां एक मामले विशेष का उल्लेख किया गया है और माननीय सदस्य श्री टेक चन्द ने बड़ी सुन्दरता से चलचित्रों में ऐतिहासिक गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय वीरों के चलचित्रों के बारे में आग्रहपूर्वक कहा कि उनमें सत्यता नहीं होती है। यह बात हमारी वर्तमान विधि के अन्तर्गत नहीं आती है। शंकाएं रही हैं और रहेंगी। स्वभावत: यदि कोई चलचित्र निर्माता राष्ट्रीय वीरों के चित्र बनाये, तो यह एक बड़ा आकर्षक विषय होगा किन्तु वर्तमान विधि यह है कि यदि कोई व्यक्ति महात्मा गांधी पर भी चलचित्र बनाता है और उन्हें अत्यन्त अवांछनीय रूपों में दिखाता है, तो उस चलचित्र को रोकना मेरे लिये बहुत कठिन होगा। मैं संभवत: यह कह कर ही रोक सकता हूं कि इससे जनता में बड़ी उत्तेजना फैल जायेगी, और हो सकता है कि शान्ति और व्यवस्था भंग हो जाए, इसलिये उस चलचित्र को रोक दिया जाना चाहिये।

विशिष्ट रूप से अधिक आपत्तिजनक न होने वाले चलचित्रों का भी प्रश्न है अर्थात् ऐसे चलचित्रों का जिनमें बहुत अधिक गन्दे या आपत्तिजनक दृश्य न हों, किन्तु फिर भी वह सभ्यता या नैतिकता के दृष्टिकोण से सामान्यतया वांछनीय हों। सामान्यतया ऐसे बीच दर्जे के चलचित्रों को इस परिधि में लाना कठिन है।

मैं माननीय सदस्यों को यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कहां तक जाना हमारे लिये संभव है और कहां तक जाना हम समझते हैं कि हमारे लिये संभव नहीं है। मेरी मुख्य बात यह है कि कई प्रकार के चलचित्र होते हैं जिनका माननीय सदस्यों ने भी उल्लेख किया है, और उनको लेना हमारे लिये संभव नहीं है। मुझे यह इसलिये कहना पड़ता है क्योंकि कुछ सदस्यों ने यह धारणा बना ली है कि सरकार के पास सभी शक्तियां हैं, और जो कुछ भी हम यहां देखते हैं उसके लिये केवल सरकार और बिवाचन बोर्ड दोषी हैं। मैं निवेदन करदूं कि बिवाचन बोर्ड—और मैंने उसका काम समीप से देखा है, इतने वर्षों से वह भरसक प्रयत्न कर रहा है—ने प्रशंसनीय काम किया है और जहां तक आपत्तिजनक चलचित्रों पर नियंत्रण करने के प्रश्न का संबंध है उसने उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके बारे में किसी तरह की व्यापक नीति को अपनाना सरल नहीं है।

चलचित्र विभिन्न विषयों, विभिन्न प्रसंगों, विभिन्न पृष्ठभूमियां आदि लेकर बनाये जाते हैं। प्रत्येक चलचित्र की ध्यानपूर्वक जांच करनी पड़ती है और यदि आवश्यकता होती है, तो काटने का भी आदेश दिया जाता है, और यदि आवश्यक होती है तो चलचित्र को रोक भी दिया जाता है या उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। यह एक बड़ी और थका देने वाली प्रक्रिया है। मैं नहीं समझता कि बिवाचक अपने काम में असफल रहे हैं। जो वक्तव्य दिया गया है मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि ऐसा वक्तव्य देना तो बड़ा सरल है और यह सर्वथा संभव है कि किसी सदस्य का किसी चलचित्र विशेष के किसी दृश्य विशेष के बारे में बिवाचकों से मतभेद हो। परन्तु बिवाचक सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन कराने का भरसक प्रयत्न करते रहे हैं, और निर्देश संहिता में निर्धारित सामान्य नीति को अपनाने का भी भरसक प्रयत्न करते रहे हैं।

इन मतभेदों के अतिरिक्त, मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत निष्ठापूर्वक अपना कार्य करने का प्रयत्न किया है। त्रुटिरहित काम करना संभव नहीं होता है। ग़लती मनुष्य से होती है, और हो सकता है कहीं कुछ ग़लतियां या त्रुटियां रह गई हों। किन्तु वे तो होती ही हैं, और हम इधर उधर की एकाध गलती या एकाध त्रुटि को दिखा कर बिवाचकों के काम की जांच नहीं कर सकते हैं। यदि माननीय सदस्य पिछले दो या तीन वर्षों में बिवाचन बोर्ड द्वारा किये गये काम का ब्यौरा देखने का कष्ट करें, तो उन्हें मालूम होगा कि उसने अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी बहुत प्रशंसनीय काम किया है, क्योंकि दुख की बात है कि उसको चलचित्र उद्योग से पूरा सहयोग प्राप्त नहीं होता रहा है फिर भी, वह हमारे आज के चलचित्रों के मानदंड में पर्याप्त उन्नति करने में सफल हुआ है। किन्तु जैसा कि मैंने कहा बिवाचक एक सीमा तक ही जा सकते हैं। वे उसके आगे नहीं जा सकते। चलचित्रों में सुधार करने के कार्य का प्रारम्भ करना उनके लिये संभव नहीं है। बहुत सी दिशाओं में

ऐसा करना वांछनीय होता। डा० रामा राव इस बात का उल्लेख कर रहे थे और बहुत सी बातों में मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। परन्तु बिवाचन नकारात्मक प्रक्रिया है। यह आपत्तिजनक चीज़ों को रोकने का प्रयत्न करता है। सुधार क्रियात्मक और रचनात्मक होता है, अर्थात् अच्छी वस्तु का प्रदर्शन कैसे किया जाए। निस्सन्देह बिवाचकों के लिये यह सुझाव देना कठिन है कि कुछ रचनात्मक और अच्छी बातें दिखाई जानी चाहियें। वे तो केवल यह देख सकते हैं कि क्या बुराई है और यह कह सकते हैं कि उक्त भाग को काट दिया जाये। निस्सन्देह यह एक असंतोषप्रद कार्य है।

मैं यहां बताऊंगा कि हम क्या कार्यवाही करना आवश्यक समझते हैं—और हम अधिक उन्नति के लिये या देश में चलचित्र निर्माण के लिये अधिक मार्गदर्शन करने के हेतु क्या आवश्यक कार्यवाही करते रहे हैं? चलचित्र जांच समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है। मैं संक्षेप में यह कह दूं कि एक राष्ट्रीय चलचित्र बोर्ड की स्थापना के बारे में हम एक विधेयक तैयार कर रहे हैं जिसमें एक यूनिट होगा जिसे निर्माण ब्यूरो कहा जा सकता है।

श्री रघुनाथ सिंह और एक दो दूसरे मित्रों ने यह भी कहा है कि चलचित्रों के तैयार किये जाने से पूर्व उनके कथानक दिखाये जाने चाहियें ताकि अनावश्यक रूप से धन नष्ट न होने पावे। निर्माण ब्यूरो का यही उद्देश्य होगा। यह कथानकों को देखेगा और जनता के सामने चित्र करने से पूर्व उनके बारे में निर्माताओं को मंत्रणा देगा।

उत्तम चलचित्रों के निर्माण में सहायता देने के लिये छोटे पैमाने पर एक चलचित्र वित्त निगम बनाने की भी प्रस्थापना है।

अतः ये सब बातें राष्ट्रीय चलचित्र बोर्ड विधेयक के पर्यवेक्षण के अन्दर आएंगी। मैं आशा करता हूं कि हम इस विधेयक ो अगले सत्र के पहले सप्ताह में पुरःस्थापित कर सकेंगे।

सरकार इस उद्योग पर नियन्त्रण करने अथवा इसका विनियमन करने के लिये अधिक उत्सुक नहीं है। मैं जानता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के लिये इस उद्योग का सामाजिक महत्व बहुत अधिक है, परन्तु तो भी, इस प्रकार के उद्योग का नियन्त्रण करने से बहुत सी समस्यायें तथा उलझनें उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें सरकार को सफलतापूर्वक हल करना पड़ेगा। सरकार के लिये ऐसी कार्यवाही करना और बाद में इन सभी समस्याओं का सामना करना संभव नहीं है। अतः हम इस प्रकार का नियन्त्रण नहीं करना चाहते जिसकी श्री न० मा० लिंगम् ने इच्छा प्रकट की है। इस सभा के सदस्य कई बार सरकार पर यह दोषारोपण करते हैं कि वह बहुत सी शक्तियां ले लेने का प्रयत्न कर रही है। मैं यह बता दूं कि हम नहीं चाहते कि हमें इतने अधिक अधिकार दिये जायें, परन्तु जहां राष्ट्रीय हित के लिये ऐसा करना आवश्यक हो वहां सरकार को अवश्य ऐसा ही करना चाहिये। परन्तु हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब लोक-सभा सरकार से सहमत हो।

जहां तक चलचित्र उद्योग का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि व्यवहारिक दृष्टि से इस प्रकार का नियंत्रण करना कोई सरल कार्य न होगा। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, सम्भव है कि इससे कठिनाइयां पैदा हों। श्री श्रीनारायण दास ने कहा था कि सरकार को चाहिये कि वह संघ सूची की प्रविष्टि संख्या ५२ के अन्तर्गत घोषणा करके इस उद्योग को केन्द्रीय नियन्त्रण में ले ले। यह तो किया जा सकता है परन्तु केवल ऐसा करने से ही तो कोई समस्या हल नहीं हो जायेगी। यदि सरकार इस समूचे उद्योग के नियन्त्रण के लिये एक व्यापक अधिनियम बनाये तभी ऐसा करना आवश्यक हो सकता है, अन्यथा यह आवश्यक नहीं होगा।

समय कम होने के कारण, मैं बिवाचन के प्रश्न को नहीं लूंगा। कुछ सदस्यों ने प्रधान मंत्री की टिप्पणियों का हवाला दिया, परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि प्रधान मंत्री ने बाद में क्या कहा था। प्रधान मंत्री ने कहा था कि यदि चलचित्रों का झुकाव अवांछनीय दिशाओं की ओर हो गया तो उसको रोकना पड़ेगा। परन्तु यह बात इस विषय से सम्बन्धित नहीं है। यह आवश्यक नहीं

[डा० केसकर]

है। परन्तु यहां हुए वाद-विवाद को सुनने के पश्चात् हम भी यह अनुभव करते हैं कि राष्ट्रीय हित को देखते हुये चलचित्रों पर कोई प्रतिबन्ध या नियन्त्रण रखना आवश्यक है। इसमें कोई सन्देह नहीं है, विशेषकर जब कि हम अपने देश के लिये कल्याणकारी राज्य की योजना बना रहे हैं, यह सम्भव नहीं है कि सामूहिक सम्पर्क, सामूहिक मनोरंजन और सामूहिक शिक्षा के ऐसे साधन को खुली छुट्टी दे दी जाये कि वह जो चाहे करे, जैसे चाहे चलचित्र बनाये और जनता पर उनका चाहे कैसा प्रभाव क्यों न पड़े। और मैं यह भी ठीक नहीं समझता कि हम इसे अपने हाथ में ले कर स्वयं चलायें। अभी ऐसा करना उचित नहीं है।

विदेशी चलचित्रों के बारे में भी कहा गया है। मैं बहुत सी बातों का विस्तार में उत्तर दे सकता हूं। डा० रामा राव का यह सुझाव बहुत सुन्दर है कि सरकार भी चलचित्र बनाये। मैं इस से सहमत हूं, परन्तु हमें इस काम को इतना सरल नहीं समझना चाहिये। प्रश्न यह नहीं कि सरकार को कलाकार नहीं मिलेंगे। उस दिन उन्होंने मेरे उत्तर को गलत समझा था। समय मिलने पर किसी और दिन में उन्हें स्पष्ट करके बताऊंगा। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि कलात्मक उत्पादन मशीनी उत्पादन की तरह नहीं होता है, यदि यह काम अत्यधिक योग्य व्यक्ति को न सौंपा जाये तो इसके बिल्कुल ही बिगड़ जाने की संभावना है। अतः यदि हम इसे अपने हाथ में लें तो इसमें बड़ी सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। परन्तु मैं उनके सुझाव को अस्वीकार नहीं करता हूं। यह एक बहुत ही सुन्दर सुझाव है और निश्चय ही हम बड़ी सावधानी से इसका अध्ययन करेंगे।

हमारा विचार है कि राष्ट्रीय हित में और वैसे भी चलचित्र निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया जाना आवश्यक है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि समूचे उद्योग पर पूर्ण नियन्त्रण किया जाये और छोटी से छोटी बातों को भी विनियमित किया जाये। बिवाचन के लिये उत्पादन कार्यालय ही पर्याप्त होना चाहिये। परन्तु कुछ प्रकार के चलचित्रों के लिये जो अवांछनीय हैं, यह पर्याप्त नहीं होगा। इसे किस प्रकार किया जा सकता है इसकी जांच की जा रही है।

कई मित्रों ने चलचित्रों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया, ऐतिहासिक चलचित्रों का, ऐसे चलचित्रों का, जिनमें देवी देवताओं का उपहास किया जाता है, उल्लेख किया गया। इस प्रकार के चलचित्र निम्न विचारधारा के चलचित्र होते हैं। इन सबके बारे में हम कार्यवाही कर सकते हैं, परन्तु जब विधि के निर्वचन का प्रश्न उत्पन्न होता है तो हमें कोई भी कार्यवाही करना कठिन दिखाई देता है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह सब कैसे किया जा सकता है? यदि केवल इतना ही कर दिया जाता है तो हमारे देश के चलचित्र उद्योग का काफी मार्ग प्रदर्शन ो जायेगा। मुझे आशा है कि ऐसा करने में सरकार को निर्माताओं का भी सह ोग प्राप्त होगा, क्योंकि मुझे आशा है कि वे भी अनुभव करते है कि यह उद्योग केवल धन कमाने के लिये ही नहीं है, यह एक सामाजिक उद्योग है, इसलिये इसे समाज की गतिविधियों का और समाज किस ओर जा रहा है इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। यदि ऐसा किया जाता है, तो बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और हम देश में चलचित्रों के स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे।

मैंने सब कुछ बड़े संक्षेप में कहा है। यदि मैं माननीय सदस्यों की सभी बातों का उत्तर दूं तो मुझे कम से कम आधा घंटा और लग जायेगा। परन्तु किसी अन्य अवसर पर मैं इन सभी बातों का विस्तार से उत्तर दूंगा।

श्री लिंगम् के संकल्प को स्वीकार करना मेरे लिये सम्भव नहीं होगा, क्योंकि वह आदेशक जैसा है और उसमें सरकार को संविधान में संशोधन करने के लिये कहा गया है। मैं जानता हूं कि यदि सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लिया तो मेरे कई माननीय मित्र यह कहेंगे कि सरकार उस स्वतन्त्रता को छीन रही है जो कि संविधान द्वारा दी गई है। हम तो चक्की के दो पाटों के बीच में हैं और मझे एसा संशोधन करने के बारे में गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** एक संशोधन श्री श्रीनारायण दास का है और दूसरा श्री च० रा० नरसिंहन् का है।

†**डा० केसकर :** श्री दास का संशोधन समिति के लिये है। परन्तु मझे डर है कि समिति द्वारा सारे मामले पर विचार किये जाने से काफी बत-बढ़ाव ही होगा। परन्तु ोई परि ाम नहीं निकलेगा। श्री नरसिंहन् का संकल्प भी एक स्थानापन्न संकल्प है। यदि उसमें "चलचित्रों के ‚नर्माण और प्रदर्शन को प्रभावी रूप से नियन्त्रित और विनियमित करना" शब्द न होत तो मैं उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हो जाता। यदि वह संकल्प में यह सुधार करने के लिये तैयार हों कि "चलचित्रों के स्तर को सुधारना" और लोक-सभा सहमत हो तो मुझे उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस मामले में मेरा व्यवहार बिल्कुल निष्पक्ष है।

†**श्री च० रा० नरसिंहन् :** इससे मेरे संशोधन में भी सुधार हो जाता है।

†**डा० केसकर :** यदि ऐसा किया जाये तो मुझे श्री नरसिंहन् के प्रतिग्थापन संकल्प को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री श्री नारायण दास :** मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री नरसिंहन् का संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की यह राय है कि राष्ट्रीय एकता, सामाजिक प्रगति और देश में स्वस्थ नैतिक और सांस्कृतिक जीवन के हित में यह आवश्यक है कि चलचित्रों के स्तर में सुधार किया जाय और इसलिये यह सभा सिफारिश करती है कि सरकार यह देखे कि इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध शक्तियां इस समय पर्याप्त हैं या नहीं; और यदि आवश्यक हो, तो सरकार आवश्यक शक्तियों के लिये संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर कार्यवाही करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राज्य नीति के निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति की जांच के लिये एक समिति की नियुक्ति किए जाने के बारे में संकल्प

†**श्री तुषार चटर्जी** (श्रीरामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा की यह राय है कि संसद के पंद्रह सदस्यों की एक समिति यह जांच करने और छः महीने के भीतर प्रतिवेदन देने के लिये नियुक्त की जाये कि संविधान में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्व संघ सरकार और राज्य सरकारों के वैधानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में कहां तक अमल में लाये गये हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अलगे दिन अपना भाषण दें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सभा का कार्य

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : मैं संसद-कार्य मंत्री की ओर से यह घोषणा करता हूं कि लोक-सभा के २० अगस्त से आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य के बारे में आज प्रातः काल दिये गये वक्तव्य के अनुसार ये परिवर्तन किये गये हैं ।

(१) जम्मू और काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक को पारित करने के बाद विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों में रूपभेद करने में प्रस्तावों पर और आगे विचार ।

(२) वर्ष १९५६-५७ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों और १९५१-५२ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २० अगस्त, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ११५५

विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत निम्नलिखित विमुक्ति घोषणाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई अर्थात् . . . .

(१) १।२४।५६—एफ. आई., दिनांक ९ अप्रैल, १९५६ (२ घोषणायें)

(२) १।५९।५५—एफ. आई., दिनांक १७ अप्रैल, १९५६ (१८ घोषणायें)

(३) १।२८।५६—एफ. आई., दिनांक २४ अप्रैल, १९५६ (१ घोषणा)

(४) १।३२।५६—एफ. आई., दिनांक ४ मई, १९५६ (२ घोषणाएं)

(५) १।३१।५६—एफ. आई., दिनांक १५ मई, १९५६ (१ घोषणा)

(६) १।३८।५६—एफ. आई., दिनांक २६ जुलाई, १९५६ (७ घोषणाएं)

राज्य-सभा से सन्देश ११५५

सचिव ने सभा को बताया कि राज्य-सभा ने १६ अगस्त, १९५६ को अपनी बैठक में प्रतिलिप्यधिकार विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन उपस्थापित करने के समय में आगामी सत्र के प्रथम दिन तक वृद्धि करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है।

याचिका उपस्थापन ११५६

श्री ब० स० मूर्त्ति ने भारतीय रेलवे अधिनियम, (१८९० का ९) तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के बारे में एक याची द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित की।

विधेयक पारित . . . . ११५६—८७

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक पर और आगे खण्डवार विचार जारी रहा। खण्ड ३ से ५१, अनुसूची और खण्ड १ स्वीकृत किये गये तथा विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन. ११८८

अट्ठावनवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के मूल संकल्प के स्थान में दूसरा संकल्प स्वीकृत . . . ११९८

चलचित्रों के उत्पादन तथा प्रदर्शन सम्बन्धी नियंत्रण एवं विनियमन के बारे में श्री न० मा० लिंगम् द्वारा ३ अगस्त, १९५६ को प्रस्तुत संकल्प पर और आगे चर्चा जारी रही। इसके स्थान पर श्री च० रा० नरसिंहन् द्वारा प्रस्तुत एक अन्य संकल्प स्वीकृत किया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प विचाराधीन १२०५

राज्य नीति के निर्देशक तत्वों की कार्यान्विति की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में श्री तुषार चटर्जी ने एक संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

२० अगस्त, १९५६ के लिये कार्यावलि--

भारतीय रूई उपकर (संशोधन) विधेयक, भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक, उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक, जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक और औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा पारण और १९५६–५७ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें।

भा.स.म.ना.—वि३—२२६ लोक सभा—१७-१०-५७—१९०